लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृ0सं0
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27.09.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	12
03.	उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टी0ओ0डी0 जोन से सम्बन्धित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।	24
04.	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम– बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलामऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि एवं लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने विषयक।	28
05.	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मी0 रोड के निर्माण की योजना हेतु हितबद्ध कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	29
06.	ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के संरेखण में आने वाली रक्षा विभाग की भूमि लाइसेन्स पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	36
07.	ग्रीन कॉरीडोर परियोजना हेतु वित्त पोषण के सम्बन्ध में।	51
08.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	75
09.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण/विकास कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू–बिड पद्धति पर निविदाओं हेतु माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में।	78
10.	मा0 राष्ट्रपति भारत गणराज्य/मा0 उप राष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न तिथियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराये गये स्नैक्स, फूल आदि में किये गये व्यय से सम्बन्धित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	85

11.	वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	88
12.	प्राधिकरण के व्यवसायिक सम्पत्तियों में 1.5 अधिक एफ0ए0आर0 में अंश हेतु व्यवसायिक भूमि के दर में निर्धारण के सम्बन्ध में।	89
13.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	92
14.	गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 में विषय संख्या–175/21 में आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में अंकित विकल्पों पर आवंटी की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	93
15.	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को पूर्ण कर संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।	99
16.	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र के समेकित विकास की परियोजना के अन्तर्गत म्यूजियम एवं फूडकोर्ट ब्लाक के निर्माण कार्य में हो रहे वृद्धि को समेकित विकास कार्य की परियोजना के अन्य कार्यों में बचत धनराशि से कराये जाने के सम्बन्ध में।	115
17.	मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–22037/2017, संख्या–8016/202022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–22037/2017) एस0के0 मेहरोत्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य में ग्राम–बरगवां, लखनऊ की खसरा संख्या–1416 रकबा 0–5–5–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 मात्र उक्त प्रकरण के लिए ही मान्य एवं प्रभावी है, उक्त आदेश किसी अन्य प्रकरण के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।	118
18.	सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक अनुरक्षण कार्यों की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में।	128
19.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) 2008 के अध्याय 3 में 3.11 के अन्तर्गत नया बिन्दु "3.11.11–भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा" को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	139
20.	लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमन्य एफ0ए0आर0 के मानक संशोधित करने के सम्बन्ध में।	141
21.	राजधानी लखनऊ की महत्ता के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना (सी0बी0डी0) में सर्वसुविधायुक्त विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण।	143

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनाक 27.09.2022 का कार्यवृत्त दिनांक 30.09.2022 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 27.09.2022 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	श्री सूर्यपाल गंगवार	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री इन्द्रजीत सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री महेश कुमार	परियोजना प्रबन्धक, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
06.	श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्रीमती कंचन सुबोध	संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
08.	श्री विशाल भारती	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
09.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री राम कृष्ण यादव	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री राघवराम तिवारी	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री संजय सिंह राठौर	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

14.	श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री अवधेश तिवारी	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री अमित राठौर	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20	श्री देवांश त्रिवेदी	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
175/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
175/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिये गयेः– • विषय संख्या–5 मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये

		गये कि तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ से भी इस आशय की आख्या प्राप्त कर ली जाय कि पूर्व में भूमि ऊसर में दर्ज थी, तो किस प्रकार खातेदार को प्राप्त हुई। पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। • विषय संख्या–6 विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने विषयक प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। • विषय संख्या–12 उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों के साथ आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बैठक आहूत कराई जाय।
175/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
175/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार (1–लखनऊ महानगर के अन्तर्गत सरोजनी नगर विकास खण्ड, काकोरी विकास खण्ड, मलिहाबाद विकास खण्ड, बख्शी का तालाब विकास खण्ड, गोसाईगंज विकास खण्ड वं मोहनलालगंज विकास खण्ड के समस्त क्षेत्र एवं जनपद लखनऊ की नगर पंचायतें, 2–यूपी सीडी/लीडा के अन्तर्गत जनपद– लखनऊ का क्षेत्र, 3–जनपद बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड, देवा विकास खण्ड, बंकी विकास खण्ड व नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र)

		दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में विस्तारित क्षेत्र के साथ यदि अनुमोदन के बाद महायोजना बनायी जायेगी, तो उसमें लैण्डयूज पैटर्न का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा।
175/5	उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी0ओ0डी0 जोन्स का चिन्हांकन एवं टी0ओ0डी0 जोन्स का जोनल प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी0ओ0डी0 जोन्स का चिन्हांकन एवं टी0ओ0डी0 जोन्स का जोनल प्लान यूपी मेट्रो के माध्यम से तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/6	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार सभी प्रकार के होटल, व्यवसायिक काम्पलेक्स, कोचिंग सेन्टर, हॉस्पिटल /नर्सिंग होम व विद्यालय आदि हेतु अग्निशमन की अनापत्ति आवश्यक होगी। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु आवेदन के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/स्वीकृत मानचित्रों को यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रेषित किया जायेगा, तो उसका परीक्षण करते हुए उन्हें आख्या प्रेषित की जायेगी।
175/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/ वाणिज्यिक सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु सलाहकार फर्म के चयन का प्रस्ताव।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
175/8	Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने विषयक संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि यूपी डेस्को के साथ हुए उच्च स्तरीय विचार–विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों का आयाम लोक निर्माण विभाग की अपेक्षाकृत कम है, अतः लोक निर्माण विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रिम

		कार्यवाही की जाय। इसमें जो भी व्यय आयेगा, उसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
175/9	मोहान रोड आवासीय योजना के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण एवं ओमेक्स लिमिटेड के मध्य निष्पादित कन्शेसन अनुबन्ध दिनांक 06.01.2022 को निरस्त किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण उक्त योजना को शीघ्र स्वयं विकसित करेंगा। साथ ही यह निर्देश दिये गये कि ओमेक्स लिमिटेड के विरूद्ध कोई देयता हो, तो उसकी रिकवरी भी सिक्योरिटी धनराशि से करते हुए अवशेष धनराशि वापस की जाय।
175/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने के लिए बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बिड के आधार पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
175/11	ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट, फुल फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोक्योरमेन्ट रिपोर्ट तैयार करने, योजना के फाइनेन्सिली वाइबिल होने, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विक्रय किये जाने तथा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने, उपलब्ध आर्थिक संसाधन को समुचित ढंग से निवेश करते हुए उसके सापेक्ष अधिकतम आउटपुट प्राप्त किये जाने, विक्रय प्रोत्साहन बढ़ाये जाने, आय के संसाधन हेतु कार्य –योजना तैयार कराने तथा निवेशकों के मध्य प्राधिकरण की योजनाओं की परिसम्पत्तियों को बिक्री किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने, अनिस्तारित सम्पत्तियों की बिक्री हेतु मार्केट रेट का अध्ययन, अन्य सम्पत्तियों से तुलना एवं बिक्री योग्य बनाने से सम्बन्धित तथा भविष्य में आने वाली सम्पत्तियों के बिक्री हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार किये जाने के उद्देश्य से ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु ई0ओ0आई0 (Expression of Intrest) आमंत्रित कर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।
175/12	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली –2022 अवलोकित/ अंगीकृत की गई।

175/13	कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल, 2021 से मई, 2021 तक की समयावधि को शून्य मानकर गणना किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के दृष्टिगत 01 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि को शून्य मानते हुए गणना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि आवंटी द्वारा इस अवधि की देयता दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक जमा कर दी गई हो।
175/14	बसंतकुंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण के ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा आवंटन पत्र में देय तिथि (DUE DATE) के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किया गया है, को 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/15	उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित/अंगीकृत की गई।
175/16	प्राधिकरण की व्यवसायिक, आवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।	

निर्णय

सम्यक् विचारापेरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों में लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था	एतद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 15% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 9%, एल0आई0जी0 हेतु 10% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 11% तथा व्यवसायिक की 13% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु रिजर्व बैंक की दरों को देखते हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 8%, एल0आई0जी0 हेतु 8.50% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11.50% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 7%, एल0आई0जी0 हेतु 8% तथा एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">
<table>
<tr>
<td><u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u>
समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 9, 10, 11 व 13 में) 3% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।</td>
<td><u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u>
समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 8%, 8.50%, 9% व 11.50% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।</td>
<td><u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u>
समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 7%, 8%, 9% व 11% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>175/17</td>
<td>प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नवत् अनुमोदित किया गया:–
1. 45 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 6% की छूट।
2. 60 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 5% की छूट।
3. 75 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 4% की छूट।
4. 90 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 3% की छूट।
साथ ही किश्तों में भुगतान किये जाने की अवधि को बढ़ाकर 02 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>175/18</td>
<td>सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु 3.45 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु लखनऊ मेट्रो हेतु आरक्षित भूमि में से 3.45 एकड़ भूमि दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>175/19</td>
<td>लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयावधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>175/20</td>
<td>लखनऊ विकास प्राधिकरण में 16 वर्ष से अधिक पुराने 11 अद्द अम्बेस्डर पेट्रोल वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं</td>
<td>सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</td>
</tr>
</table>

	नीलामी कर बेचे जाने की अनुमति के साथ–साथ निष्प्रयोज्य हो रहे वाहनों के सापेक्ष नये वाहन वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत तीन नये वाहन (इनोवा क्रिस्टा –पेट्रोल) शीघ्र क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	
175/21	लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः– 1. किसी चूक अथवा विवाद के कारण पूर्व से आवंटित भूमि/भूखण्ड का समायोजन भूखण्ड में नहीं किया जायेगा। 2. यदि प्राधिकरण की किसी चूक अथवा विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन /भूखण्ड) का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटी की सहमति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा सकेगा। 3. आवंटी के द्वारा जमा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए समायोजित किये जाने वाले फ्लैट में समयोजित कर दी जायेगी। 4. यदि आवंटी भवन/भूखण्ड का पहले आओ, पहले पाओ योजनान्तर्गत फ्लैट में समायोजन नहीं चाहता है, तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए उसे वापस कर दिया जाय।
175/22	प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से 04 सेवानिवृत्त अमीन को रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से अमीन/लेखपाल/सर्वेयर रखे जाने का निर्णय लिया गया।
175/23	नागेन्द्र मिश्रा, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

175/24	स्व0 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, कनिष्ठ लिपिक की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
175/25	स्व0 श्री दिलीप कुमार, चौकीदार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/01	इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम–बाघामऊ पर प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/02	श्री ज्ञानेश्वर सिंह, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपूरक 175/03	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या –सीपी–89 व सीपी–90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपूरक 175/04	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष दो माह का अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः– 1. वर्तमान महायोजना 2031, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, उसके बाद अनाधिकृत रूप से बनाये गये समस्त होटलों, जिनमें सीलिंग आदेश निर्गत हो चुके है, उन पर सर्वप्रथम् प्राथमिकता पर कार्यवाही। 2. अनाधिकृत रूप से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत निर्माणाधीन रो–हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही। 3. बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत अवैध रूप से कराई जा रहीं प्लाटिंगों के विरूद्ध कार्यवाही। 4. बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से निर्माणाधीन बड़े काम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेन्टर व अन्य बड़े व्यवसायिक संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही।

अनुपूरक 175/05	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि को नवीन आवासीय योजना संचालित किये जाने हेतु लैण्ड पूलिंग अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27.09.2022 में प्रतिभाग करने वाले सदस्य

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	सुश्री रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ।	9415005000	
3.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	976103[illegible]	
4.	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
5	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	9878955674	
6	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, अपर निदेशक कोषागार प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	9452187924	
7	श्री एस0के0 शर्मा, महाप्रबन्धक, गोमती प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। Mahesh Km PM	9473941836	
8	श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	8195810112	
9	सुश्री कंचन, संयुक्त निदेशक उद्योग, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	7355719130	
10	डा0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।		
11	श्री विशाल भारती, सहयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।	9415178016	
12	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415425438	
13	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415464495	
14	श्री राम कृष्ण यादव, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415181067	
15	श्री राघवराम तिवारी, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9453818562	
16	श्री संजय सिंह राठौर, पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9794500000	
17	श्री मुसव्विर अली "मंशू", पार्षद / सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।		

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>विषय संख्या : 1</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>अनुपालन</u> नोट किया गया।

<u>विषय संख्या : 2</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिये गयेः—

- विषय संख्या—5 मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ से भी इस आशय की आख्या प्राप्त कर ली जाय कि पूर्व में भूमि ऊसर में दर्ज थी, तो किस प्रकार खातेदार को प्राप्त हुई। पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- विषय संख्या—6 विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार, सेक्टर—4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या—4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने विषयक प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- विषय संख्या—12 उ0प्र0 शासन की हाई—टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों के साथ आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बैठक आहूत कराई जाय।

अनुपालन	• विषय संख्या–05 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्र संख्या–735/एसी/तह0/2022 दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–36 रकबा 0.190 हे0 भूमि किस आदेश/आधार पर ऊस के खाते से भूमिधरी के खाते में दर्ज हुई है, के सम्बन्ध में अभिलेखों का परीक्षण कराते हुए 01 सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उपजिलाधिकारी, तहसील–सरोजनी नगर को प्रेषित किया गया है। • विषय संख्या–06 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। • विषय संख्या–12 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–3300/इइ/एचटीआईजी/2022 दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से प्रतिबन्धों की शर्तों के साथ डी0पी0आर0 शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।
विषय संख्या : 3	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
अनुपालन	नोट किया गया।
विषय संख्या : 4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार (1–लखनऊ महानगर के अन्तर्गत सरोजनी नगर विकास खण्ड, काकोरी विकास खण्ड, मलिहाबाद विकास खण्ड, बख्शी का तालाब विकास खण्ड, गोसाईगंज विकास खण्ड वं मोहनलालगंज विकास खण्ड के समस्त क्षेत्र एवं जनपद लखनऊ की नगर पंचायतें, 2–यूपी सीडी/लीडा के अन्तर्गत जनपद–लखनऊ का क्षेत्र, 3–जनपद बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड, देवा विकास खण्ड, बंकी विकास खण्ड व नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र) दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में विस्तारित क्षेत्र के साथ यदि अनुमोदन के बाद महायोजना बनायी जायेगी, तो उसमें लैण्डयूज पैटर्न का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा।
अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1626/सचिव/मु0न0नि0/22 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी

नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 5

उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी0ओ0डी0 जोन्स का चिन्हांकन एवं टी0ओ0डी0 जोन्स का जोनल प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही महायोजना में टी0ओ0डी0 जोन्स का चिन्हांकन एवं टी0ओ0डी0 जोन्स का जोनल प्लान यूपी मेट्रो के माध्यम से तैयार कराये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1625/सचिव/मु0न0नि0/22 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 6

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2011/2016) में प्राविधानित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति हेतु न्यूनतम मापदण्डों में संशोधन विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार सभी प्रकार के होटल, व्यवसायिक काम्पलेक्स, कोचिंग सेन्टर, हॉस्पिटल /नर्सिंग होम व विद्यालय आदि हेतु अग्निशमन की अनापत्ति आवश्यक होगी। साथ ही अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति हेतु आवेदन के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/स्वीकृत मानचित्रों को यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रेषित किया जायेगा, तो उसका परीक्षण करते हुए उन्हें आख्या प्रेषित की जायेगी।

अनुपालन

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1624/सचिव/मु0न0नि0/22 दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्यिक सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु सलाहकार फर्म के चयन का प्रस्ताव।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सैद्धान्तिक सहमति के अनुपालन में सलाहकार फर्म के चयन हेतु आर0एफ0पी0/आर0एफ0क्यू0 तैयार किये जाने हेतु अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।
विषय संख्या : 8	Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा Contractor Registration and Tender Evaluation Software (CRATES) द्वारा ठेकेदारों का पंजीकरण एवं निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु (CRATES) को लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने विषयक संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि यूपी डेस्को के साथ हुए उच्च स्तरीय विचार– विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों का आयाम लोक निर्माण विभाग की अपेक्षाकृत कम है, अतः लोक निर्माण विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाय। इसमें जो भी व्यय आयेगा, उसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से निर्माण/विकास कार्यों हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण, निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित साफ्टवेयर उपयोग के सम्बन्ध में परामर्श/अभिमत हेतु अनुरोध किया गया है।
विषय संख्या : 9	मोहान रोड आवासीय योजना के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण एवं ओमेक्स लिमिटेड के मध्य निष्पादित कन्शेसन अनुबन्ध दिनांक 06.01.2022 को निरस्त किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण उक्त योजना को शीघ्र स्वयं विकसित करेंगा। साथ ही यह निर्देश दिये गये कि ओमेक्स लिमिटेड के विरूद्ध कोई देयता हो, तो उसकी रिकवरी भी सिक्योरिटी धनराशि से करते हुए अवशेष धनराशि वापस की जाय।
अनुपालन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मेसर्स ओमेक्स लि0 के मध्य निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेन्ट अनुबन्ध दिनांक 06.01.2022 को निरस्त करते हुए पत्र संख्या–635/सचिव/अ0अ0–3/2022–23 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से मेसर्स ओमेक्स लि0 को सूचित कर दिया गया है। मोहान रोड आवासीय योजना स्वयं विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

विषय संख्या : 10 — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने के लिए बाण्ड जारी किये जाने हेतु ट्रान्जेक्शन एडवाइजर कम मर्चेन्ट बैंकर नामित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बिड के आधार पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य नगर नियोजक तथा समस्त विशेष कार्याधिकारी को योजना के चिन्हींकरण हेतु दिनांक 07.10.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है, योजना के अन्तिम रूप होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 11 — ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं हेतु प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट, फुल फिजीबिलिटी स्टडी, प्रोक्योरमेन्ट रिपोर्ट तैयार करने, योजना के फाइनेन्सिली वाइबिल होने, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विक्रय किये जाने तथा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार करने, उपलब्ध आर्थिक संसाधन को समुचित ढंग से निवेश करते हुए उसके सापेक्ष अधिकतम आउटपुट प्राप्त किये जाने, विक्रय प्रोत्साहन बढ़ाये जाने, आय के संसाधन हेतु कार्य –योजना तैयार कराने तथा निवेशकों के मध्य प्राधिकरण की योजनाओं की परिसम्पत्तियों को बिक्री किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने, अनिस्तारित सम्पत्तियों की बिक्री हेतु मार्केट रेट का अध्ययन, अन्य सम्पत्तियों से तुलना एवं बिक्री योग्य बनाने से सम्बन्धित तथा भविष्य में आने वाली सम्पत्तियों के बिक्री हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार किये जाने के उद्देश्य से ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु ई0ओ0आई0 (Expression of Intrest) आमंत्रित कर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में ट्रान्जेक्शन एडवाइजर फर्म की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 तैयार किये जाने के लिए अपर निदेशक, रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड एनवायमेन्टल स्टडीज लखनऊ को पत्र दिनांक 20.10.2022 को प्रेषित किया गया। आर0एफ0पी0 शर्त आदि प्राप्त होने पर आफर प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 12 — उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण,

उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (नामान्तरण, प्रभार, निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली –2022 अवलोकित/अंगीकृत की गई।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 13 कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल, 2021 से मई, 2021 तक की समयावधि को शून्य मानकर गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के दृष्टिगत 01 अप्रैल, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक की अवधि को शून्य मानते हुए गणना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि आवंटी द्वारा इस अवधि की देयता दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक जमा कर दी गई हो।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 14 बसंतकुंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण के ऐसे आवंटियों जिनके द्वारा आवंटन पत्र में देय तिथि (DUE DATE) के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किया गया है, को 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 15 उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (जल शुल्क निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली–2022 अवलोकित/अंगीकृत की गई।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 16 प्राधिकरण की व्यवसायिक, आवासीय सम्पत्तियों के आवंटियों से लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारापेरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों में लिए जाने वाले ब्याज दरों में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था	एतद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 15% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 9%, एल0आई0जी0 हेतु 10% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 11% तथा व्यवसायिक की 13% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु रिजर्व बैंक की दरों को देखते हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 8%, एल0आई0जी0 हेतु 8.50% तथा एम0आई0जी0 /एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11.50% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	<u>प्रस्तर-1 पृष्ठ 02 क्रमांक-'छ'</u> का ब्याज उस अवधि का लिया जायेगा जिस अवधि में विकास होना निश्चित हुआ है और यह ब्याज तब तक लगेगा जब तक आय प्राप्त होना प्रारम्भ न हो जाय, ब्याज की दर वही रहेगी जिस दर से ऋण लिया गया है। यदि ऋण नहीं लिया गया है तथा योजना स्ववित्त पोषित है तो ब्याज 12% लिया जायेगा। <u>प्रस्तर-6 किश्तों में ब्याज पर</u> एक ही श्रेणी की सम्पत्ति के लिए ऋणदायी संस्था द्वारा विभिन्न दरों से ऋण देने की स्थिति में अधिकतम दर में 1% जोड़कर प्राप्त दर से किश्तें की जायेगी। यदि कोई ऋण नहीं लिया गया है तो वर्तमान में परिवेश को देखते हुए ई0डब्लू0एस0 हेतु 7%, एल0आई0जी0 हेतु 8% तथा एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 हेतु 9% तथा व्यवसायिक की 11% से किश्तें निर्धारित की जायेगी परन्तु ऋणदायी संस्थाओं की दरों को दृष्टिगत हुए समय-समय पर ब्याज दर मे संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।
<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 9, 10, 11 व 13 में) 3% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित	<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 8%, 8.50%, 9% व 11.50% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें	<u>प्रस्तर-7 (क) धनराशि समय से जमा न करने पर अतिरिक्त ब्याज के सम्बन्ध में।</u> समय से धनराशि जमा न करने पर जिस दर से किश्त की गयी है उस दर से (किश्तें न होने पर उपरोक्त प्रस्तर-6 की दर क्रमशः 7%, 8%, 9% व 11% में) 2% और जोड़कर वार्षिक चक्रवृद्धि दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा। उपरोक्त अतिरिक्त ब्याज की दरें प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित

परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।	प्राधिकरण बैठक के निर्णय के पश्चात आवंटित परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।	परिसम्पत्तियों पर की प्रभावी होगी।

अनुपालन — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 17 — प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अनिस्तारित आवासीय फ्लैटों में पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नवत् अनुमोदित किया गयाः–

1. 45 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 6% की छूट।
2. 60 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 5% की छूट।
3. 75 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 4% की छूट।
4. 90 दिवस में 90% धनराशि जमा करने पर 3% की छूट।

साथ ही किश्तों में भुगतान किये जाने की अवधि को बढ़ाकर 02 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आवंटियों को छूट प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 18 — सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु 3.45 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु लखनऊ मेट्रो हेतु आरक्षित भूमि में से 3.45 एकड़ भूमि दिये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सीजी सिटी चकगंजरिया परियोजना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को फ्रन्ट्रियर मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु लखनऊ मेट्रो हेतु आरक्षित भूमि में से 3.45 एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार कर उचित दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु पत्र संख्या–364/उपाध्यक्ष/बल्कसेल/22 दिनांक 07.10.2022 शासन को प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 19 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के फ्रीज मूल्यों की समयावधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

<u>विषय संख्या : 20</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण में 16 वर्ष से अधिक पुराने 11 अद्द अम्बेस्डर पेट्रोल वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने एवं नीलामी कर बेचे जाने की अनुमति के साथ–साथ निष्प्रयोज्य हो रहे वाहनों के सापेक्ष नये वाहन वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत तीन नये वाहन (इनोवा क्रिस्टा–पेट्रोल) शीघ्र क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 17.11.2022 को 16 वर्ष से अधिक पुराने 11 अद्द अम्बेस्डर पेट्रोल वाहनों की नीलामी करा दी गयी है तथा 03 नये वाहन (इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल) क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है।

<u>विषय संख्या : 21</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न प्रकार की आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

1. किसी चूक अथवा विवाद के कारण पूर्व से आवंटित भूमि/भूखण्ड का समायोजन भूखण्ड में नहीं किया जायेगा।
2. यदि प्राधिकरण की किसी चूक अथवा विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड) का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटी की सहमति के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा सकेगा।
3. आवंटी के द्वारा जमा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए समायोजित किये जाने वाले फ्लैट में समयोजित कर दी जायेगी।
4. यदि आवंटी भवन/भूखण्ड का पहले आओ, पहले पाओ योजनान्तर्गत फ्लैट में समायोजन नहीं चाहता है, तो उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए उसे वापस कर दिया जाय।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन कराया जा रहा है।

<u>विषय संख्या : 22</u> प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से 04 सेवानिवृत्त अमीन को रखे जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के अर्जनीय कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु प्रतिनियुक्ति पर अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से अमीन/लेखपाल/सर्वेयर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

<u>विषय संख्या : 23</u> नागेन्द्र मिश्रा, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

<u>विषय संख्या : 24</u> स्व0 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, कनिष्ठ लिपिक की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

<u>विषय संख्या : 25</u> स्व0 श्री दिलीप कुमार, चौकीदार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

<u>अनु0वि0सं0 : 01</u> इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ में ग्राम–बाघामऊ पर प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u> सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>अनुपालन</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के

पत्र संख्या–1594/EE/HTIG/2022 दिनांक 07.11.2022 के माध्यम से प्रतिबन्धों की शर्तों के साथ शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

अनु0वि0सं0 : 02 श्री ज्ञानेश्वर सिंह, अवर अभियन्ता की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अनु0वि0सं0 : 03 प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–सीपी–89 व सीपी–90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पत्रावली पर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1014/इइ/मैप/2022 दिनांक 19.10.2022 के माध्यम से प्रतिबन्धों की शर्तों के साथ दो एकीकृत भूखण्ड शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

अनु0वि0सं0 : 04 लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष दो माह का अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गयेः–

1. वर्तमान महायोजना 2031, जो वर्ष 2016 से प्रभावी है, उसके बाद अनाधिकृत रूप से बनाये गये समस्त होटलों, जिनमें सीलिंग आदेश निर्गत हो चुके है, उन पर सर्वप्रथम् प्राथमिकता पर कार्यवाही।
2. अनाधिकृत रूप से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत निर्माणाधीन रो–हाउसिंग व ग्रुप हाउसिंग निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही।
3. बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत अवैध रूप से कराई जा रहीं प्लाटिंगों के विरूद्ध कार्यवाही।
4. बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से निर्माणाधीन बड़े

काम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेन्टर व अन्य बड़े व्यवसायिक संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अनु0वि0सं0 : 05 लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारर्पोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारर्पोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि को नवीन आवासीय योजना संचालित किये जाने हेतु लैण्ड पूलिंग अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त ग्रामों की भूमि का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त गूगल मैप पर भूमि दर्शित कर ली गई है। राजस्व नक्शे पर खसरावार/ग्रामवार विवरण चिन्हित करने की प्रक्रिया में है। साथ ही उक्त ग्रामों की भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहयोग से अर्जन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार कराया जा रहा है।

विषयः उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना 2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टी0ओ0डी0 जोन से संबंधित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

आख्याः

अवगत कराना है कि भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) तैयार की गयी। लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.06.2022 में मद सं0–174/03 में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के क्रम में लखनऊ महायोजना–2031 (कनवर्जन प्रारूप) को जन–सामान्य के अवलोकनार्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ भूतल स्थित कमेटी हाल एवं सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, एल0डी0ए0 काम्पलेक्स, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ कार्यालय में दिनांक 21.07.2022 से 20.08.2022 तक एवं तिथि में बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 09.09.2022 तक आमंत्रित की गयी थीं। जिनकी सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक की जा चुकी हैं।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2754/आठ–3–2022, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने एवं तद्नुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा नगर के प्रारूप महायोजनाओं में टी0ओ0डी0 जोन्स का सीमांकन किया गया है परन्तु टी0ओ0डी0 जोन की वास्तविक सीमाओं का परिसीमन/सीमांकन क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे, सड़के, रेलवे लाईन, नदियों, नालियों आदि, अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होने के कारण महायोजनओं में प्रस्तावित टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं का परिसीमन पुनः किया जाना होगा। उक्त शहरों हेतु तैयार किये जा रहे महायोजना प्रारूपों में प्रस्तावित टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने से महायोजना प्रारूपों में टी.ओ.डी. जोन्स के चिन्हांकन में परिवर्तन संभावित होने के दृष्टिगत विधिक एवं प्रकियाजन्य कारणों से

नियोजन अनुभाग

विक्रम सिंह
ए0 पी0 ए0
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
प्रभारी मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

टी.ओ.डी. जोन्स के निर्धारण हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही अपरिहार्य है।

शासनादेश सं0–2754/आठ–3–2022, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के अनुसार लखनऊ महयोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) में प्रस्तावित टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के क्रम में संशोधित परिसीमन/सीमांकन नोडल एजेन्सी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा चयनित कन्सल्टेन्ट के माध्यम से सर्वे/परिसीमन/सीमांकन कर लिया गया है। तदानुसार लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर पूर्व में आमंत्रित किये गये आपत्ति/सुझावों को सम्मिलित करते हुए शासनादेश सं0–2754 दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के क्रम में उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 (ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट) जोन से संबंधित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से 15 दिवस की समयावधि में आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना 2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टी0ओ0डी0 जोन से संबंधित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट
नियोजन अनुभाग

विक्रम सिंह
स0 वी0 स0
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
प्रभारी मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण

महत्वपूर्ण/ई–मेल
संख्या– 2754/आठ–3–2022

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 1804
दिनांक 29/X/22

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा विकास प्राधिकरण।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 28 अक्टूबर, 2022

विषय :–उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2120/आठ–3–22–198 विविध/2014 दिनांक 24.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर–3.2.1 में प्राविधान निम्नवत् हैं :–

"महायोजना में टी.ओ.डी. जोन्स सीमांकन एवं समायोजन हो जाने पर विकास प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार की टी.ओ.डी. नीति, 2017 में यथा निर्धारित उद्देश्यों और सिद्धान्तों के आधार पर टी.ओ.डी. जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेण्ट प्लान्स तैयार किए जाए।"

2– उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के उक्त प्राविधानों के अनुसार जोनल डेवलपमेण्ट प्लान तैयार करने से पूर्व महायोजना में टी.ओ.डी. जोन्स का सीमांकन होना आवश्यक है। प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक–1236/टी.ओ.डी./मास्टर प्लान/2022–23 दिनांक 21.10.2022 में उल्लिखित है कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्बन्धित नगर के प्रारूप महायोजनाओं में टी.ओ.डी. जोन्स का सीमांकन किया गया है परन्तु टी.ओ.डी. जोन की वास्तविक सीमाओं का परिसीमन/सीमांकन क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं जैसे, सड़कें, रेलवे लाईन, नदियों, नालियों आदि, अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नही होने के कारण महायोजनाओं में प्रस्तावित टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं का परिसीमन पुनः किया जाना होगा।

उक्त शहरों हेतु तैयार किये जा रहे महायोजना प्रारूपों में प्रस्तावित टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने से महायोजना प्रारूपों में टी.ओ.डी. जोन्स के चिन्हांकन में परिवर्तन संभावित होने के दृष्टिगत विधिक एवं प्रक्रियाजन्य कारणों से टी.ओ.डी. जोन्स के निर्धारण हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही अपरिहार्य है।

3– यह भी अवगत कराना है कि उ.प्र. ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्रस्तर 3.4.12 में प्राविधान है कि ***"महायोजनान्तर्गत कृषि भूमि उपयोग में जहां "हाई पोटेन्शियल क्षेत्र" चिन्हित किये गये है, वहां जोनल डेवलमेण्ट प्लान तैयार करने के पूर्व ट्रांजिट एजेन्सी के साथ परामर्श करके महायोजना में ऐसे क्षेत्रों के भू–उपयोग को संशोधित किया जायेगा।"*** मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उल्लेख किया गया है कि एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा तैयार किये जा रहे दिल्ली–मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरीडोर में हाई पोटेन्शियल क्षेत्र के रूप में चार स्पेशल डेवलपमेण्ट एरिया प्रस्तावित किये गये हैं जिनमें से दो स्पेशल डेवलपमेण्ट एरिया गाजियाबाद विकास क्षेत्र में एवं दो स्पेशल डेवलपमेण्ट

एरिया मेरठ विकास क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। इनमें से तीन स्पेशल डेवलपमेण्ट एरिया के अन्तर्गत भू–उपयोग प्रस्तावित हैं परन्तु मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित एक स्पेशल डेवलपमेण्ट एरिया कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत है जिसमें भू–उपयोग प्रस्तावित न होने के कारण भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता है।

4– प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्तर पर संबंधित विकास प्राधिकरणों, एन.सी.आर.टी.सी. आदि के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21.10.2022 को सम्पन्न बैठक में हुये विचार–विमर्श के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उक्त शहरों के अन्तर्गत प्रस्तावित टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने एवं तद्नुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर पुनः जनसामान्य से 15 दिवस की समयावधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित हेतु निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उ.प्र. ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी.ओ.डी. जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने एवं तद्नुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

विषयः–लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि एवं लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसानपथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये जाने विषयक।

लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि एवं लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसानपथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर दूरी तक भूमि पर नियोजित विकास/आवासीय योजना संचालित की जाने वाली भूमियों को अवैध/अनियोजित कालोनियों के निर्माण से सुरक्षित रखने हेतु सुनियोजित विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से उनके भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम द्वारा अर्जन की कार्यवाही की जानी है।

अर्जन के उपरान्त जिन भूमियों पर आवास विकास परिषद अपनी आवासीय योजना विकसित करेगा एवं जिन भूमियों का सुनियोजित विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा, इसके लिए दोनों के मध्य पारस्परिक समझौता किया जायेगा। जिन भूमियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना/नियोजन करेगा, इसके आनुपातिक अर्जन व्यय की धनराशि ल0वि0प्रा0 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को प्रदान की जायेगी। उपरोक्तानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से सहमति प्राप्त किया जाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव :</u>

लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि एवं लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसानपथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर दूरी तक भूमि पर नियोजित/विकसित आवासीय योजना संचालित की जाने वाली भूमियों को अवैध/अनियोजित कालोनियों के निर्माण से सुरक्षित रखने हेतु सुनियोजित विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के माध्यम से उनके भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम द्वारा अर्जन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(शशि भूषण पाठक)
तहसीलदार- अर्जन
ल0वि0प्रा0

विषय संख्या-05

विषयः-**गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मी0 रोड के निर्माण की योजना हेतु हितबद्ध कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मीटर रोड के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम-अरदौनामऊ, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ की लगभग क्षे0-8.341 हे0 भूमि पड़ती है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम-अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम-अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ की लगभग क्षे0-8.341 हे0 भूमि आती है, जिसे भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की प्रारम्भिक अधिसूचना के शीघ्र प्रकाशन एवं भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु उसमें खर्च हाने वाली धनराशि से अवगत कराने हेतु विभागीय पत्र संख्या-631/एसी./तह./2019 दिनांक 18.09.2019 के माध्यम जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-769/अ0 जि0अ0 (भू0अ0)/न0म0पा0-1, लखनऊ दिनांक 13.01.2020 को गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम--अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम-अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ की लगभग क्षे0-8.341 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 की अधिसूचना निर्गत की गयी है।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-3098/अ0जि0अ0 (भू0अ0)/न0म0 पा0-1, लखनऊ दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम-अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं स्टेडियम के उत्तरी

(शशि भूषण पाठक)
तहसीलदार- अर्जन
ल0वि0प्रा0

दिशा में 45 मी0 रोड के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम–अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ की लगभग क्षे0–8.341 हे0 भूमि के सम्बन्ध में "भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की व्यवस्था के अनुक्रम में सामाजिक समाघात प्रबन्धन कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट का प्रकाशन दिनांक 29.10.2022 को किया जा चुका है।

प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मी0 रोड के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम–अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ की लगभग क्षे0–8.341 हे0 भूमि से प्रभावित हितबद्ध कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>प्रस्तावः</u>

गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे एवं इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मीटर रोड के निर्माण की योजना के अन्तर्गत ग्राम–अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ की लगभग क्षे0–8.341 हे0 भूमि से प्रभावित हितबद्ध कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(शशि भूषण पाठक)
तहसीलदार- अर्जन
ल०वि०प्रा०

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
लखनऊ।

पत्रांकः 631 /ए.सी. /तह. /2019 दिनांकः 18.09.2019

विषयः **गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे के निर्माण की योजना के के अन्तर्गत आने वाले खसरा संख्याओं का क्षे0–8.341 हे0 भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका सम्बन्ध गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे के निर्माण की योजना के के अन्तर्गत आने वाले खसरा संख्याओं की क्षे0–8.341 हे0 भूमि अर्जन किये जाने से है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम–अरदौनामऊ तहसील सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ की 8.341 हे0 भूमि पर गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे के निर्माण की योजना के लिए भूमि अर्जित किये जाने हेतु प्रस्ताव के साथ अर्जित की जाने वाली भूमि के खसरा नम्बरों की खतौनी की छायाप्रतियां संलग्न है। प्रस्ताव में सम्मिलित भूमि का भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना है।

अतः मूल प्रस्ताव दो प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि ग्राम अरदौनामऊ परगना मोहनलालगंज, तहसील मोहनलालगंज लखनऊ की 8.341 हे0 भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की प्रारम्भिक अधिसूचना के शीघ्र प्रकाशन एवं भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु उसमें खर्च होने वाली धनराशि से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः</u>–यथोपरि।

भवदीय

18/9/19

(एम0 पी0 सिंह)
सचिव

MRMGF Letter 2019-20 Suresh

कार्यालयः जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्र सं0 767 /अ0जि0अ0(भू0अ0)/न0म0पा0–1, लखनऊ दि0 13 जनवरी,2020

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 नियम 3 (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत गोमती नदी के दाँये तटबंध पर अमर शरीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे की निमोण योजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 8.341 हे0 भूमि की आवश्यकता स्थाई रूप से है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही से पूर्व चयनित एजेन्सी द्वारा लोक हित में सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) व सामाजिक प्रबन्धन योजना तैयार किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1	अपेक्षक निकाय का नाम	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
2	प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य	गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत गोमती नदी के दाँये तटबंध पर अमर शरीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे की निर्माण योजना क्षेत्रफल 8.341 हे0
3	संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा।	जीयो ग्रीन इनवायरो हाउस प्रा0लि0, लखनऊ
4	संगठन का सम्पर्क विवरण	जीयो ग्रीन इनवायरो हाउस प्रा0लि0, 403 ऐमान अमार्टमेण्ट, 29 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ 226024 दूरभाष : 0522–2339001, 9415215163 ई–मेल– vkm.geo @gmail.com
5	प्रस्तावित भूमि का विवरण	

क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	सरोजनीनगर	अरदौनामऊ	328	0.0482
				343	0.1290
				346	0.0810

				343	0.1290
				346	0.0810
				347	0.0841
				348	0.2690
				350	0.2720
				351	0.1990
				352	0.0690
				353	0.0510
				354	0.0130
				358	1.000
				360	0.0250
				361	0.0920
				362	0.0790
				363	0.2250
				364	0.0910
				365	0.1900
				366	0.9610
				368	0.5060
				369	0.7360
				370	0.0520
				371	0.0750
				372	0.0810
				373	0.0800
				374	0.0730
				375	0.0630
				376	0.0380
				377	0.0250
				378	0.0130
				381	2.3400
				367	0.0690
				342	0.1700
				339	0.0730
				341	0.0690
योग				34	**8.341 हे0**

1: प्रस्तावित भूमि, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत गोमती नदी के दाँये तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बंधे की निर्माण

योजना में स्थित है, जिसके अर्जन होने से योजना का सुनियोजित विकास आसान होगा।

2: प्रस्तावित भूमि का अर्जन परियोजना के सुनियाजित विकास हेतु किया जाना है, जिसके लिए गांव सभा/अथवा भू-स्वामी की सहमति की आवश्यकता नही है।

3: सामाजिक समाघात का निर्धारण, चयनित एजेन्सी द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

टिप्पणी : उक्त योजना सम्बन्धी विस्तृत विवरण कलेक्टर, लखनऊ/ अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन), नगर महापालिका- प्रथम, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखा जा सकता है।

(अभिषेक प्रकाश),
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

जिलाधिकारी,
लखनऊ

संख्या - 47(1)/एक-13-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, अनुभाग-13, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
(5) निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त लखनऊ।
(7) निदेशक, जीयो ग्रीन इनवायरो हाउस प्रा0लि0, 403 ऐमान अमार्टमेण्ट, 29 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ 226024 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

1279/AC/त०अर्जन 10-11-2022

2669/OSD(A)/22 09/11/22

1190/सचिव 3-11-22

कार्यालयः जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्र संख्या 3098 / अ0जि0अ0(भू0अ0) / न0म0पा0–1, लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित गोमती नगर विस्तार के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम अरदौनामऊ की सरहद तक बन्धे की निर्माण योजना हेतु ग्राम अरदौनामऊ की 8.341 हे0 भूमि के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की व्यवस्था के अनुक्रम में सामाजिक समाघात प्रबन्धन कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट का प्रकाशन दिनांक 29.10.2022 को किया जा चुका है। प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत अर्जन की प्रक्रिया शीघ्र निस्तारित जाने हेतु कमेटी निम्नवत् गठित की जा रही है :–

क्रम	पदनाम	कमेटी में नामित पद
1	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (भू.अ.–2) लखनऊ	सदस्य
3	अधिशाषी अभियन्ता (सिंचाई) लखनऊ	सदस्य

उक्त कमेटी अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे कि वर्तमान में अधिग्रहण हेतु गतिमान प्रक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और यदि समय बचाने के लिए अर्जेन्सी क्लाज लगाई जाती है तो कितने समय की बचत होगी और कितना अतिरिक्त व्यय बढ़ जाएगा।

दिलीप
10/11/22

(सूर्यपाल सिंह गंगवार),
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
2 अपर जिलाधिकारी (भू.अ.–2) लखनऊ
3 अधिशाषी अभियन्ता (सिंचाई) लखनऊ

PA
प्रभारी अधिकारी (अर्जन)

03/11/22

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

त० (अर्जन)

(अमित राठौर)
कार्याधिकारी

मद संख्याः– 06

विषय :– ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के संरेखण में आने वाली रक्षा विभाग की भूमि लाईसेन्स पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में हरदोई रोड की ओर से लखनऊ, समता मूलक चौराहा, शहीद पथ एवं किसान पथ को जोड़ने हेतु कोई सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा जो मार्ग उपलब्ध हैं, उन पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने के कारण प्रायः जाम की स्थिति रहती है। उक्त के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ तक गोमती नदी के दोनों किनारों पर चार–चार लेन सड़क की परिकल्पना करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसको ग्रीन कॉरीडोर परियोजना कहा गया है। ग्रीन कॉरीडोर परियोजना हेतु नियमानुसार सलाहकार एजेन्सी को चयन करते हुए कार्य कराये जाने हेतु परिकल्पना एवं डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत सड़क के दृष्टिगत निम्न चार भागों में विभाजित किया गया हैः–

1. भाग–I, आई0आई0एम0 रोड से पक्का पुल, अनुमानित लागत रू0 1129.16 करोड़
   LHS-6.7 KM, RHS-5.8 KM
2. भाग–II, पक्का पुल से पिपराघाट तक, अनुमानित लागत रू0 2914.50 करोड़
   LHS-9.3 KM, RHS-9.4 KM
3. भाग–III, पिपराघाट से शहीद पथ तक, अनुमानित लागत रू0 1055.63 करोड़
   LHS-5.8 KM, RHS-5.2 KM
4. भाग–IV, शहीद पथ से किसान पथ तक, अनुमानित लागत रू0 2479.87 करोड़
   LHS-6.8 KM, RHS-6.5 KM

कुल लम्बाई LHS-28.6 KM, RHS-26.9 KM, कुल अनुमानित लागत रू0 7579.10 करोड़

ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के **भाग–III, पिपराघाट से शहीद पथ** के मध्य गोमती नदी के दायें बैंक पर तटबंध की लम्बाई 5.2 किमी0 जिसका नया बंधा बनना है। इस बंधे में 21.81 हेक्टेयर (लगभग 03 किमी0) रक्षा विभाग की भूमि आ रही है, जिसका नया संयुक्त सर्वे सिंचाई विभाग, ल0वि0प्रा0, टाटा कन्सल्टिंग रक्षा विभाग की अधिकारियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 05.10.2021 को किया जा चुका है। प्रस्तावित बंधा रक्षा विभाग के सर्वे संख्या–257, 257/3, 257/4, 261, 263 एवं 264 से गुजरेगा, जिसके लिए रक्षा की 21.81 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

(राज कुमार)
सहायक अभियन्ता

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य (राजस्व)
पी०आई०यू०, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

संजीव कुमार
अधिसाशी अभियन्ता

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर नं0–11015/2/2012/डी0लैंड नई दिल्ली, दिनांक 02.02.2016 के प्रस्तर–5, उप प्रस्तर–(सी) (ए) के अनुसार लाईसेंस पर रू0 1.00 से रू0 1000.00 प्रति वर्गमी0 अथवा प्रति रनिंग मीटर वार्षिक किराये का प्राविधान है। प्रस्तर–5, उप प्रस्तर–(सी) (ए) के अनुसार लाईसेंस के आधार पर रू0 1.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/यूटिलिटी के लिए रक्षा विभाग से 21.81 हेक्टेयर (लगभग 3.0 किमी0) भूमि लिये जाने हेतु सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, रक्षा भवन मुख्यालय, नई दिल्ली को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–138/उपा0सी0/पी0आई0यू0/2022, द्वारा आवेदन किया गया है।

उक्त के क्रम में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–13020/10/2022/D(Lands), दिनांक 05.05.2022 के माध्यम से अपनी आपत्ति की गयी है कि प्रस्तावित बन्ध द्वारा सेना की गोमती नदी और बन्ध के बीच में 100.00 एकड़ भूमि सैन्डविच के रूप में अनुपयोगी हो जायेगी। अतः बन्धें को उत्तर दिशा के बन्धें की तरह, नदी के समीप पुर्नव्यस्थित कर दिया जाये। एवं प्रश्नगत निर्माण स्थायी प्रकृति का होने के कारण Equal Value Land अथवा Equal Value Infrastructure उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में बन्धे एवं सड़क के निर्माण से जनसामान्य एवं सेना को मिलने वाले लाभ के दृष्टिगत युक्ति–युक्त उत्तर प्रेषित किया जा रहा है तथा प्राधिकरण के पक्ष में मूल प्रस्ताव के अनुसार अनुमति/स्वीकृति प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रश्नगत परियोजना जनहित, सार्वजनिक उपयोग की होने के दृष्टिगत लगभग 3.0 किमी0 लम्बाई में रक्षा विभाग की 21.81 हेक्टेयर भूमि ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के भाग–III के अन्तर्गत बन्धा निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर नं0–11015/2/2012/डी0लैंड नई दिल्ली, दिनांक 02.02.2016 के प्रस्तर–5, उप प्रस्तर–(सी) (ए) के अनुसार लाईसेंस पर रू0 1.00 प्रति रनिंग मीटर वार्षिक दर से न्यूनतम व्यय भार पर प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ, स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

(राज कुमार)
सहायक अभियन्ता

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य (राजस्व)
पी0आई0यू0, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

संजीव कुमार
अधिसाशी अभियन्ता

No 13020/10/2022/D(Lands)
Government of India
Ministry of Defence

Sena Bhawan, New Delhi
Dated 3rd May, 2022

To,

The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh
101, Lok Bhawan,
U.P. Civil Secretariat,
Vidhan Sabha Marg
Lucknow - 226001

Subject: Transfer of defence land measuring 53.887 for construction of 04 lane road from Pipraghat to Shaheed Path on both sides of Gomti River barrage.

Sir,

Please refer to a proposal forwarded by Lucknow Development Authority on the above mentioned subject vide Application ID No.25120220300 dated 08.03.2022 on the NOC portal of MoD

2. The matter has been examined. Army HQ has raised objection to the proposal stating that the proposed road would split the Military Farm land into two parts, thereby adversely impacting its utilization. Approximately, 100 acres of Military Farm land will get sandwiched between the road and Gomti river thus rendering it unusable. Hence, the bundh/road needs to be realigned closer to Gomti river as in case of existing bundh north of Gomti river.

3. It has also been observed that the proposed construction is permanent in nature. Therefore, the transfer of defence land for the subject proposal should be considered in lieu of Equal Value Land (EVL) or Equal Value Infrastructure (EVI) by the indenting agency.

4. It is pertinent to mention that working permission for public infrastructure projects on 14.99 acres of defence land at Lucknow was issued by MoD to UP State Govt on 12.09.2016 in lieu of EVL. Since the EVL did not materialize, EVI in form of water supply project from Sharda Sahayak Canal to Lucknow Cantonment was sought which is still awaited. In another case, working permission was issued by MoD to State Govt of UP on 15.01.2021 for construction of 220 KVA Sub Station on 5.4627 acres of defence land at Varanasi in lieu of EVI worth Rs. 48.87 crores. However, commitment by State Govt for EVI is still pending.

5. In view of the above, it is requested to consider the request of Army HQ to realign the project and forward a revised proposal alongwith commitment to provide EVL/EVI against permanent transfer of defence land.

Yours sincerely,

(R S Yadav)
Under Secretary (Lands-III)
Tele: 23014410

Reminder 39
by e-mail - dg-de@gov.nic

From,

Secretary
Lucknow Devlopment Authority
lucknow

To,

DGDE
AHQ
New Delhi

SUBJECT:-Permission of land transfer for developing embankment along the gomti river to control flood and use embankment for public transport.

LETTER NO :-206/PIU-LDA/22

DATED:-28/07/2022

Sir,

A case for the above subject was submitted online on dated:- 25/02/2022 application no:- 25120220300 for your permission .

I request you to kindly expedite the process to grant the permission for transfer of the land to Lucknow Development Authority for public infrastructure development.

Secretary
Lucknow Devlopment Authority
lucknow

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष – 0522–2307868
ई–मेल : ldavc@rediffmail.com

40

संख्या..138../उपा0 सी0/2022
पी॰आई॰यू॰

दिनांक..25-2-2022

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
रक्षा भवन मुख्यालय,
नई दिल्ली।

पत्रांक 138/पी0आई0यू0/2022 दिनांक 25 फरवरी, 2022

विषय लखनऊ शहर में गोमती नदी के दोनों तटबंधों पर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पार्ट–3 में रक्षा भूमि क्षेत्रफल–21.814 हे0 भूमि इंडेन्ट एथॉरिटी/लखनऊ विकास प्राधिकरण को लाइसेंस के आधार पर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिये एक परियोजना "लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट" लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार करायी गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ तक गोमती नदी के दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण/चौड़ीकरण तथा इसके ऊपर 04 लेन सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना को 04 पार्ट में विभाजित किया गया है–

1. पार्ट–1 आई0आई0एम0 रोड से हार्डिंग ब्रिज तक।
2. पार्ट–2 हार्डिंग ब्रिज से पिपराघाट तक।
3. पार्ट–3 पिपराघाट से शहीद पथ तक।
4. पार्ट–4 शहीद पथ से किसान पथ तक।

लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पार्ट–3 पिपराघाट से शहीद पथ मे प्रस्तावित तटबंध (लम्बाई लगभग 03 किमी0) व इसके ऊपर 04 लेन सड़क निर्माण के लिये 21.814 हे0 रक्षा भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। यह प्रोजेक्ट एक पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/यूटिलिटी प्रोजेक्ट है।

अतः भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर नम्बर–11015/2/2012डी(लैण्ड) नई दिल्ली दिनांक–02.02.2016 के पैरा–5(c)(a) के अन्तर्गत लाइसेंस के आधार पर 01 रूपये प्रति रनिंग मीटर की दर से पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर/यूटिलिटी के लिये रक्षा भूमि क्षेत्रफल 21.814 हे0 (लम्बाई लगभग 03 किमी0) का उपयोग लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कार्यो के लिये अनुमति प्रदान करने की प्रबल संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(अक्षय त्रिपाठी)
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष

लखनऊ ग्रीन कारिडोर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये तटबंध पिपराघाट से शहीद पथ तक रक्षा भूमि पर जनसेवा के उपयोगार्थ बंधा एवं सड़क निर्माण के लिये ल0वि0प्रा0 के प्रस्ताव पर संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक–05.10.2021 को सिचाई विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं रक्षा सम्पदा एवं सैन्य अधिकारियों के साथ रक्षा भूमि में प्रस्तावित बंधा के एलाइनमेंट पर पैदल चलकर निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सिचाई विभाग कें अधिकारियों ने तकनीकी मानकों के अनुसार बंधा से नदी की दूरी के दृष्टिकोण से गहन विचार करते हुए एलाइनमेंट **संलग्नक–1** का सर्वेक्षण किया गया तथा एलाइनमेंट के अनुसार रक्षा भूमि में प्रस्तावित बंधा की लम्बाई लगभग 2.8 किमी0 होगी तथा इसके लिये लगभग 21.813 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी, जिनका विस्तृत विवरण **संलग्नक–2** में दिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त रक्षा भूमि का उपयोग जनसेवा के उपयोगार्थ बंधा व सड़क बनाने के लिये रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर संख्या–11015/2/2012/डी(लैण्ड) नई दिल्ली दिनांक–02.02.2016 के पैरा–5 के उप–पैरा (सी)(ए) के प्राविधान पर लाइसेंस के आधार पर सार्वजनिक सेवा (सड़क आदि) सुविधाओं के लिये अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियंता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर,
लखनऊ

अधिशासी अभियंता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ अभियंता
टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स

31-12-21

सदस्य (राजस्व)
पी0आई0यू0, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ

प्रतिनिधि
डिफेंस स्टेट आफीसर
लखनऊ सर्किल, लखनऊ कैण्ट

प्रतिनिधि
चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर
कैण्टेनमेंट बोर्ड, लखनऊ कैण्ट

प्रतिनिधि
मुख्यालय मध्य उ0प्र0
सब एरिया (क्यू लैण्ड),
लखनऊ कैण्ट

संलग्नक–2

गोमती नदी के किनारे दॉये प्रस्तावित तटबंध पिपराघाट पुल से सेना की भूमि का विवरण

क्र0सं0	ग्राम का नाम	जनपद/तहसील	सर्वे संख्या	विभाग का नाम	कुल भूमि का क्षेत्रफल हे0 में	प्रस्तावित तटबंध अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल हे0 में
1	लखनऊ कैण्ट	लखनऊ/सदर	256	रक्षा भूमि		0.266
2	"	"	257	"		0.472
3	"	"	257/3	"		0.865
4	"	"	257/4	"		0.289
5	"	"	261	"		0.976
6	"	"	263	"		13.383
7	"	"	264	"		5.557
ग्राम सेना भूमि का योग						**21.81**

(विजय श्रीवास्तव)
वरिष्ठ अभियंता
टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स

(सत्यप्रिय)
अधिशासी अभियंता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर

(संजीव गुप्ता)
अधिशासी अभियंता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(अकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य (राजस्व)
गो०आई०यू० ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

py.docx

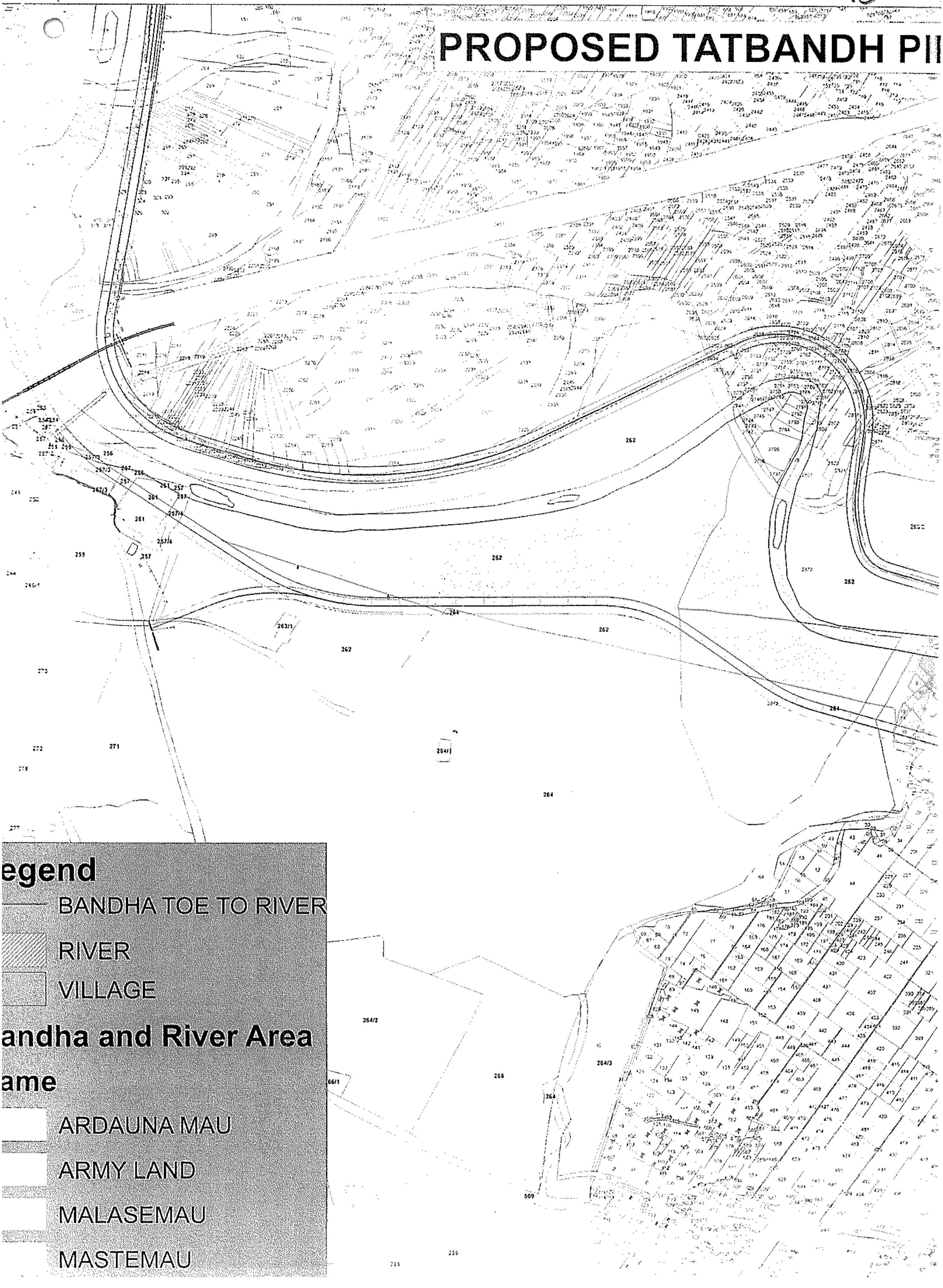
PROPOSED TATBANDH PI
egend
BANDHA TOE TO RIVER
RIVER
VILLAGE
andha and River Area
ame
ARDAUNA MAU
ARMY LAND
MALASEMAU
MASTEMAU

44

No. 11015/2/2012/D(Lands)
Government of India
Ministry of Defence

New Delhi
Dated 2nd February, 2016

To

1. The Chief of Army
2. The Chief of Air Staff
3. The Chief of Naval Staff
4. The Director General Defence Estates
5. The Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata
6. DG QA, New Delhi
7. DRDO New Delhi

Sub: Transfer of Defence land for Public utilities and Public infrastructure projects.

Sir,

The Ministry of Defence has been receiving requests for transfer of Defence land from Central Government Departments, State Governments and Organisations controlled by it as also local bodies, for execution of projects related to creation/up-gradation of Public infrastructure/utilities. Such requests have hitherto been processed in terms of MoD ID No. 11015/2/86/D(Land) dated 11.07.1986 and on the merits of each case. As a result of absence of any clearly laid down and comprehensive policy prescribing terms and conditions and procedures for processing such requests there have been delays and lack of uniformity in handling such requests. Several Ministries of the Government as also State Governments, have therefore, questioned the policy of the Ministry for providing Defence land and the time taken in arriving at a decision. The policy and procedure for providing defence land for Public utilities and Public infrastructure projects has therefore been reviewed in consultation with all stake holders in the Ministry. Following the review a Procedure for Transfer of Defence land for Public utilities and Public infrastructure projects was finalised and was circulated, vide this Ministry's letter of even number, dated 11.03.2015, to all Secretaries of the Ministries/Departments and all Chief Secretaries of the States & UTs. A copy of the same has also been circulated to Services and other Defence Organizations vide this Ministry's ID Note of even number dated 16.03.2015.

2. In order to complete the process of formulating a comprehensive policy on the subject of "Transfer of Defence land for Public utilities and Public infrastructure projects" it has been decided to additionally prescribe terms and conditions for different modes of Transfer of Defence Land and internal procedures for processing requests for transfer of Defence land from Central Government Departments, State Governments and Organisations controlled by it as also local bodies, for execution of projects related to creation/up-gradation of Public infrastructure/utilities. These are given in the following paragraphs.

3. General Aspects:

a. Keeping in view the operational requirement of Armed Forces no Defence land is normally permitted to be transferred for non-Defence use.

b. As an exception to this policy requests for Defence land received from Central Government departments, state Governments and organisations controlled by it as also

45

local bodies for execution of projects related to creation/upgradation of public infrastructure/utilities are considered on the merits of each case.

c. Land may be transferred for Public infrastructure/utility projects such as Roads, Flyovers and Road Over Bridges, Airports, Railway lines, Metro rail projects, Petroleum, Gas, water, electricity and sewerage pipe lines etc. by the Ministry after satisfying itself that it can be alienated without compromising the essential functions of the user service or by making suitable alternative provisions to enable the user agency to carry on with its essential functions smoothly.

d. Land will be considered for transfer only for projects being implemented by Central Government Departments, State Governments and organizations under their control as also by Local bodies. In the case of PPP projects transfer of Defence land will be considered only where the ownership of land will remain with the Government.

e. Transfer of Defence land is normally on the basis of exchange of equal value land to be provided by indenting authority. If, however, IA is neither a land owning agency or does not have an arrangement with State /UT Governments for providing land for the project transfer is considered on payment of current market value of land.

f. Land is also given on lease/license with premium and rent being fixed on the basis of nature of project.

g. The mode and terms of transfer of land for such projects would depend, essentially, upon the nature of the project, purpose being served, rights sought in the land proposed for transfer, time frame of the requirement i.e. permanent, long term or short term.

h. MoD shall retain the right to resume/reclaim ownership of the land transferred if the land is kept vacant or not used till a period of 5 years for the purpose for which it was transferred on refund of compensations originally received from the indenting agency in case of non utilisation of land. However compensation will not be refunded if land is utilised for other than the stated purpose without the prior approval of MoD.

4. Procedure and time lines for dealing with requests for transfer/alienation of defence land for Public Utilities and Public Infrastructure projects will be as specified vide letter no 11015/2/2012/D(Lands) dated 11.3.2015, communicated to Service Hqrs and other Defence Organisations vide ID Note of even number dated 16.3.2015.

5. **Terms and Conditions for different modes of Transfer of Defence Land.**

A. **Permanent Transfer of Land:** When land is required to be transferred permanently this would be done on the basis of the following principles:

a) Permanent transfer of land should be done on the basis of exchange of equal value land to be provided by the Indenting Authority. However, for linear projects where the Indenting Authority is neither a land owning authority nor does it have an arrangement with the State/ UT governments for providing land for the project and is therefore unable to provide equal value land partly or fully in exchange, transfer may be considered on (balance/full) payment of current market value. Market value of land will be fixed by DGDE in all cases based on STR or circle/ guideline rates of the State Government Inter-Departmental rates of land transfer will be used only where a Project authority has been specifically allowed by the Cabinet to obtain land on this basis from other Government entities.

b) Cash compensation in lieu of land will only be applicable where the indenting Authority is a Department/Ministry of the Central Government, State /UT Government and organisations fully owned and controlled by it as also local bodies.

Imp

change land on ment Cost

ase/Licence Premium ent

Pl. do Read

Pl. do Read

c) As regards permanent assets and services located on defence land proposed to be transferred or affected by the transfer in any manner, the present cost of construction/ reconstruction/ shifting/ relocation of the such assets and services as assessed by the MES/ CPWD/ DRDO or any other Public Works Organization would be deposited by the Indenting Authority with the Public Works Organization selected for the purpose by LMA/ MOD, before the land is handed over by the User Service/DEO to the Indenting Authority. The Public Works Organization will carry out the work of construction of such assets as a deposit work on alternative land, as per approval obtained from the competent authority by the User Service/Department/Organization. However, in the case of critical assets such as security wall etc. Indenting Authority should be asked to carry out the work of construction of these assets prior to demolition/removal of existing assets.

d) Defence land transferred permanently for a public project will be the minimum land operationally required for the project and will not be used for any other purpose or sub-allotted/ alienated to any other entity without the approval of the Ministry of Defence.

B: Transfer of Land on Lease: When the land is neither required permanently nor its ownership rights are required to be transferred, it may be transferred on lease hold basis, as per the requirement, on payment of an annual rent and one time premium. Rent and premium would be charged by adhering to the following general principles-

a) For public projects being implemented by the Central or State Government or by organisations/bodies owned or fully controlled by it and by local bodies with Government funding, rent will be calculated at normal rates i.e. 2.5% of value of land computed on the basis of STR, in case of Defence land situated within the limits of Cantonment. For Defence land located outside the Cantonment, rent will be calculated @ 2.5 % of value based on Circle/guidelines rates notified by the State Government. If this is not available, value of land will be calculated by taking average sales statistics of the past three years. No premium shall be charged for grant of lease in the above cases. These concessional terms will only be available if such projects are providing services to the Public or to Defence organisations free of cost or at concessional rates. These terms will also be applied where surface rights on the land being leased remains with the MoD as in the case of Under Ground sections of Metro projects, Petroleum and Gas main pipelines etc. Annual Rent

b) For public projects executed by joint ventures between government and private entities and public projects being executed in the PPP mode where capital investment is mainly provided by joint ventures or private concessionaires, rent will be charged on commercial rate which will be double the rate as prescribed in sub-para (a) above. In addition, a onetime premium will be paid by the Indenting Authority which will be calculated as follows:- PPP

Lease Period	Premium
If the lease period is less than or equal to 05 years	05 times the Annual Rent
If the lease period is more than 05 years but less than 30 years	Annual rent multiplied by the number of years for which lease is executed or 20 times of the Annual Rent whichever is lower.

c) In case there is an ambiguity, the decision as to whether a public utility project falls in the first category [as in sub-para (a)] or in the second category [as in sub para (b)] shall

be taken by the Ministry of Defence after obtaining inputs from the concerned Administrative Ministry and DEA.

d) Depending upon the nature and intended utility of a particular public project, it will be within the competence of the Ministry of Defence to charge rent or premium, as the case may be, at different rates than those mentioned in sub-paras (a) and (b) above, provided that reasons thereof for approving a different rate shall be recorded in writing.

e) The period of lease and provision for renewal will be decided on a case to case basis taking into account nature of the project, public purpose being served, ownership of the project and utility for the Defence Establishment and Cantonment. Renewal will also be subject to the condition that land continues to be used for the public purpose for which it was originally leased. For calculating rent at the time of extension or renewal of lease, the prevailing STR or value based on Circle/guidelines rates notified by the State Government, as the case may be, shall be adopted and the rent will be charged on the same principles as enunciated in sub-paras (a) and (b) above. However, no premium will be charged for extension or renewal of existing lease.

f) Leases under para 5 B a) would be given for an initial period of 30 years extendable by two further periods of 30 years each i.e a total of 90 years . In case of other leases the term of the lease and schedule in which the lease will be executed will be decided, in consultation with DGDE, on case by case basis, depending upon the requirements in each case by suitably modifying the standard schedules provided under the CLAR, 1937. No part of the leased land will be used for purposes other than for which it has been leased and the land leased will not be sub-leased in full or part to any other entity without the approval of the MoD. In case of violation of any of the terms, lease will be terminated and the land will be taken back without paying any compensation for the infrastructure created there on.

g) Depending upon the nature and intended utility of a particular public project, it will be within the competence of the Ministry of Defence to charge rent or premium, as the case may be, at rates different from those mentioned in sub-paras (a) and (b) above, provided that reasons therefore for approving a different rate shall be recorded in writing.

Exceptional Power of Defence in rent or Premium

C. Permission to Use land on License Basis.: When only permission to do something on the defence land without grant of any easement or interest therein is required (such as construction of flyovers, Rail Over-bridges, laying electric cables, laying underground water or sewer pipe lines, domestic gas pipelines etc.) a license may be granted on payment of an annual license fee which shall be determined on following general principles:-

a) For projects aimed at providing service or utility to public at large, proposed to be executed by the Central Government or a State Government or by organisations/bodies owned or fully controlled by them and by local bodies where the bulk of capital expenditure is to be borne by the Central, State or the Local Government, a nominal annual licence fee varying from Rs.1/- to Rs. 1000/- per sq. meter or running meter, depending on the nature of public use and utility for the Military Station/ Defence establishment/Cantonment will be charged. The specific range of licence fee chargeable under different categories will be subsequently worked out by DGDE and circulated.

Annul Licence Fee Rs 1/- To Rs 1000/- Sq meter or Running meter

b) For projects proposed to be executed by joint ventures between government and private entities and public projects being executed in the PPP mode wherein capital expenditure is not mainly incurred by the Government and for projects executed on commercial terms, annual licence fee will be calculated at the rate of 2.5% of land value (normal rate) based on STR rates if the defence land is situated within the limits of Cantonment. For defence land located outside the Cantonment, annual licence fee

Joint VENTURE PPP

will be calculated at the rate of 2.5% of the present market value of the land as notified by the State Government or in its absence on the basis of cost of land calculated by taking average sales statistics of the past three years (Licence fee will be 2.5% of the cost of land so determined).

c) No premium will be charged for grant of licence for purposes as in sub-para (a) and (b) above. Instead, a refundable security deposit, not exceeding 5% of cost of defence land involved in the project, as assessed by the DEO, will be deposited by the Indenting Authority with the DEO before the license for use of defence land is given by the DEO, on sanction by the Government. The refund of security will be made by the DEO on completion of the work and site clearance by the Indenting Authority. In case of non-compliance of any licence condition, claim by third party or damage etc., security deposit will be forfeited to the Government either in full or in part so as to indemnify the Government against any loss, claim or damage.

d) The period of license and provision for renewal will be decided on a case to case basis taking into account nature of the project, public purpose being served, ownership of the project and utility for the Defence Establishment and Cantonment. Renewal will also be subject to the condition that land continues to be used for the public purpose for which it was originally licensed. For calculating rent at the time of extension or renewal of license same principles as enunciated in sub-paras (a) and (b) above shall apply.

e) For licensing of any land vested in a Cantonment Board, similar procedure and terms as given in sub-paras (a) to (c) above shall apply, provided that the licence fee shall be payable to the Cantonment Board. Refundable security deposit in respect of land vested in a Cantonment Board shall also be deposited with the Board.

f) The schedule in which the license will be executed will be decided on case-by-case basis, in consultation with DG DE, depending upon the requirements in each case by suitably modifying the standard schedule provided under the CLAR, 1937. No part of the licensed land will be used for purposes other than for which it has been licensed and the land licensed will not be sub-licensed in full or part to any other entity without the approval of the MoD.

6. Procedures for processing cases are as follows:

A. **Board of Officers**

On receipt of the Government order regarding 'in principle' approval for transfer of land and formal proposal of the Indenting Authority, a Board of Officers will be constituted by the User Service or Department in whose management the subject land is presently entrusted. The Board of Officers shall comprise representatives from LMA or user department, DEO, MES, State Revenue authorities and other stakeholders. The Board of Officers shall give its findings/ recommendations within 02 months of its constitution with regard to the following:

(i) Complete details, location, area, survey number and present use of land which needs to be transferred, alienated or used (without transfer) for the proposed project for public purpose.

(ii) Cost of land as assessed by the DEO based on current STR (if within Cantonment limits) or present market value (on the basis of rates notified by the State Govt or in its absence based on average sales statistics for the last three years), for lands located outside Cantonments.

(iii) Present cost of construction/ reconstruction/ shifting/ relocation of permanent assets and services as assessed by the MES/DRDO/BRO/Cantonment Board or any other Public Works Organization which need to be dislocated or shifted in case land is alienated or allowed to be used for the intended purpose.

(iv) Safety and security measures to be undertaken by the project authorities during construction phase and thereafter.

(v) Draft MOU to be entered with the IA.

B. In cases where land is proposed to be transferred on "Exchange basis".

(i) Joint survey report of representatives of User Service/Department, DEO, State Revenue authorities and Indenting Authority of alternative land proposed to be exchanged on equal value basis.

(ii) State Revenue authorities shall certify that lands offered in exchange are free from all encumbrances.

(iii) Cost assessment done by the DEO of lands proposed to be exchanged.

C. It shall be the joint responsibility of the User Service/Department, DEO and State Revenue authorities to complete the Board proceedings within 02 months and submit its recommendations.

D. The recommendations of the 'BOO' together with requisite land details, GLR/Revenue maps, site plan and certificates etc. shall be submitted to the LMA/User Service/Department. Two copies of recommendations of the Board of Officers shall also be given to the DEO.

E. The LMA of User Service or officer concerned of the Department shall forward to the Service HQ/Department HQ its recommendations alongwith the Board proceedings. While forwarding the Board proceedings LMA of User Service or command will also obtain views/comments of the appropriate authority of Directorate General of Defence Estates. Service HQ/Department will forward the Board proceedings alongwith its specific views to the Ministry after examining the recommendations of the Board of Officers and representative of DGDE. The Service HQ/Department should furnish its specific recommendations/views to the Ministry within one month from the date of receipt of Board proceedings by the LMA/officer concerned.

F. DEO shall also forward the proceedings/recommendations of the BOO, alongwith his views to PDDE who shall forward the same to DGDE with his specific views to the recommendations of DEO/ BOO. The Board Proceedings together with recommendations/ views of DEO and PD DE should reach DGDE within one month of receipt of Board proceedings by the DEO.

G. DGDE shall examine the recommendations/views of the Service HQ/Department and that of the PD DE/DEO concerned and submit a proposal to the Ministry within one month on the feasibility of alienating defence land and if so, the preferred mode of transfer, its modalities, costs and other terms and conditions.

H. **Decision on transfer of defence land/working permission on Defence land**

(i) MOD shall take a decision on transfer of land/grant of Working Permission to the indenting agency, in consultation with the User Service/Department/DG DE/other stakeholders within 01 month of having received the proposal from DGDE and will also finalize the mode of transfer together with other terms and conditions. It will simultaneously prepare and circulate a proposal for obtaining approval of the Cabinet for the transfer of Defence land.

(ii) After issuance of Government order granting working permission an agreement/MOU may be signed between all concerned incorporating all the terms and conditions. For this purpose standard MoUs may be drafted and kept ready to save time. In case any of the conditions of the MoUs are violated the same can be revoked and land taken back. Following the above the IA/Project authority will be allowed to commence work on the project subject to discharge of all obligations within the timelines agreed upon.

(iii) After Cabinet approval formal orders for transfer/exchange of land would be issued by MoD and formal handing over/taking over and correction of records will be undertaken by DGDE in consultation with the LMA/User Service.

7. All cases in which defence land is proposed to be transferred or alienated formal approval of the Cabinet will be sought.

8. This issues with the concurrence of Ministry of Defence (Fin) vide their U.O. No.24/Fin/W-I/16 dated 1.02.2016.

Yours faithfully,

(Surya Prakash)
Director (L&C)

Copy to:
1. The CGDA, Delhi Cantt
2. Ministry of Defence (Finance Division/W-I), New Delhi
3. The DGA (DS), L-II Block, Brassey Avenue, New Delhi
4. QMG Branch/ Plg (Lands)
5. D (Air-II)
6. D (Navy-III)
7. D (Q&C)
8. D (R&D)
9. D (QA)
10. D (GS-III)

मद संख्याः– 07

विषय :– ग्रीन कॉरीडोर परियोजना हेतु वित्त पोषण के सम्बन्ध में।

वर्तमान में हरदोई रोड की ओर से लखनऊ, समता मूलक चौराहा, शहीद पथ एवं किसान पथ को जोड़ने हेतु कोई सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा जो मार्ग उपलब्ध हैं, उन पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने के कारण प्रायः जाम की स्थिति रहती है। उक्त के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ तक गोमती नदी के दोनों किनारों पर चार–चार लेन सड़क की परिकल्पना करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसको ग्रीन कॉरीडोर परियोजना कहा गया है। ग्रीन कॉरीडोर परियोजना हेतु नियमानुसार सलाहकार एजेन्सी को चयन करते हुए कार्य कराये जाने हेतु परिकल्पना एवं डी0पी0आर0 तैयार की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत सड़क के दृष्टिगत निम्न चार भागों में विभाजित किया गया है:–

1. भाग–I, आई0आई0एम0 रोड से पक्का पुल, LHS-6.7 KM, RHS-5.8 KM — अनुमानित लागत रू0 1129.16 करोड़
2. भाग–II, पक्का पुल से पिपराघाट तक, LHS-9.3 KM, RHS-9.4 KM — अनुमानित लागत रू0 2914.50 करोड़
3. भाग–III, पिपराघाट से शहीद पथ तक, LHS-5.8 KM, RHS-5.2 KM — अनुमानित लागत रू0 1055.63 करोड़
4. भाग–IV, शहीद पथ से किसान पथ तक, LHS-6.8 KM, RHS-6.5 KM — अनुमानित लागत रू0 2479.87 करोड़

कुल लम्बाई LHS-28.6 KM, RHS-26.9 KM, कुल अनुमानित लागत रू0 7579.10 करोड़

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2021 को सम्पन्न बैठक में प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना की प्रारम्भिक लागत का वित्त पोषण विभिन्न विभागों द्वारा मिलकर किये जाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये गये तथा दिनांक 01.11.2021 को सम्पन्न बैठक में परियोजना का वित्त पोषण सरकारी विभागों की भूमि के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2022 को सम्पन्न बैठक में ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु निम्नानुसार भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं:–

<u>सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,</u>

गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना तक — 4.50 हेक्टेयर भूमि

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य (राजस्व)
पी0आई0यू0, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता जोन–
लखनऊ विकास प्राधिकरण

नजूल भूमि

I. मेट्रो कास्टिंग यार्ड, काल्विन कॉलेज, काल्विन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग पर — 11.50 हेक्टेयर भूमि
II. मोहल्ला हसनगंज पार बीरबल साहनी मार्ग — 0.2923 हेक्टेयर भूमि

ग्राम समाज

मोहान रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कलिया खेड़ा एवं प्यारेपुर की — 47.333 हेक्टेयर भूमि

यदि उपरोक्त भूमि प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है, तो उक्त भूमि से लगभग रू0 700.00 करोड़ की व्यवस्था हो सकेगी। मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप इस धनराशि से योजना का प्रारम्भिक कार्यवाही करने में सहयोग होगा तथा प्रकरण शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही प्रस्तावित हो सकेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 4.5 हेक्टयेर भूमि, नजूल विभाग की 11.7923 हेक्टेयर एवं ग्राम समाज की 47.333 हेक्टेयर भूमि ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के उपयोगार्थ प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु शासन से अनुरोध करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ, स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता जोन–
लखनऊ विकास प्राधिकरण
23/1/22

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य (राजस्व)
पी०आई०यू०, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सं0 53 ... प्राधिकरण
... 19 0 413
23.2.21

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर 04 लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.02.2021 को आहुत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपर्युक्त बैठक में मा0 नगर विकास मंत्री जी के साथ–साथ निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

(1) श्री आर0के तिवारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

(3) श्री टी0 वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

(5) श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

(7) श्री इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।

(8) श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(9) श्री इन्दु शेखर सिंह, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(11) श्री किशोर नैथानी, यू0एम0टी0सी0।

(12) श्री चक्रेश जैन, मुख्य अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

सचिव
मु0 अ0
23/2/21

2– उक्त बैठक में शहीद पथ से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती नदी के दोनों तटबन्धों की ओर एवं उसके ऊपर रोड के निर्माण का प्रस्तुतिकरण यू0एम0टी0सी एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न बिन्दुओं पर किया गयाः–

(1) आई0आई0एम0 रोड से शहीद पथ तक प्रथम चरण में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों तक जहाँ पर अभी तक बन्धे का निर्माण नहीं किया गया है, पर बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) द्वितीय चरण में जहाँ पर बन्धे के किनारे 02 लेन की सड़क है, वहाँ पर 04 लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

Scanned with CamScanner

(3) तृतीय चरण में शहीद पथ से किसान पथ के गोमती नदी के दोनों तरफ का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(4) बन्धा एवं सडक जहॉ पर मिलता हैं, उनका ट्रैफिक इन्जिनियरिंग की मदद से सुधारात्मक कार्य के सम्बन्ध में।

(5) इस परियोजना की कुल लागत में भूमि अधिग्रहण, तटबन्ध का निर्माण व सड़क के साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं की अवस्थापना हेतु समस्त व्यय सम्मिलित किये जाने आवश्यक है।

3– प्रस्तुतिकरण उपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया कि:–

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के साथ 10 दिवस में एक बैठक कर परियोजना की प्रारम्भिक लागत (आगणन) का वित्त पोषण सभी विभागों द्वारा मिलकर किए जाने की रूप रेखा तैयार की जाय।

(2) विभाग की समस्त परियोजनाओं के अधूरे कार्य यथा–जे0पी0एन0आई0सी0 तथा रिवर फ्रन्ट के कार्य 06 माह में पूर्ण करा लिये जाये। उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार पर पृथक से वित्तीय भार को भी न्यूनतम रखते हुए सभी विभाग स्वयं के बजट से समन्वय करते हुए कार्य पूर्ण कराया जाय।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 330 /आठ–1–20–03बजट/2021
लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2021

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3. बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगण।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
22.2.2021
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

D:/YadavJI/Final/ Gupta Sir/UO 2021

Scanned with CamScanner

'लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट' गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर 04 लेन सड़क निर्माण के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :–

उपर्युक्त बैठक में श्री सुरेश खन्ना मा0 मंत्री वित्त, श्री आशुतोष टंडन मा0 मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन उत्तर प्रदेश सरकार, डा0 महेन्द्र सिंह मा0 मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण उ0प्र0 सरकार के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. श्रीमती एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4. श्री टी0 वेकटेश, अपर मुख्य सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
5. श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. श्री रंजन कुमार, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9. श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी लखनऊ।
10. श्री अक्षय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
11. श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12. श्री एस0पी0 गंगवार, एम0डी0 विद्युत मंध्याचल वितरण खण्ड,
13. श्री ए0के0 सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
14. श्री अनिल कुमार सिंह सेंगर, मुख्य अभियन्ता सदस्य पी0आई0यू0 ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट।

2– लखनऊ में गोमती नदी के दोनो तटबन्धों पर 04 लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.11.2021 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रोजेक्ट के प्रथम फेज आई0आई0एम0 से हार्डिंग ब्रिज तक, की डी0पी0आर0 का प्रस्तुतीकरण किया गया।

3– बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाय। इस परियोजना का वित्त पोषण सरकारी विभागों की भूमियों के मुद्रीकरण (Monetization) के माध्यम से किया जाये जिस हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर लें।

4– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में कार्य योजना शीघ्र तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

E:/ I.P. Sir/Karyavritt-2020

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्याः–1855/आठ–1–21–03बजट/2021
लखनऊः दिनांक :) नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारीगण।
7. गार्ड फाइल।

(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

E:/ I.P. Sir/Karyavriti-2020

Scanned with CamScanner

12/2/5174 कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
7-12-22
कम्प्यूटर संख्या 1986
दिनांक 05/11/2022 58

गोमती नदी के दोनों तटों पर प्रस्तावित लखनऊ स्थित "ग्रीन कॉरिडोर परियोजना" हेतु भूमि उपलब्ध कराने व जे0पी0एन0आई0सी0 एवं संस्कृति स्कूल इत्यादि प्रकरण पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया.

अति महत्वपूर्ण

(1) श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) श्री अनिल कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) श्री रणवीर प्रसाद, सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) श्रीमती रोशन जैकब, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(6) श्री सूर्य पाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ।
(7) डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
(8) डा0 वी0के0 सिंह, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
(10) श्री मुश्ताक अहमद, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उ0प्र0।
(11) श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) श्री अभय पाण्डेय, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।

मु0अ0/C.E प्रस्तर 3 2,3 पर प्रस्ताव ... उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण

2— बैठक में आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना, संस्कृति स्कूल परियोजना, सी0एस0आई0 टावर्स परियोजना, जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।

3— ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का प्रस्तुतीकरण करते हुए आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि गोमती नदी के दोनों तरफ आवागमन को सुचारू बनाने हेतु आई0आई0एम0 रोड से किसान पथ तक गोमती नदी के दोनों तरफ बंधे के ऊपर 04 लेन सड़क का निर्माण कराए जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रू0 7579 करोड़ है।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु पूर्व में उच्च स्तर से लिए गए निर्णय के अनुसार धनराशि की व्यवस्था भूमि मुद्रीकरण से कराया जाना है। प्रथम चरण में आई0आई0एम0 रोड से पक्का पुल तक परियोजना को पूर्ण करने हेतु तात्कालिक रूप से अवस्थापना से धनराशि की व्यवस्था की गयी है, जिसका कार्य प्रक्रियाधीन है। सभी चरणों में परियोजना पूर्ण करने हेतु सड़क निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था कराये जाने हेतु निम्नलिखित भूमि चिन्हित की गयी है, जिसका मुद्रीकरण कराया जाना है:-

(1) सिंचाई विभाग

- राजस्व ग्राम सदर मऊ, मुदे में 11.186 हे0 भूमि।
- ग्राम दवारिया में 29.514 हे0 भूमि।

CE / PIU

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
07/11/22

- जुग्गौर में 6.066 हे0 भूमि।
- निजामपुर मल्लोर में 6.515 हे0 भूमि।
- ✓ गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना 3.76 हे0 भूमि।

(2) **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग**

- मेट्रो कास्टिंग यार्ड, कालविन कॉलेज एवं कालीन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग में 11.50 हे0 भूमि।
- मोहल्ला हसनपार (बीरबल साहनी मार्ग) में 0.2923 हे0 भूमि।

(3) **नगर विकास विभाग**

- पुरनिया में 0.5485 हे0 भूमि।
- कुल चिन्हित भूमि 59.31 हे0 भूमि।
- शहीद पथ से किसान पथ के मध्य नदी के दोनों किनारों की 500 मी0 की गहराई में प्राधिकरण की आवासीय योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है अतः इस भाग में निर्मित किये जाने वाले ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण पर आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण की इस योजना एवं इसके आस-पास विकसित की जा रही निजी विकासकर्ता की अन्य परियोजनाओं में अधिभारित किया जाना प्रस्तावित है।
- मोहान रोड योजना की ग्राम सभा की 47 हे0 (116 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क दी जाये।
- नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत नये सम्मिलित 124 ग्रामों की ग्राम सभा के बड़े भूखण्ड लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क दी जाये।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना में स्थित 4.50 हे0 भूमि को छोड़कर [सिंचाई विभाग की शेष भूमि विभाग के लिए आगामी ... अन्य विभाग की आवश्यकता को देखते हुए इसे मुद्रीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना उचित नहीं है।] (गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना तक भूमि 4.50 हे0 लखनऊ विकास प्राधिकरण को मुद्रीकरण हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है।) ✓

पुरनिया स्थित नगर विकास की भूमि 0.5485 हे0 को भी विभागीय आवश्यकता को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को मुद्रीकरण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी।

बैठक में उपस्थित उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मोहान रोड योजना की ग्राम सभा की 47 हे0 (116 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क

उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हुयी बचत का उपयोग ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नये सम्मिलित 124 ग्रामों की ग्राम सभा के बड़े भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत मेट्रो कास्टिंग यार्ड, काल्विन कॉलेज एवं काल्विन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग में 11.50 हे0 भूमि एवं मोहल्ला हसनपार (वीरबल साहनी मार्ग) में 0.2923 हे0 भूमि मुद्रीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत मत स्थिर किया गया:-

(1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की गऊघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना की 4.50 हे0 भूमि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मुद्रीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए, जिसके लिए आवश्यक प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

(2) मेट्रो कास्टिंग यार्ड, काल्विन कॉलेज एवं काल्विन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग में 11.50 हे0 नजूल भूमि एवं मोहल्ला हसनपार (वीरबल साहनी मार्ग) में 0.2923 हे0 नजूल भूमि मुद्रीकरण कराये जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यथाशीघ्र करायी जाए जिसके लिए आवश्यक प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

नजूल विभाग LDA का letter जा चुका

(3) मोहान रोड योजना की ग्राम सभा की 45 हे0 (116 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु समुचित प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाए।

Tehsildar Letter जा चुका

4— चक गंजरिया फार्म लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनर्स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 09.04.2013 द्वारा कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के बिन्दु (14)(VII) में यह व्यवस्था दी गयी है कि लखनऊ नगर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु "लखनऊ मेट्रो फण्ड" नाम से एक कोष सृजित किया जायेगा। इस कोष का एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा अग्रिम व्यवस्था होने तक इस खाते का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। चक गंजरिया परियोजना के समस्त दायित्वों के निर्वहन के उपरान्त [illegible] समस्त धनराशि अन्ततोगत्वा लखनऊ मेट्रो फण्ड में स्थानान्तरित की जायेगी। लखनऊ मेट्रो फण्ड का उपयोग केवल लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि चक गंजरिया परियोजना में से उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को 86 एकड़ भूमि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को

...ध्य करायी जा चुकी है। उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को 86 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने के पश्चात उपर्युक्त व्यवस्था की और आवश्यकता नहीं रह गयी है।

अतः बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत यह मत स्थिर किया गया कि शासनादेश दिनांक 09.04.20213 में प्रस्तर–3 के बिन्दु (14)(VII) में दी गयी व्यवस्था को समाप्त करने हेतु शासनादेश दिनांक 09.04.2013 में संशोधन की कार्यवाही की जाए।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या:–1371/आठ–1–22–03 बजट/2021
लखनऊ: दिनॉक 04 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
4.11.2022
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

Land and Cost Detail

Total Land – 63:6253 Hect.

Salable Area after Development- 50% of total land	= 31.81265 Hect.
	= 318126.50 Sqm
Tentative Revenue received @ Rs. 30,000.00 / Sqm	= Rs. 954.37 Cr. (A)
Cost of Development @ 2.5 Cr. Per Hect.	= Rs. 159.06 Cr.
	Say Rs. 159.00 Cr. (B)
Administrative & Contingency – 15% on (A)	= Rs. 95.44 Cr (C)
Expected Revenue Received – (A)–(B)–(C)	= Rs. 699.93 Cr.
	Say Rs. 700.00 Cr.

23/11/22

प्रेषक

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनु-3
विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

पत्रांकः 699/ए.सी./तह./2022 दिनांकः 20.10.2022

विषयः **मोहान रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–प्यारेपुर व ग्राम–कलियाखेड़ा लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि का प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मोहान रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम–प्यारेपुर व ग्राम–कलियाखेड़ा लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि का लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत है :–

भूमि की नवैय्यत	ग्राम	राजस्व खतौनी के अनुसार क्षे0 (हे0 में)
ग्रामसमाज	प्यारेपुर	27.273
ग्रामसमाज	कलियाखेड़ा	20.0600
कुल योग		47.333

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मोहान रोड आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत अर्जित ग्राम–प्यारेपुर, लखनऊ व ग्राम–कलियाखेड़ा, लखनऊ में स्थित ग्राम समाज की भूमि की खसरावार सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय
19/10/22
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, लखनऊ महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदया को सादर सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ।

19/10/22
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

D:\Tahshildar ---\Mohan Road 19-20 Letter SURESh Mohan doc

ग्राम प्यारेपुर के अन्तर्गत ग्राम समाज की सूची

जिला	परगना	ग्राम—मोहल्ला	खसरा सं0	क्षेत्रफल	अनुसूची—ग्राम समाज
लखनऊ	काकोरी	प्यारेपुर		हेक्टेअर	विवरण
			5	0.018	चकमार्ग
			8	1.873	ऊसर
			9	0.025	रास्ता
			12	0.063	चकमार्ग
			17	0.051	ऊसर
			20	0.013	ऊसर
			21	0.051	बंजर
			22	0.026	नाली
			26	0.506	ऊसर
			28	0.053	चकमार्ग
			29	0.019	नाली
			35स	0.063	ऊसर
			39	0.018	नाली
			40	0.035	चकमार्ग
			47	0.468	रास्ता
			50	0.038	नवीन परती
			59	0.018	नाली
			65	0.052	नाली
			66	0.025	चकमार्ग
			68	0.021	नाली
			69	0.040	चकमार्ग
			74	0.010	नाली
			75	0.014	चकमार्ग
			93	0.028	चकमार्ग
			94	0.015	नाली
			98	1.012	ऊसर
			100स	0.219	ऊसर
			117	0.253	ऊसर
			121स	2.860	ऊसर
			123	0.001	चकमार्ग

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

			124	0.001	नाली
			131स	0.101	ऊसर
			136	0.077	चकमार्ग
			137	0.021	नाली
			141	0.029	नाली
			148	0.048	चकमार्ग
			149	0.024	नाली
			150	0.017	नाली
			157	0.012	नाली
			162	0.029	नाली
			163	0.056	चकमार्ग
			168	2.013	चारागाह
			179	0.034	नाली
			185	0.696	ऊसर
			186	0.253	खलिहान
			190स	0.132	ऊसर
			191	0.063	खाल निकालने का स्थान
			192	0.632	ऊसर
			193	0.240	खाद की गड्डे
			196	0.164	रास्ता
			205	0.063	ऊसर
			207	0.076	रास्ता
			210	0.052	चकमार्ग
			211	0.024	नाली
			213स	0.196	रास्ता
			218	0.063	ऊसर
			220	0.004	नवीन परती
			221	0.076	ऊसर
			222	0.063	ऊसर
			223	0.025	रास्ता
			224	0.063	ऊसर
			226	0.101	ऊसर
			227	0.051	रास्ता
			228	0.152	ऊसर

(आशीष ...)
अवर अमीन
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

(शैलेन्द्र कुमार मिश्र)
... (अर्जन)
ल०वि०प्रा०
लखनऊ

(आनन्द कुमार सिंह)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

			229	0.228	ऊसर
			242	0.01[illegible]	नाली
			243	0.018	नवीन परती
			246	0.018	नवीन परती
			249	0.053	चकमार्ग
			250	0.024	नाली
			256	0.126	ऊसर
			262	0.190	ऊसर
			263	0.253	खलिहान
			264	0.749	रास्ता
			265	0.253	खलिहान
			268	0.063	नवीन परती
			271	0.003	ऊसर
			276	0.107	चकमार्ग
			277	0.045	नाली
			279	0.003	नाली
			281	0.026	चकमार्ग
			285	0.006	ऊसर
			291	0.044	चकमार्ग
			292	0.028	नाली
			298	0.051	बंजर
			300	0.038	ऊसर
			302	0.063	ऊसर
			304	0.022	बंजर
			305	0.053	ऊसर
			310	0.009	नाली
			311	0.017	चकमार्ग
			315	0.190	खलिहान
			316स	0.015	ऊसर
			326	0.095	खाद के गड्डे
			328स	0.006	बंजर
			331	0.193	ऊसर
			341	0.028	चकमार्ग
			342	0.026	चकमार्ग
			343	0.012	नाली

(आनन्द कुमार सिंह)

			354	0.083	ऊसर
			355	0.015	नाली
			361	0.028	नाली
			362	0.087	चकमार्ग
			365	0.054	चकमार्ग
			366	0.026	नाली
			368	0.027	चकमार्ग
			369	0.010	नाली
			374	0.109	रास्ता
			382	0.272	रास्ता
			383	0.522	नवीन परती, ऊसर
			384	0.063	खाल निकालने का स्थान
			385	0.190	हडावर
			386	0.229	रास्ता
			402	0.021	नाली
			403	0.041	चकमार्ग
			410	0.099	खलिहान
			411	0.089	रास्ता
			412	0.046	खलिहान, बंजर
			416	0.645	ऊसर
			417	0.025	बंजर
			419	0.038	बंजर
			422	0.202	खलिहान
			424	0.017	नवीन परती
			426	0.025	रास्ता
			428	1.382	ऊसर
			430	0.451	ऊसर
			433	0.190	खाद के गड्डे
			434	0.228	ऊसर
			437स	1.518	चारागाह
			438	1.235	ऊसर
			443	0.006	बंजर
			446	0.063	ऊसर
			448स	0.114	ऊसर

			456	0.013	नाली
			457	0.025	चकमार्ग
			467	0.055	चकमार्ग
			468	0.027	नाली
			475	0.028	नाली
			476	0.057	चकमार्ग
			484	0.057	नाली
			485	0.137	चकमार्ग
			493	0.149	नाली
			501	0.042	चकमार्ग
			506	0.092	चकमार्ग
			507स	0.054	बंजर
			511स	0.025	बंजर
			312 / 515	0.079	ऊसर
			375 / 516	0.010	चकमार्ग
			401 / 517	0.022	नवीन परती
			437	0.253	श्रेणी–4, ग्राम समाज
			448स	0.076	श्रेणी–4, ग्राम समाज
			462स	1.337	श्रेणी–4, ग्राम समाज
			कुल योग	27.273	

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

			144	0.025	खाद निकालने का स्थान
			145पी	0.061	ऊसर
			146	0.114	ऊसर
			148	0.038	ऊसर
			150पी	0.013	न.प.
			163	0.063	न.प.
			165	0.015	नाली ऊसर
			171पी	0.030	ऊसर
			174	0.114	न.प.
			178	0.069	नाली
			189	0.027	चकमार्ग
			195	0.017	चकमार्ग
			200	0.024	नाली
			203	0.054	चकमार्ग
			204	0.015	चकमार्ग
			210	0.051	चकमार्ग
			211	0.038	ऊसर
			212	0.101	ऊसर
			213	0.038	नाली
			216च	0.041	ऊसर
			218	0.059	नाली
			224	0.015	नाली
			225	0.089	न.प.
			226	0.422	सड़क,रास्ता
			(224)	0.074	चकमार्ग
			238	0.013	चकमार्ग
			242	0.025	चकमार्ग
			245	0.011	चकमार्ग
			246	0.018	नाली
			253	0.028	नाली
			255	0.035	नाली
			256	0.118	चकमार्ग
			262	0.018	नाली
			270	0.056	चकमार्ग

			27[illegible]	0.054	[illegible]
			291	0.025	चकमार्ग
			292	0.030	नाली
			295	0.022	चकमार्ग
			300	0.025	चकमार्ग
			304	0.076	बंजर
			305	0.054	नाली
			309	0.139	रास्ता
			310	0.101	बंजर
			311	0.104	बंजर
			315पी	0.335	न.प.
			318	0.105	चकमार्ग
			323	0.057	बंजर
			327	0.202	युवक मंगल दल
			329	0.038	चकमार्ग
			335पी	0.304	न.प.
			342	0.013	बंजर
			360	0.012	चकमार्ग
			368	0.057	ऊसर
			384	0.061	न.प.
			389	0.018	नाली
			390	0.013	ऊसर
			395	0.034	चकमार्ग
			406	0.057	खाद के गड्ढे
			407	0.053	रास्ता
			410	0.051	रास्ता
			411	0.225	ऊसर
			415	0.016	नाली
			419	0.029	चकमार्ग
			421	0.221	ऊसर
			422	0.060	रास्ता
			423	0.440	ऊसर
			426पी	0.231	ऊसर
			430	0.068	खाद के गड्ढे
			431	0.027	रास्ता

			435पी	0.062	रास्ता
			439	0.005	बंजर
			443	0.013	चकमार्ग
			453	0.018	चकमार्ग
			459	0.010	बंजर
			460	0.010	बंजर
			469	0.033	रास्ता
			472	0.126	खेल का मैदान
			473	0.316	खलिहान
			474	0.151	ऊसर
			476	0.321	ऊसर
			485	0.053	चकमार्ग
			491	0.110	चकमार्ग
			498	0.044	चकमार्ग
			508	0.025	रास्ता
			509पी	0.137	नाली
			510	0.005	ऊसर
			512	0.160	ऊसर
			513	0.040	नाली
			516पी	0.385	बंजर
			524पी	0.006	ऊसर
			533	0.051	चकमार्ग
			540	0.027	चकमार्ग
			544	0.022	चकमार्ग
			550	0.023	चकमार्ग
			552	0.034	चकमार्ग
			556	0.006	नाली
			558	0.019	ऊसर
			564	0.231	ऊसर
			565	0.038	ऊसर
			567	0.040	चकमार्ग
			573	0.028	चकमार्ग
			574	0.013	ऊसर
			577	0.025	ऊसर
			578	0.010	चकमार्ग

(आनन्द कुमार सिंह)

			582पी	0.026	बंजर
			583पी	0.079	बंजर
			588	0.028	चकमार्ग
			593	0.019	चकमार्ग
			596पी	0.026	बंजर
			605	0.212	चकमार्ग
			609	0.089	ऊसर
			614	0.183	बंजर
			617	0.102	ऊसर
			620	0.406	बंजर
			630	0.051	बंजर
			634	0.092	बंजर
			635	0.506	बंजर
			636	0.076	ऊसर
			637	0.028	न.प.
			641	0.055	चकमार्ग
			643	0.026	चकमार्ग
			651	0.040	चकमार्ग
			655	0.013	चकमार्ग
			659	0.024	चकमार्ग
			668	0.003	बंजर
			670	0.046	बंजर
			672	0.013	ऊसर
			673	0.025	ऊसर
			674	0.196	बंजर
			675	0.067	न.प
			679	0.339	न.प
			682	0.177	बंजर
			683पी	0.257	बंजर
			683पी	0.329	बंजर
			683पी	0.027	बंजर
			683पी	0.190	बंजर
			683पी	0.253	बंजर
			687	0.013	चकमार्ग
			688	0.243	ऊसर

			691	0.029	नाली
			697	0.018	नाली
			699	0.059	चकमार्ग
			702	0.076	बंजर
			703	0.013	ऊसर
			713	0.006	नाली
			714	0.063	न.प.
			715	0.016	न.प.
			716	0.999	बंजर
			717	0.805	वृक्षारोपण हेतु सु.
			718पी	0.126	न.प.
			725	0.202	न.प.
			727	0.082	नाली
			728	0.009	चकमार्ग
			730	0.070	चकमार्ग
			737	0.021	चकमार्ग
			739	0.034	चकमार्ग
			743	0.047	मुख्यमार्ग
			744	0.026	नाली
			747	0.071	चकमार्ग
			778	0.026	नाला
			751	0.022	नाली
			753	0.172	बंजर
			754	0.059	चकमार्ग
			759	0.061	चकमार्ग
			760	0.060	बंजर
			761	0.060	न.प.
			762	0.126	बंजर
			765	0.016	ऊसर
			767	0.790	ऊसर
			770	0.139	न.प.
			772	1.173	चारागाह
			कुल योग	20.060	

पत्रांक 421/अ0अ0-8/22
25/11/2022

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड का प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या :– 08 पृ0सं0-75

विषय :–लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड आवासीय योजना को विकसित करने के सम्बन्ध में।

मोहान रोड आवासीय योजना को लाईसेन्स के आधार पर विकसित करने हेतु निजी विकासकर्ता मे0 ओमेक्स लि0 को चयनित किया गया था। चयन होने के पश्चात् मे0 ओमेक्स लि0 एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य कन्शेसन एग्रीमेन्ट दिनांक 06.01.2022 को सम्पादित हुआ, परन्तु आर0एफ0पी0 की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मेसर्स ओमेक्स लि0 के साथ सम्पादित अनुबन्ध निरस्त किया जा चुका है। बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2022 में यह निर्णय भी लिया गया कि मोहान रोड योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जायेगी।

अवगत कराना है कि पूर्व में मोहान रोड योजना के मास्टर प्लान/तलपट मानचित्र एवं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन्जीनियरिंग ड्राईंग आगणन आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य हेतु वास्तुविद मेसर्स मुरालेज को प्राधिकरण द्वारा चयनित एवं अनुबन्धित किया गया था। चयन के उपरान्त वास्तुविद् द्वारा योजना के डिटेल सर्वे के उपरान्त Inception Report एवं Preliminary Project Report प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर वास्तुविद् मेसर्स मुरालेज द्वारा किये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान की मांग की गयी थी, जिसके सापेक्ष मेसर्स मुरालेज को रू0 18,43,072.00 का भुगतान किया जा चुका है।

तत्पश्चात् मोहान रोड योजना का विकास कार्य Public Private Partnership Model के आधार पर कराये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में चयनित वास्तुविद एजेन्सी मेसर्स मुरालेज का चयन एवं अनुबन्ध निरस्त करने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी थी। मेसर्स मुरालेज का अनुबन्ध निरस्त किये जाने की सूचना फर्म को पत्र संख्या–653/अधि0अभि0–3/2018, दिनांक 03.12.2018 के द्वारा अवगत कराया गया था।

उल्लेखनीय है कि मोहान रोड योजना में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है। पूर्व में चयनित एजेन्सी मेसर्स मुरालेज के द्वारा प्रारम्भिक एवं डिटेल सर्वे कर योजना का ले–आउट तैयार किया गया था एवं 60.0, 45.0 30.0 मी0 चौड़ी सड़कों के आगणन भी तैयार किये गये थें, जिस हेतु एजेन्सी को पूर्व में धनांक रू0 18,43,072.00 मात्र का भुगतान भी किया जा

24/11/22

चुका है। योजना हेतु नये कन्सलटेन्ट के स्थान पर पूर्व में चयनित कन्सलटैन्ट मेसर्स मुरालेज से कार्य कराये जाने में निम्नानुसार सुविधा होगीः—

1. पूर्व में चयनित एजेन्सी (मेसर्स मुरालेज) द्वारा अपने पत्र संख्या—16021-L-84-AF-983/MPL/MRY/LDA/022 दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से पूर्व की दरों पर कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की है एवं एजेन्सी का पूर्व में किये गये भुगतान रू0 18,43,072.00 मात्र का भी समायोजन हो जायेगा। अतएव प्राधिकरण को पूर्व चयनित एजेन्सी से कार्य कराये जाने पर वित्तीय लाभ होगा।
2. पूर्व में चयनित एजेन्सी से कार्य कराये जाने से समय की बचत भी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मोहान रोड योजना के विकास को गति प्रदान करने एवं वित्तीय पहलू को ध्यान में रखते हुए पूर्व में चयनित वास्तुविद् मेसर्स मुरालेज से पुरानी दरों पर एवं पूर्व के अनुबन्ध की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही योजना के विकास हेतु पूर्व अनुबन्ध संख्या—5/ए0ए0मोहान/2016, दिनांक 31.05.2016 को पुर्नजीवित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

22/11/22
AE
(राहुल वर्मा)
सहायक अभियन्ता

(नरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता जोन-3

architects savita rohit sumit-ira namit
muralage
h.o.: a 3/269, vibhav khand, gomti nagar, lucknow-226010
office: 2320715, 2980139
0522-4044446, 2321590
muralage@gmail.com
www.muralage.in
AN ISO CERTIFIED COMPANY

16021-L-84-AF-980/MPL/MRY/LDA/022
Date: 09/11/2022

To,
Vice Chairman
Lucknow Development Authority
Pradhikaran Bhawan, Gomti Nagar,
Lucknow

Sub: Preparation of Master Plan & DPR, Engineering Drawing and Estimate for Mohan Road Scheme, Lucknow for Lucknow Development Authority

Dear Sir,

This is to bring to your kind attention that we were appointed as consultants for the said work vide your letter no. 30/AA/Mohan Road/16 dated 16.06.2016 (Copy Enclosed)

Contract for the same was executed vide reference no. 05/AA Mohan/2016 dated 31.05.2016 (Copy Enclosed)

We had thereupon worked extensively towards study of the site and preparation of the master plan including its inception report, preliminary project report, detailed estimation of external infrastructure and designing of site office.

However in 2018 it was decided by the competent authority that the said work will be further taken up in PPP Model. hence our contract was foreclosed vide your letter no. 653/AA 3/18 dated 03.12.2018 (Copy Enclosed) and payment was made to us for work done till foreclosure of contract.

Now since the project is again to be taken up by LDA again through its own resources, we request that our contract may kindly be reinstated in the best interest of the project, since already a significant amount of work was done by us. We hereby give our consent to provide complete consultancy as per contract on the same rates as mentioned in the work order issued to us.

Thanking you.

Regards

muralage

Ar. Namit Agarwal
Partner

Partner

Encl: As above

अधि. अभियन्ता
9/11

See
Pl. put up
9/11/22
VC

EE-3

A.K. Singh
9/11/22

विषय संख्या : 09

विषय : **लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण/विकास कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू–बिड पद्धति पर निविदाओं हेतु माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में निर्माण/विकास कार्यों की रू0 25.00 लाख तक लागत की निविदाएं एकल बिड पद्धति पर व रू0 25.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण/विकास कार्यों की निविदाएं टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाती है। टू–बिड पद्धति पर निविदाओं की तकनीकी बिड व वित्तीय बिड दो भाग में प्राप्त की जाती है। तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त वित्तीय बिड खोली जाती है व न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में कार्य स्वीकृत किया जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में निर्माण/विकास कार्यों हेतु उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियां व शेड्यूल आफ रेट्स की दरों को प्रयोग किया जाता है। निर्माण/विकास कार्यों के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सर्कुलर/शासनादेशों के अनुसार कार्यों का सम्पादन कराया जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जा रही निविदाओं की शर्तों व लोक निर्माण विभाग के Model Bidding Document (T-2) के प्राविधानों में कुछ भिन्नता है। टू–बिड पद्धति की निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं का लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के प्राविधानों के अनुसार विवरण संलग्न है (संलग्नक–1)

उपरोक्त के क्रम में प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

- प्रस्ताव के संलग्नक–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार टू–बिड निविदाओं की तकनीकी बिड के परीक्षण किये जाने का अनुमोदन।
- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तों को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के Model Bidding Document (T2) के अनुसार, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत सर्कुलर/शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार संशोधन (customised) करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।
- उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक लागत के कार्यों हेतु सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) भारत सरकार में प्रचलित "स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट प्रोक्योरमेन्ट आफ सिविल वर्क्स" को लोक निर्माण विभाग में पत्र संख्या 10/2018/1313/तेईस–7–18–19सा0/2015 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक लागत के

(अशोक कुमार)
पी.ए.टी. (मुख्य अभि० कार्यालय)

(आशीष श्रीवास्तव)
पी.ए.टी. (मुख्य अभि० ...)

(आर. पी. शिशौदिया)
सहा० अभि० (तकनीकी)

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण ...

निर्माण/विकास कार्यों हेतु Standard Bidding Document को उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत सर्कुलर/शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार संशोधन (customised) करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वर्क मैनुवल तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः वर्क मैनुवल लागू होने पर उसके नियम आदि यथावत लागू होगे।
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 विकास प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुवल 2004 के प्राविधान यथावत लागू रहेगे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(... ार)
पी.ए.टी. (मुख्य अभि० कार्यालय)

(आर. पी. शिशौदिया)
सहा० अभि० (तकनीकी)

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

संलग्नक–1

विषय संख्या :

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण/विकास कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू–बिड पद्धति पर निविदाओं हेतु माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में।

Technical Bid Evaluation Criteria

S.N.	Description	Lucknow Development Authority	UPPWD Model Bidding Document (T-2)
1	Two Bid System applicable	रू0 25.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण/विकास कार्यों की निविदा हेतु।	रू0 40.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण/विकास कार्यों की निविदा हेतु।
2	Solvency (Haisiyat) certificate Issued by D.M.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
3	Average Annual Financial trunover	Average Annual Financial trunover on Construction work should be atleast 30% of the Estimated cost during the immidiate last three consuctive fiancial year. For average turnover balance sheet & Income Tax returns are required to be submitted.	Achieved in any one year in the last 5 years a minimum fiancial turnover (in all cases of civil engineering construction works only) volume of construction work of at least the amount equal to the estimated cost of works (excluding maintenance cost for five years) for which bid has been invited. The turnover will be indexed at the rate of 8% for a year. Financial reports for the last five years : Balance Sheet, Profit & Loss statement, Auditors reports etc.
4	I.T.C.C. (Income Tax Clearance Certificate)	Last three years ITR.	Current Income Tax clearance certificate.
5	EXPERIENCE	(WITH GOVERNMENT/SEMI-GOVERNEMTN/PSUs ONLY) One Similar completed work costing not less than than amount equal to 80% of estimated cost put to tender or Two Similar completed works costing not less than than amount equal to 60% of estimated cost put to tender or Three Similar completed works costing not less than than	Satisfactorily completed, in last 5 years as prime Contractor, at least on similar work equal in value to one-third of the estimated cost of work (excluding maintenance cost for five years) for which the bid is invited, or such higher amount as may be specified in the Appendix to ITB. (Government, Semi Govt., PSU)

(अशोक कुमार)

		amount equal to 40% of estimated cost put to tender. (अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की धनराशि प्रति वर्ष 5% वार्षिक की दर से बढ़ाकर गणना कर मानी जाती है।)	
6	Filled up Capability Statment	निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किया जाता है।	रू0 100 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा का विवरण अंकित कर शपथ पत्र संलग्न किया जाता है।
7	Required technical Staff (Affidavit) with documents	आवश्यक तकनीकी स्टाफ के सम्बन्ध में शपथ पत्र व सर्टिफिकेट्स संलग्न किये जाने आवश्यक है।	• प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 795/BDD-(NH)/40 MT-II/2020 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों व मशीनरी की संख्या का निर्धारण किया गया है। • शपथ पत्र संलग्न किया जाता है व टेक्नीकल स्टाफ की डिग्री/डिप्लोमा, मशीनरी से सम्बन्धित इन्वाइस/बिल तथा मशीनरी Hire / Lease पर लिये जाने के अनुबंध की प्रति संलग्न की जाती है।
8	Required Machinery (Affidavit) with ownership documents	आवश्यक मशीनरी के सम्बन्ध में शपथ पत्र व इनवाइज/बिल संलग्न किये जाने आवश्यक है।	
9	Character certificate of Indivisual/ partners/ directors issued from District Megistrate.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है।
10	Affidavit of No blacklisting & Blood Relation	फर्म का किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने व प्राधिकरण में ब्लड रिलेशन के व्यक्ति न कार्यरत होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न किया जाता है।	फर्म के विवादग्रस्त न होने (No Litigation) के सम्बन्ध में शपथ संलग्न किया जाता है।
11	Bid Capacity Details	संलग्न नहीं किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
12	Certified Copies of the following documents :		
a)	Memorandum and Article of Association showing objectives of the Company / firm and authority to sign the e-tender/contract or delegate the power to others for signing the e-Bid/contract.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
b)	The power-of-attorney authorizing the tenderer to sign the e-tender/ contract.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
c)	In case of firm, duly certified copy of partnership deed and registration certificate; in case of company, deed for article of association and power of attorney for the person concerned	संलग्न की जाती है।	संलग्न की जाती है।

	to authorize to sign the tender and agreement.		
d)	PAN certificate of the company/firm.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
13	For the work where man power supply is included, valid registration/ license of labour dept., E.S.I. & E.P.F. are also required to be submitted.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
14	Labour Department Registeration	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
15	GST registration certificate of the company / firm.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
16	Rs. 100.00 Stamp Paper for Validity of Tender 90 days (Scan Stamp Paper Uploaded)	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
17	Address Proof/Id. Proof of indivisual / partners/ directors.	संलग्न किया जाता है।	संलग्न किया जाता है।
18	Registeration Detail of firm / Contractor	• लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदार प्रतिभाग हेतु पात्र है। • कार्य जिसमें अन्य विकास के साथ–साथ बिटुमिनस सडक सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित हो, ऐसी स्थिति में कार्य की कुल बी0ओ0क्यू0 धनांक से 50 प्रतिशत से अधिक के बिटुमिनस सडक सम्बन्धी कार्य जो न्यूनतम रू0 25.00 लाख की धनराशि से कम नं हो, के बिटुमिनस सम्बन्धी कार्य होने पर किराये पर, लीज पर एवं स्वयं का प्लाण्ट होने पर शपथ पत्र के साथ हाटमिक्स प्लाण्ट एवं उससे सम्बन्धित टूल्स एवं प्लाण्ट की उपलब्धतानुसार को नोटरी से प्रमाणित कराते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करने पर तथा किराये/लीज पर लिये जाने की दशा में निविदादाता फर्म एवं मूल स्वामी के बीच कार्य विशेष हेतु प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, NHAI में Hotmix Plant में रजिस्टर्ड ठेकेदार (जिसके पास वांछित Tools and Plants हो) से ही अनुबंध कराकर अनुबंध के प्रपत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा, तभी निविदा में प्रतिभाग कर सकेंगे अन्यथा प्राप्त निविदा अनर्ह मानी जायेगी। हाटमिक्स प्लाण्ट प्राधिकरण मुख्यालय/कार्यस्थल	• उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा में प्रतिभाग करते है। • हाटमिक्स प्लाण्ट के कार्यों हेतु Hire/Lease पर भी मशीनरी उपलब्ध होने पर निविदाओं में प्रतिभाग किया जा सकता है।

से 50 कि0मी0 परिधि में स्थापित होना अनिवार्य होगा। बिटुमिनस सडक् सम्बन्धी कार्य में बी0एम0, बी0सी0, एस0डी0बी0सी0, टैक कोट, प्राइम कोट, जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0 आदि कार्य सम्मिलित है।

- इसी प्रकार सडक के कार्यों के अन्तर्गत जहां WMM का कार्य धनांक रू0 20.00 लाख से अधिक का सम्पादित किया जाना है, वहां पर सम्बन्धित कार्यदायीं एजेन्सी/फर्म के पास Computerised Wetmix Plant (Capacity 75 TPH) का होना अनिवार्य है। प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, NHAI में पंजीकृत ठेकेदारों से किराये/लीज पर अनुबंध किये जाने पर भी निविदा हेतु अर्हता होगी। WMM के laying सम्बन्धित कार्य समुचित मशीनरी, स्प्रेडर (Paver Finisher) आदि के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भविष्य के कार्यों में बिड के साथ प्लाण्ट के स्वामित्व के सम्पूर्ण कागजात संलग्न होना भी अनिवार्य होगा। निविदा डाले जाने के समय प्राधिकरण मुख्यालय/कार्यस्थल से प्लाण्ट 50कि0मी0 की परिधि में होना अनिवार्य होगा। जिस हेतु शपथ पत्र, अनुबंध प्रपत्र इत्यादि समस्त वांछित प्रपत्र उपरोक्तानुसार हाटमिक्स प्लाण्ट के अनुसार ही संलग्न करने होगे।
- लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी निविदा में प्रतिभाग किया जा सकता है।

<u>अनुमोदन हेतु प्रस्तावित</u>

- सामान्य प्रकृति के कार्य जैसे सडक, नाली, पार्क आदि के कार्यों हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया जाना।
- बहुमंजिलीय विशिष्ट श्रेणी भवनों के निर्माण की टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली की निविदाओं में लखनऊ विकास

		प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया जाना। • सड़क निर्माण कार्य हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना। • सीवर, जलापूर्ति एवं ओवरहेड टैंक के कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत, जल निगम एवं जलकल विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना। • विद्युतीकरण सम्बन्धी विशिष्ट कार्यों हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत, यू0पी0पी0सी0एल0 में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना। • पुल एवं इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट स्ट्रक्चर हेतु टू–बिड पद्धति पर आमंत्रित निविदाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण, अन्य विकास प्राधिकरणों में पंजीकृत व आवास विकास परिषद में पंजीकृत, उ0प्र0 सेतु निगम में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना।	

(अशोक कुमार)
पी.ए.टी. (मुख्य अभि० कार्यालय)

विषय सं०-10

प्राधिकरण बोर्ड बैठक का प्रस्ताव

पृ०सं०-85

विषयः—मा0 राष्ट्रपति भारत गणराज्य/मा0 उप राष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के विभिन्न तिथियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराये गये स्नैक्स, फूल आदि में किये गये व्यय से सम्बन्धित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रपति/मा0 उप राष्ट्रपति, भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विभिन्न तिथियों में लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर स्नैक्स, पानी एवं फूल आदि सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था हेतु समय–समय पर जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त कार्य हेतु विभिन्न एजेन्सियों से पूर्व में व्यवस्था करायी गयी। उपरोक्त के भुगतान हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में विवरण सहित बिलों की समरी तत्समय व्यवस्था में तैनात तहसीलदार एवं अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल) द्वारा सत्यापित हैं, को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, जो लम्बित हैं। सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा बार–बार भुगतान हेतु आवेदन किया जा रहा है। एजेन्सियॉ मेसर्स बुद्धा रिसार्ट, मेसर्स राजेश कुमार, मेसर्स शिवम् इण्टरप्राइजेज हैं, जिनका कुल भुगतान रु0 29,76,194.00 (रूपये उन्तीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ चौरानवे मात्र) लम्बित है। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–313/वरि0सहा0प्रोटोकाल/2021 दिनांक 15.07.2021 के अनुसार उक्त भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार धनांक रू0 29,76,194.00 (रूपये उन्तीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ चौरानवे मात्र) का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण से किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(मनोज कुमार सागर)
अधि०अभि० (वि०/यॉं०)
ल०वि०प्रा०

86 (274)

कार्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रोटोकाल),
लखनऊ।

संख्या 10/सचिव/AA(M)/2022 दिनांक 13/04/2022

विषय

मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के मा0 राष्ट्रपति/मा0 उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के लखनऊ आगमन एवं ट्रांजिट हाल्ट कार्यक्रम पर अमौसी एयरपोर्ट पर मिनरल वाटर, सूक्ष्म जलपान एवं स्वागत हेतु फूल आदि पर हुए व्यय रू0–26,48,633.00 के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या:–459/वरि0सहा0 प्रोटोकाल/2022 दिनांक मार्च 09, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राधिकरण से प्रेषित बिलों को कुछ आपत्तियों के साथ वापस किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्र सं0: 189/वरि0सहा0 प्रोटोकाल/2021 दिनांक अप्रैल 22, 2021 के क्रम में मा0 राष्ट्रपति/मा0 उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के लखनऊ आगमन एवं ट्रांजिट [illegible] अमौसी एयरपोर्ट पर वी0वी0आई0पी0 के साथ पधारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं सिक्योरिटी के नाश्ता एवं पानी तथा वी0वी0आई0पी0 बुके पर हुए व्यय रू0 26,48,633.00 एवं क्रू–मेम्बर्स पर हुए व्यय रू0 3,27,561.00 के बिल क्रमशः पत्र सं0–443/सचिव/AA(M)/2021 दिनांक 14.12.2021 एवं पत्र सं0–443(A)/सचिव/ AA(M)/2021 दिनांक 14.12.2021 के साथ संलग्न कर पूर्व में भुगतान हेतु अलग–अलग चार–चार प्रतियों में प्रेषित किये गये थे।

उपरोक्तानुसार प्रेषित बिलों में एयर–क्रू मेम्बर्स पर हुए व्यय रू0 3,27,561.00 के बिल की चार प्रतियाँ आपत्तियों के साथ वापस की गयी हैं जबकि वी0वी0आई0पी0 के साथ पधारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं सिक्योरिटी के नाश्ता एवं पानी तथा वी0वी0आई0पी0 बुके पर हुए व्यय रू0 26,48,633.00 के बिल की मात्र एक प्रति अन्य आपत्तियों के साथ वापस की गयी है।

अतः वी0वी0आई0पी0 के साथ पधारे अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं सिक्योरिटी के नाश्ता एवं पानी तथा वी0वी0आई0पी0 बुके पर हुए व्यय रू0 26,48,633.00 के बिल की अवशेष तीन प्रतियाँ वापस करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त दोनों बिलों में उल्लिखित आपत्तियों का यथासम्भव निराकरण उपरान्त अलग–अलग चार–चार प्रतियों में भुगतान हेतु पुनः प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव।

229/AA(M)/22
02.8.22

श्री O.P. Mishra XEN से वार्ता हुई। प्रकरण में V.C. महोदय के अनुमोदन के उपरान्त ही प्राधिकरण निधि से भुगतान हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। सचिव महोदय की उपस्थिति में [illegible] प्राप्त होने पर समायोजन का प्रस्ताव होगा।

02/8/2022 F.C.

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. मेसर्स बुद्धा रिसार्ट, बुद्धा टॉवर, बी–15 [illegible] नगर, [illegible] फैजाबाद रोड, लखनऊ को सूचनार्थ।

AE Vipin Tripathi

02.8.22

अधिशासी अभियन्ता
02/8/2022
सचिव

21.4.22

87

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्या 3/3 /वरि0सहा0प्रोटोकाल/2021 दिनांक : जुलाई 15, 2021

विषय :मा0 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0प्रधानमंत्री भारत के विभिन्न तिथियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराये गये स्नैक्स,फूल आदि के बिल भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बिषयक बुद्धा रिसोर्ट के पत्र दिनांक 03.07.2021 जो आपको सम्बोधित व इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बुद्धा रिसोर्ट ने अपने उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य एवं मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के विभिन्न तिथियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ आगमन पर एयरपोर्ट में उपलब्ध कराये गये पानी, स्नैक्स, फूल आदि के बिलों का भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है। वीवीआईपी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया जाता रहा है कि अमौसी एयरपोर्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्नैक्स, पानी, फूल आदि उपलब्ध कराया जायेगा, सम्बन्धित बिलों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा स्वंय कराया जायेगा, बैठक में उपस्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस बात का भरोसा भी दिया जाता रहा है। पूर्व में भी बिलों का भुगतान लखनऊ प्राधिकरण द्वारा कराया जाता रहा है।

अतः अनुरोध है कि बुद्धा रिसोर्ट के पत्र दिनांक 03.07.2021 में उल्लिखित बिलों का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण से कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता
17/7/21

भवदीय,
15.7.21
(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

EE-(M)

AE/JE

21.7.22

विषय संख्या-11

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आय-व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित आय-व्ययक प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 के मद संख्या-173/3 में अनुमानित राजस्व आय रु0-233.00 करोड़ तथा पूँजीगत आय रु0-1088.02 करोड़ अनुमोदित किया गया था। इसी प्रकार अनुमानित राजस्व व्यय रु0-226.76 करोड़ तथा अनुमानित पूँजीगत व्यय रु0-840.60 करोड़ अनुमोदित किया गया था। अनुमानित राजस्व आय रु0-233.00 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 24.11.2022 तक रु0-122.86 करोड़ की प्राप्ति तथा अनुमानित पूँजीगत आय रु0-1088.02करोड़ के सापेक्ष रु0-482.46 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है।

प्राधिकरण की गोमती नगर विस्तार योजना एवं जानकीपुरम विस्तार (सेक्टर-01 से 11 तक) के अनुरक्षण एवं साफ-सफाई का कार्य नगर-निगम को हस्तगत किये जाने हेतु रु0-10.00 करोड़ का भुगतान दिनांक 04.07.2022 को किया गया। दोनों योजनाओं के समस्त सुविधाओं को नगर-निगम को हस्तान्तरित किया गया है जिसके सापेक्ष रु0-3505.19 लाख का भुगतान किया जाना है।

प्राधिकरण की 175वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.09.2022 के मद संख्या-175/20 में 11 वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी है। विद्युत/यॉंत्रिक/अनुरक्षण अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 11 निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की जा चुकी है, जिसके सोपक्ष वर्तमान में 03 नये वाहन (एस0यू0बी0) क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। नये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0-0.50 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित है। प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी विकास कार्यों हेतु अनुमोदित प्राविधान के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि रुपये करोड़ में)

क्र0 सं0	मद	बजट मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुमोदित प्राविधान	दि0 24.11.2022 तक अनुमोदित प्राविधान के सापेक्ष व्यय	वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित प्राविधान
1	2	3	4	5	6
1.	प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरण।	190904	2.50	10.00	50.00
2.	मशनरी संयंत्र/हल्के/भारी वाहनों का क्रय।	1801	0.50	0.26	1.30
3.	कार्यालय भवन रख-रखाव।	1301	2.00	1.18	2.25
4.	विविध व्यय।	1115	3.50	2.97	4.50
5.	कम्प्यूटर रख-रखाव	1107	0.60	0.52	0.75
6.	कानपुर रोड सेक्टर-आई, जे एवं एल में विद्युतीकरण।	190605	0.50	0.45	0.75
7.	कबीर नगर देवपुर पारा विद्युतीकरण।	190608	4.00	3.00	5.00
8.	गाड़ियों के किराये पर व्यय।	1121	1.25	1.24	2.00

अतः उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित प्राविधान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावः-प्राधिकरण के व्यवसायिक सम्पत्तियों में 1.5 अधिक एफ0ए0आर0 में अंश हेतु व्यवसायिक भूमि के दर में निर्धारण के सम्बन्ध में।

विषयवस्तुः-

प्राधिकरण बोर्ड की 146वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2011 के विषय संख्या-27 में लिये गये निर्णय का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों के दरों के निर्धारण के संबंध में गठित समिति की संस्तुति पर समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षिति प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार व्यवसायिक भूखण्डों के मूल्यांकन हेतु निम्न अनुमोदित किया गया हैः-

आवासीय भूखण्डः-

18मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड का मूल्य उस सेक्टर के लिए निर्धारित किये गये मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक दर पर किया जाना उचित होगा। कार्नर का भूखण्ड होने पर 10 प्रतिशत तथा पार्क फेसिंग होने पर 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किया जाना उचित होगा, किन्तु किसी भूखण्ड पर तीनों गुण होने पर यह समस्त बढ़ोत्तरी समेकित रुप से उस सेक्टर के लिए निर्धारित दरों से 20 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

व्यवसायिक भूखण्डः-

व्यसायिक भूखण्ड हेतु मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में उपरोक्त लिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखा जाना वांछनीय है, वह निम्नवत है:

(क) व्सवसायिक भूखण्ड की मौके की स्थिति।

(ख) जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई अद्यतन मूल्य सूची में उस क्षेत्र में भूमि की दर।

(ग) विगत एक वर्ष में उक्त मार्ग/सेक्टर में नीलामी में प्राप्त बोली का औसत

2. 1.5 से अधिक एफ0ए0आर0 के अंश हेतु व्यवसायिक भूमि दर-2 (Commercial Lnad-2 or CLR-2)

सी0एल0आर0-2=(अनुमन्य एफ0ए0आर0-1.5)xCLR-1X0.8/1.5

3. व्यसायिक सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु दर उपरोक्तानुसार आंकलित CLR-1 तथा CLR-2 का योग होगा।

अथवा

औसत नीलामी दर के आधार पर मूल्यांकन

1. यदि उस सम्पत्ति की अथवा उस क्षेत्र अथवा उस सेक्टर में पूर्व में सामानान्तर व्यवसायिक सम्पत्तियों का नीलामी द्वारा निस्तारण हुआ है, तो गत वित्तीय वर्ष में हुई नीलामी का औसत नीलामी दर आंकलित किया जायेगा।

2. रिजर्व प्राईस गत वित्तीय वर्ष के औसत नीलामी दर के 90 प्रतिशत तक निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित रिजर्व प्राइस से कम नही होगा।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-462/8-3-16-34विविध/08, दिनांक 17 जून 2016 के प्रस्तर 3.5.2.4 क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

क्रय-योग्य फैक्टर

क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होगें:-

क्र0सं0	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1	वाणिज्यिक	0.50
2	मिश्रित	0.45
3	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4	होटल	0.40
5	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थपनाएं	0.20

इसी के साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) के अध्याय 3.5 भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के बिन्दु संख्या-3.5.2.4 में भी निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

क्रय-योग्य फैक्टर

क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की गणना हेतु भू-उपयोग के अनुसार गुणांक निम्नवत होगें:-

क्र0सं0	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1	वाणिज्यिक	0.50
2	मिश्रित	0.45
3	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4	होटल	0.40
5	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थपनाएं	0.20

इस प्रकार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 08 सितम्बर 2011 में लिये गये निर्णय तथा कालान्तर में जारी किये गये शासनादेश एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 में एफ0ए0आर0 की गणना की गुणांक में अन्तर हो गया है। उपरोक्त के सन्दर्भ में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 26.11.2022 द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन करते हुए संस्तुति उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये गये, गठित समिति द्वारा निम्नवत संस्तुति प्रदान की गयी है।

बोर्ड की 140वीं बैठक दिनांक 08 सितम्बर 2011 के मद संख्या-27 में व्यवसायिक भूखण्डों में 1.5 से अधिक एफ0ए0आर0 के अंश हेतु व्यवसायिक भूमि दर-2 (Commercial Lnad-2 or CLR-2)

सी0एल0आर0-2=(अनुमन्य एफ0ए0आर0-1.5)xCLR-1X0.8/1.5

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

3. व्यसायिक सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु दर उपरोक्तानुसार आंकलित CLR-1 तथा CLR-2 का योग होगा।

उपरोक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुए शासनादेश संख्या-462/8-3-16-34विविध/08, दिनांक 17 जून 2016 के प्रस्तर 3.5.2.4 में किये गये प्राविधान जो निम्नवत है तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2016 के प्राविधान जो निम्नानुसार है, लिया जाना उचित बताया गया है।

क्र0सं0	भू-उपयोग श्रेणी	प्रस्तावित गुणांक
1	वाणिज्यिक	0.50
2	मिश्रित	0.45
3	कार्यालय/संस्थागत	0.45
4	होटल	0.40
5	आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)	0.40
6	सामुदायिक तथा सामाजिक सुविधाएं एवं अवस्थपनाएं	0.20

अतः उपरोक्तानुसार एफ0ए0आर0 हेतु निर्धारित गुणांक के अनुसार गणना किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषय संख्या-13

विषय :— लखनऊ विकास प्राधिकरण की निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव :—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 166 वीं बोर्ड बैठक दिनांक—06.11.2019 में निर्मित रिक्त दुकाने/व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को 02 वर्ष हेतु फ्रीज किया गया था। जिसके अनुसार वर्तमान में निम्नानुसार अवशेष सम्पत्तियों को विक्रय किया जाना है

क्र0सं0	योजना/सेक्टर	कुल सम्पत्ति	दर फ्रीज किये जाने के बाद कितनी बार नीलामी में प्रस्तावित किया गया	अब तक नीलामी के माध्यम से विक्रय की गयी सम्पत्ति	अवशेष सम्पत्ति संख्या
1	टिकैतराय योजना	8	04	0	8
2	कानुपर रोड योजना	81	04	30	51
3	प्रियदर्शिनी योजना	115	04	34	81
4	अलीगंज योजना	33	04	7	26
5	विकासदीप (छितवापुर)	5	04	1	4
6	जानकीपुरम विस्तार योजना	99	04	14	85
विक्रय हेतु अवशेष सम्पत्तियों की संख्या					262

बोर्ड बैठक दिनांक—06.11.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त दुकानों/सम्पत्तियों को 02 वर्ष हेतु फ्रीज—किया गया था। वर्तमान में आरक्षित दर की फ्रीज की समय सीमा व्यतीत हो चुकी है।

व्यवसायिक भूखण्डों का मूल्य पुनरीक्षित किया गया है। वर्तमान में दुकानों की आरक्षित दर की गणना वित्त विभाग द्वारा पुनरीक्षित की जानी है। ऐसी स्थिति में दुकानों/हॉल/रूम का आरक्षित दर और बढ़ जायेगा। चूँकि आरक्षित दर को फ्रीज कर आक्शन/ई—आक्शन में 04 बार प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् भी निर्मित सम्पत्तियों का विक्रय नही हो पाया है।

अतः ऐसी स्थिति में कमांक—01 से 06 तक अंकित निर्मित सम्पत्तियों को आगामी बोर्ड बैठक में दिसम्बर—2022 से नवम्बर 2023 तक (01 वर्ष) पूर्व की बोर्ड बैठक दिनांक—06.11.2019 में प्रस्तावित फ्रीज दरों को पुनः फ्रीज किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

26/11/22
(अशोक कुमार सक्सेना)
प्र० व० स०
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी
ल० वि० प्रा०

26/11/22
(विवेक कुमार शुक्ला)
तहसीलदार-सम्पत्ति
ल०वि०प्रा०

O.S.D, महोदय

विषयः—गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर—4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्याः4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के विषय संख्याः 175/21 में आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में अंकित विकल्पों पर आवंटी की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर विस्तार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु श्री प्रभाकर शुक्ला द्वारा रू0 50,000/— दिनांक 02.03.2002 को जमा कर पंजीकरण कराया गया था तथा उक्त पंजीकरण के आधार पर दिनांक 24.01.2004 को सम्पन्न लाटरी में आवेदक के पक्ष में भूखण्ड संख्याः 4/550, गोमती नगर विस्तार (अनुमानित क्षेत्रफल 200 व0मी0 व अनुमानित मूल्य रू0 6,45,000/—) आवंटित हुआ था तथा ले—आऊट में परिवर्तन के कारण दिनांक 27.05.2005 को लाटरी के माध्यम से भूखण्ड संख्याः 4/550 गो0न0वि0 के स्थान पर भूखण्ड संख्याः 4/1279 गो0न0वि0 समायोजित किया गया।

आवंटन पत्र के अनुसार पंजीकरण धनराशि रू0 50,000/— को छोड़कर रू0 62,484/— प्रति त्रैमासिक किश्त के हिसाब से दिनांक 31.03.2004 से 31.12.2006 तक 12 किश्तें (रू0 7,49,808/—) आवंटी को जमा करनी थी, किन्तु निर्धारित समय तक आवंटी द्वारा कोई भी धनराशि न जमा करने के कारण भूखण्ड का निरस्तीकरण उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 22.12.2008 द्वारा कर दिया गया।

भूखण्ड के निरस्तीकरण के पश्चात आवंटी द्वारा स्वेच्छा से मात्र रू0 4,00,000/— दिनांक 10.02.2009 को जमा कर भूखण्ड के पुनर्जीवन हेतु अनुरोध किया गया था जिसके कम में सचिव के आदेश दिनांक 23.06.2009 द्वारा भूखण्ड का पुनर्जीवन कर दिया गया। पुनः तलपट मानचित्र संशोधित होने पर पुनर्जीवित भूखण्ड संख्याः 4/1279 गो0न0वि0 मिसिंग होने के कारण भूखण्ड संख्याः 4/385—एस, गो0न0वि0 पर समायोजन का प्रस्ताव उपाध्यक्ष को अग्रसारित किया गया था तथा उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.07.2009 को वार्ता लिखने के पश्चात उक्त प्रस्ताव को सचिव द्वारा दिनांक 29.09.2009 को स्वीकृत कर दिया गया, किन्तु दिनांक 15.02.2020 को तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत समायोजन निरस्त कर ब्याज सहित जमा धनराशि वापस करने के आदेश इस आधार पर पारित किये गये कि पुनर्जीवन/समायोजन सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं है।

कमशः 2 पर

(अशोक कुमार सिंह) अध्यक्ष (जितेन्द्र कुमार सिंह) अनु०आ० (बलराम) सम्पत्ति अधिकारी ल०वि०प्रा०

आवंटी द्वारा मा0 याचिका समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उपाध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा भूखण्ड का पुनर्जीवन व समायोजन किया गया है (छाया प्रति संलग्न)। तत्कालीन उपाध्यक्ष के प्रतिनिधायन आदेश संख्याः 58/उपा0का0/2008 दिनांक 06 सितम्बर, 2008 द्वारा 200 व0मी0 तक के समस्त भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन, समायोजन, मूल्यांकन, निरस्तीकरण एवं पुनर्जीवन आदि के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार दिये गये थे।

आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही की जाय अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव दिनांक 27.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

मा0 याचिका समिति के समक्ष उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधिक राय के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राधिकरण अधिवक्ता श्री पुनीत चन्द्रा से विधिक राय प्राप्त की गयी जिनकी राय निम्नानुसार हैः–

That you had sought legal opinion regarding the aforesaid plot. That a short question is involved in the present matter that whether Secretary of the Lucknow Development Authority is competent to restore and adjust the plot cancelled by the Vice Chairman. That in the present matter, the facts of the case are mentioned at page no.60 to 63 of notesheet, therefore there is no need to repeat it here.

That once the Vice Chairman has cancelled the plot in question then no authority below the rank of Vice Chairman has the power to restore the plot or to cancel/recall the order of the Vice Chairman.

That the Secretary of the Lucknow Development Authority has restored the plot in question and thereafter he has adjusted it with another plot in favour of the allottee. The action of the Secretary is illegal and not in accordance with law.

आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के विषय संख्याः 175/21 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(i) किसी चूक अथवा विवाद के कारण पूर्व से आवंटित भूमि/भूखण्ड का समायोजन भूखण्ड में नहीं किया जायेगा।

(बलराम)
सम्पत्ति अधिकारी
ल0वि0प्रा0

क्रमशः 3 पर

(ii) यदि प्राधिकरण की किसी चूक अथवा विवाद के कारण आवंटित सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड) का कब्जा प्राधिकरण नहीं दे पाता है, तो आवंटित की सहमति के आधार पर "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ्लैट को समायोजन के समय लागू मूल्य पर प्राधिकरण द्वारा समायोजित किया जा सकेगा।

(iii) आवंटी के द्वारा जमा धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए समायोजित किये जाने वाले फ्लैट में समायोजित कर दी जायेगी।

(iv) यदि आवंटी भवन/भूखण्ड का "पहले आओ पहले पाओ" योजनान्तर्गत फ्लैट में समायोजन नहीं चाहता है तो उसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित Marginal cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) दर पर आगणित करते हुए उसे वापस कर दिया जाय।

प्रस्तावः— गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर—4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्याः4/385—एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है। अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.09.2022 के विषय संख्याः 175/21 में आवंटित/विवादित सम्पत्तियों के समायोजन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में अंकित विकल्पों पर आवंटी की सहमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

25.11.22

(बलराम)
सम्पत्ति अधिकारी
ल०वि०प्रा०

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 175वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डा0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

उपस्थिति:–

01.	श्री सूर्यपाल गंगवार	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री इन्द्रजीत सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री महेश कुमार	परियोजना प्रवन्धक, प्रतिनिधि–प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
06.	श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्रीमती कंचन सुबोध	संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
08.	श्री विशाल भारती	सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
09.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री राम कृष्ण यादव	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री राघवराम तिवारी	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री संजय सिंह राठौर	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थिति:–

14.	श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री अवधेश तिवारी	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री अमित राठौर	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20	श्री देवांश त्रिवेदी	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद सं0	विषय	निर्णय
175/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
175/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की वैठक दिनांक 09.05.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये:– • विषय संख्या–5 मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या–36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये

		गये कि तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ से भी इस आशय की आख्या प्राप्त कर ली जाय कि पूर्व में भूमि ऊसर में दर्ज थी, तो किस प्रकार खातेदार को प्राप्त हुई। पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। • विषय संख्या–6 विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने विषयक प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। • विषय संख्या–12 उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों के साथ आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में बैठक आहूत कराई जाय।
175/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22.06.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
175/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र को विस्तार (1–लखनऊ महानगर के अन्तर्गत सरोजनी नगर विकास खण्ड, काकोरी विकास खण्ड, मलिहाबाद विकास खण्ड, बख्शी का तालाब विकास खण्ड, गोसाईगंज विकास खण्ड वं मोहनलालगंज विकास खण्ड के समस्त क्षेत्र एवं जनपद लखनऊ की नगर पंचायतें, 2–यूपी सीडी/लीडा के अन्तर्गत जनपद– लखनऊ का क्षेत्र, 3–जनपद बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड, देवा विकास खण्ड, बंकी विकास खण्ड व नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पूर्ण क्षेत्र)

अनुपूरक 175/05	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग के अन्तर्गत निहित प्राविधानों अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 की हाईटेक टाउनशिप के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढ़रमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की भूमि एवं अंसल ए0पी0आई0 द्वारा छोड़ी गई भूमि को नवीन आवासीय योजना संचालित किये जाने हेतु लैण्ड पूलिंग अथवा अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करते हुए विकास किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

बोर्ड प्रस्ताव

मद संख्याः—15 पृ०सं०-99

विषयः—जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र को पूर्ण कर संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का निर्माण प्राधिकरण की भूमि पर शासन के वित्तपोषण से कराया जा रहा है। शासन द्वारा निर्माण हेतु निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैः—

- मूल स्वीकृति लागत रू0 26558.93 लाख दिनांक 22.03.2013
- प्रथम पुनरीक्षित लागत रू0 61544.23 लाख दिनांक 17.11.2014
- द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 75768.43 लाख दिनांक 16.11.2015
- तृतीय पुनरीक्षित लागत रू0 86499.41 लाख दिनांक 11.11.2016

शासन द्वारा स्वीकृत के सापेक्ष अब तक कुल 82174.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि पूर्ण रूप से परियोजना निर्माण पर रू0 81313.12 लाख धनाराशि व्यय की जा चुकी है। शासन द्वारा निर्माण के उपरान्त संचालन हेतु जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी बनायी गयी है।

परियोजना के संचालन हेतु जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी व चयनित आपरेटर के मध्य दिनांक 21.11.2016 को अनुबन्ध गठित हो चुका है। अनुबन्ध के अनुसार परियोजना के इन्टीरियर/फरनिशिंग कार्यों को चयनित ऑपरेटर के सुझावों को समावेशित करते हुए किया जाना है। अतः परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील (Functional) किये जाने हेतु आवश्यक कार्यों तथा परियोजना के संचालन हेतु चयति ऑपरेटर द्वारा दिये गये सुझावों को परियोजना में समावशित करते हुए संशोधित परियोजना तैयार करते हुए पूर्व में दिनांक 27.09.2018 को प्रेषित की गयी थी, परन्तु शासन द्वारा अपने पत्र संख्या—2038/ आठ—1—19—289एल0डी0ए0/2004टी0सी0—4 दिनांक 06.11. 2019 के द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव का औचित्य न पाये जाने के कारण पूर्व अनुमोदन स्वीकृत लागत में ही परियोजना को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या—925/आठ—1—2021—289एलडीए/04टीसी—IV दिनांक 09.07.2021 के क्रम में परियोजना को न्यूनतम आवश्यक कार्यों के साथ क्रियाशील करने हेतु शासन से गठित समिति जिसमें क्रमशः मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0 उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता (विद्युत), लो0नि0वि0 एवं मुख्य अभियन्ता (सेस) उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन निगम

F:\vikrant singh\MUKESH SIR JPNIC FOLDER\JANUARY TO DECEMBER 2020 DOCKET\LETTER + NOTING 30.06.2020

लि0, उ0प्र0 को प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–214 / अ0अ0जे0पी0एन0आई0सी0 / 2021 दिनांक 09.07.2021 के माध्यम से शासनादेश में दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित अभिलेख तथा निर्देश के क्रम में संशोधित डीपीआर विकल्प–3 के अनुसार धनराशि रू0 950.33 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) की परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। तद्क्रम में समिति द्वारा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का दिनांक 10.07.2021 एवं 11.07.2021 को स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। समिति द्वारा स्थल पर अभिलेखों का परीक्षण करते हुए Minutes of Meeting जारी की गयी है।

परियोजना की पूर्व स्वीकृत लागत धनराशि रू0 864.99 करोड़ की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 में न्यूनतम कार्यों को समावेशित करते हुए विकल्प–3 के अनुसार स्वीकृत डी0पी0आर0 के फर्नीचर के Bought out Items को छोड़ते हुए धनराशि रू0 950.33 करोड़ की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 पूर्व में शासन को प्रेषित की गयी थी, ज़िस पर शासन स्तर से वर्तमान तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। प्रस्तुत डी0पी0आर0 में मुख्य रूप से वृद्धि का कारण निम्नवत् है:–

- परियोजना की पूर्व स्वीकृत ई0एफ0सी0 में सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु कुल धनराशि रू0 730.08 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 754.81 करोड़ की निविदा स्वीकृत हुई, जिसके कारण धनराशि रू0 24.73 करोड़ (3.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- कन्वेन्सन एवं स्पोर्ट्स ब्लॉक में एम0एस0 स्ट्रक्चर पर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा दिये गये सुझाव पर फायर रिटार्डेन्ट पेन्ट का कार्य कराया गया है।
- कन्वेन्सन एवं स्पोर्ट्स ब्लॉक में 15.0 मी0 ऊँचाई की स्लैब कन्क्रीटिंग के कार्य तथा बाहरी दीवार पर टैपर्ड पोरशन (ऊँचाई 70.00 मी0 तक) में क्लैडिंग कार्य हेतु हाईराइज स्कैफोल्डिंग के एडिशलन हाईट्स से मात्रा में वृद्धि के कारण।
- अतिरिक्त चिलर प्लान्ट के कम्पैटिबल एसेसिरीज का कार्य।
- परियोजना के सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यों के विभिन्न मदों में स्थलीय आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादन के दौरान मदों में वृद्धि।
- नलकूप व राइजिंग मेन का अतिरिक्त कार्य।
- म्यूजियम ब्लॉक में एयर कर्टेन का प्राविधान।
- परियोजना में 6 एम0वी0ए0, विद्युत लोड स्वीकृत एवं 33 के0वी0 फीडर वे के निर्माण हेतु में लेसा विभाग को दिये जाने वाले चार्जेज में वृद्धि।

संजीव कुमार

- परियोजना कियान्वयन के दौरान जीएसटी प्रणाली दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के कारण टैक्स की देयता में वृद्धि।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी पुनरीक्षित लागत धनांक रू0 950.33 करोड़ का पुनः परीक्षण कर अति आवश्यक न्यूनतम कार्यों का ही समावेश करते हुए कन्सल्टेन्ट द्वारा सिविल एण्ड इलेक्ट्रिकल कार्य में कटौती करते हुए निम्नानुसार रू0 938.39 करोड़ के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव दिया गया।

GRAND SUMMARY		
JAYA PRAKASH NARAYAN INTERNATIONAL CENTER		
SL NO	ITEMS	AMOUNT IN LACS
1	**Total DPR amount**	95033.09
2	Total saving civil works	935.10
3	Total saving E & M works	258.73
	Total revised DPR amount	93839.26

उक्त की ई0एफ0सी0 कराते हुए शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो जाये। तदानुसार कार्य कराते हुए परियोजना पूर्ण करायी जा सकती है।

यहां यह संज्ञान में लाना समीचीन है कि उपरोक्त के अतिरिक्त जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी एवं परियोजना के ऑपरेटर के मध्य गठित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार कार्यों को सम्मिलित करने के उपरान्त ही परियोजना को पूर्ण कर संचालित किया जाना सम्भव होगा।

दिनांक 10.10.2022 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कम में शासन के पत्र संख्या–1418/आठ–1–22–एलडीए/04टीसी–IV दिनांक 21.11.2022 द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत परियोजना का प्रस्ताव पुनः परीक्षण करते हुए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 938.39 करोड़ की ई0एफ0सी0 उपरान्त निम्न विकल्प पर विचार किया जा सकता है:–

संजीव कुमार
अधिशासी अभियन्ता

प्रस्ताव नं0:–1 जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना के निर्माण में उपयुक्त की जा रही भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व की लगभग 19.00 एकड़ भूमि जिसका बजारू मूल्य लगभग रू0 600.00 करोड़ है। परियोजना के निर्माण हेतु शासन द्वारा वित्त पोषण किया गया है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कराया गया है।

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को पूर्ण करने हेतु पूर्व पुनरीक्षित ई0एफ0सी0 लागत धनराशि रू0 864.99 करोड़ के अतिरिक्त वर्तमान में परियोजना को पूर्ण करने हेतु न्यूनतम अतिआवश्यक कार्य (सिविल/विद्युतीकरण) इन कार्यो में फर्निशिंग के कार्य हटाते हुए तैयार की गयी पुनरीक्षित डी0पी0आर0 धनांक रू0 938.39 करोड़ की व्यय वित्त समिति ई0एफ0सी0 से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये। प्रस्ताव में यह स्पष्ट इंगित किया जाये कि पूर्व स्वीकृत आगणन में अवशेष 43.25 करोड़ तथा जिसकी देयता शासन स्तर से लम्बित है के अतिरिक्त पुनरीक्षित डी0पी0आर0 के अनुसार धनराशि रू0 71.04 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति भी निर्गत की जाये। इस प्रकार परियोजना को पूर्ण करने के लिये 114.29 करोड़ का शासन स्तर से वित्तीय व्यवस्थापन/निर्गमन किया जाये। निर्माण उपरान्त उक्त के संचालन हेतु शासन द्वारा जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाईटी बनायी गयी है। जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी द्वारा परियोजना के संचालन हेतु मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 से अनुबन्ध किया गया है एवं Membership का प्राविधान किया गया है। यह औचित्य पूर्ण होगा कि सम्पूर्ण परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिया जाये। इस हेतु पूर्व में शासन स्तर पर गठित जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी को समाप्त करते हुए तथा पूर्व में सोसायटी द्वारा Membership आदि की कार्यवाही को विखण्डित कर दिया जाये तथा संचालन हेतु मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 तथा जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी के अनुबन्ध को समाप्त करते हुए भविष्य में संचालन हेतु Expression of Intrest (EOI) आमंत्रित कर लीज अथवा Revenue sharing busseness Model पर देते हुए निजी सहभागिता से कार्यवाहियॉ की जाये। उक्त हेतु Standard Operating Procedure (SOP) निर्धारित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत कर दिया जाये।

प्रस्ताव नं0–2 जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का निर्माण प्राधिकरण के स्वामित्व भूमि पर शासन के वित्त पोषण से कराया गया है एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कराया गया है। अतः परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण को

हस्तानान्तरित कर दिया जाये। इसके लिए आवश्यक होगा कि परियोजना के संचालन हेतु शासन द्वारा गठित जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाईटी को समाप्त कर दिया जाये। जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी द्वारा परियोजना के संचालन हेतु मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 से अनुबन्ध किया गया है वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत सिविल एवं विद्युतीकरण का कार्य ही कराया जाना है, जिसमें फर्निशिंग का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ–साथ फर्निशिंग का कार्य भी कराया जाना है। ऐसी स्थिति में जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाईटी एवं मेसर्स फॉरच्यूना फाउन्डेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट प्रा0लि0 के मध्य सम्पन्न अनुबन्ध समाप्त किया जाना आवश्यक है, साथ ही सोसाईटी द्वारा Membership आदि की कार्यवाही को विखण्डित कर दिया जाये। परियोजना का निर्माण पूर्ण कराने एवं संचालन हेतु निजी सहभागिता के दृष्टिगत As is where is के आधार पर Expression of Intrest (EOI) आमंत्रित कर लीज अथवा Revenue sharing busseness Model पर निजी सहभागी संस्थाओं का नियमानुसार चयन करते हुए, शासन से स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा। जय प्रकाश नारायण अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को पूर्ण कराने, संचालन एवं संचालन हेतु Standard Operating Procedure (SOP) निर्धारित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत कर दिया जाये।

कृपया प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

संजीव कुमार
अधिसाशी अभियन्ता

104

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक	सेवा में,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
संख्या :– 215/AAJPNIC/2021 *दिनाँक :–* 12.7.21	

–:विषयः–

जय प्रकाश नारायण अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र परियोजना के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव (Revised DPR) प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परियोजना के सम्बन्ध में स्वकीय शासनादेश संख्या–925/आठ–1–2021–289एलडीए/04टी0सी0–IV दिनांक 09.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करन का कष्ट करें। पत्र में प्रदत्त निर्देशों के कम में परियोजना को न्यूनतम आवश्यक कार्यों के साथ कियाशील करने हेतु शासन से गठित समिति जिसमें कमशः मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता (विद्युत), लो0नि0वि0 उ0प्र0 एवं मुख्य अभियन्ता, (सेस) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, उ0प्र0 को प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या–214/अ0अ0जे0पी0एन0आई0सी0/2021 दिनांक 09.07.2021 के माध्यम से शासनादेश में दिये गये निर्देश के कम में सम्बन्धित वांछित अभिलेख तथा निर्देश के कम में संशोधित डीपीआर विकल्प–3 के अनुसार धनराशि रू0 950.33 करोड़ (जीएसटी सहित) की परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। तद्कम में समिति द्वारा जय प्रकाश नारायण अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का दिनांक 10.07.2021 एवं 11.07.2021 को स्थल निरीक्षण कर अभिलेखों का परीक्षण करते हुए प्राथमिक आख्या Minutes of Meeting जारी की गयी है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। निर्देशानुसार वांछित सूचना तैयार कर उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार जय प्रकाश नरायण अर्न्तराष्ट्रीय परियोजना की पुनरीक्षित डीपीआर धनराशि रू0 950.33 करोड़ (जीएसटी सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पुनरीक्षित डीपीआर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः निम्नानुसार की दो प्रतियाँ।

1. परियोजना का प्रस्ताव।
2. Vol.-1A (Civil Work) – 02 प्रति में
3. Vo.-2A (Electrical work) – 02 प्रति में
4. Vol.-3 (Quatation & Analaysis of civil work) – 02 प्रति में
5. Vol.-4 (Quatation & Analaysis of Electrical work) – 02 प्रति में
6. Minutes of Meeting.

भवदीय

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना का प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तद्क्रम में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। केन्द्र के निर्माण हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार स्वीकृतियाँ प्रदान की गयी है:-

- मूल स्वीकृत लागत रू0 26558.93 लाख दिनांक 22.03.2013
- प्रथम पुनरीक्षित लागत रू0 61544.23 लाख दिनांक 17.11.2014
- द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 75768.43 लाख दिनांक 16.11.2015
- तृतीय पुनरीक्षित लागत रू0 86499.41 लाख दिनांक 11.11.2016

शासन द्वारा स्वीकृत के सापेक्ष अब तक कुल 82174.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि पूर्ण रूप से परियोजना निर्माण पर रू0 81313.12 लाख धनराशि व्यय की जा चुकी है।

परियोजना के संचालन हेतु जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी व चयनित आपरेटर के मध्य दिनांक 21.11.2016 को अनुबंध गठित हो चुका है। अनुबंध के अनुसार परियोजना के इटीरियर/फरनिशिंग कार्यों को चयनित आपरेटर के सुझावों को समावेशित करते हुए किया जाना है। अतः परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील (Functional) किये जाने हेतु आवश्यक कार्यो तथा परियोजना के संचालन हेतु चयनित आपरेटर द्वारा दिये गये सुझावों को परियोजना में समावेशित करते हुए संशोधित परियोजना तैयार करते हुए पूर्व में दिनांक 27.09.2018 को प्रेषित की गयी थी, परन्तु शासन द्वारा अपने पत्र संख्याः 2038/आठ–1–19–289एलडीए/ 2004टी0सी0–4 दिनांक 06.11.2019 के द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव का औचित्य न पाये जाने के कारण पूर्व अनुमोदित स्वीकृत लागत में ही परियोजना को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–925/आठ–1–2021–289 एलडीए/04 टीसी–IV दिनांक 09.07.2021 के कम में परियोजना को न्यूनतम आवश्यक कार्यों के साथ कियाशील करने हेतु शासन से गठित समिति जिसमें कमशः मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता (विद्युत), लो0नि0वि0 उ0प्र0 एवं मुख्य अभियन्ता, (सेस) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, उ0प्र0 को प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या– 214/अ0अ0जे0पी0एन0आई0सी0/2021 दिनांक 09.07.2021 के माध्यम से शासनादेश में दिये गये निर्देश के कम में सम्बन्धित अभिलेख तथा निर्देश के कम में संशोधित डीपीआर विकल्प–3 के अनुसार धनराशि रू0 950.33 करोड़ (जीएसटी सहित) की परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है। तद्कम में समिति द्वारा जय प्रकाश नारायण अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का दिनांक 10.07.2021 एवं 11.07.2021 को स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। समिति द्वारा स्थल पर अभिलेखों का परीक्षण करते हुए Minutes of Meeting जारी की गयी है।

परियोजना की पूर्व स्वीकृत लागत धनराशि रू0 864.99 करोड़ की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 में न्यूनतम कार्यो को समावेशित करते हुए विकल्प–3 के अनुसार स्वीकृत डी0पी0आर0 के फर्नीचर के

E.E. आनन्द कुमार मिश्रा अधिशासी अभियन्ता	E.E.(E/M) (पी.पी. सिंह)	S.E. अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	S.E.(E/M) अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ	C.E. मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

Bought out Items को छोड़ते हुए धनराशि रू0 950.33 करोड़ की तैयार की गयी हैं प्रस्तुत डी0पी0आर0 में मुख्य रूप से वृद्धि का कारण निम्नवत् हैः–

- परियोजना की पूर्व स्वीकृत ई0एफ0सी0 में सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यो हेतु कुल धनराशि रू0 730.08 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 754.81 करोड़ की निविदा स्वीकृत हुई, जिसके के कारण धनराशि रू0 24.73 करोड़ (3.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- कन्वेन्सन एवं स्पोट्स ब्लाक में एम0एस0 स्ट्रक्चर पर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा दिये गये सुझाव पर फायर रिटार्डेन्ट पेन्ट का कार्य कराया गया है।
- कन्वेन्सन एवं स्पोट्स ब्लाक में 15.0 मी0 ऊँचाई की स्लैब कन्क्रीटिंग के कार्य तथा बाहरी दीवार पर टैपर्ड पोरशन (ऊँचाई 70.00 मी0 तक) में क्लैडिंग कार्य हेतु हाईराइज स्कैफोल्डिंग के एडिशनल हाईट्स से मात्रा में वृद्धि के कारण।
- अतिरिक्त चिलर प्लान्ट के कम्पैटिबल एसेसिरीज का कार्य।
- एच0वी0ए0सी0 के अतिरिक्त मिसलीनियस कार्य।
- परियोजना के सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्यो के विभिन्न मदों में स्थलीय आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादन के दौरान मदों में वृद्धि।
- नलकूप व राइजिंग मेन का अतिरिक्त कार्य।
- म्यूजियम ब्लाक में एयर कर्टेन का प्राविधान।
- परियोजना में 6 एम0वी0ए0, 132/33के0वी0 विद्युत लोड स्वीकृत में लेसा विभाग को दिये जाने वाले सुपरवीजन चार्जेज में वृद्धि।
- परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जीएसटी प्रणाली दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के कारण टैक्स की देयता में वृद्धि।

उक्त प्रस्ताव में विकल्प–3 के अनुसार धनराशि रू0 85.34 करोड का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क0 सं0	मद का प्रकार	अतिरिक्त धनराशि (रू0 करोड़ में)
1.	स्वीकृत मदो के कार्यो में निविदा में बढ़ोत्तरी	24.73
2.	स्वीकृत मात्राओं में विचलन	08.36
3.	आवश्यक अतिरिक्त मद	52.62
4.	अतिरिक्त जी0एस0टी0	19.31
5.	स्वीकृत फर्नीचर के Bought out Items को छोड़कर	–19.68
	कुल योग	85.34

यहां यह भी प्रस्तुत है कि उपरोक्त पुनरीक्षित लागत धनांक रू0 950.33 करोड़ में (जीएसटी रू0 40.28 करोड़ सहित) परियोजना को मात्र न्यूनतम कार्यो के साथ पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

यहां यह संज्ञान में लाना समीचीन है कि जे0पी0एन0आई0सी0 सोसायटी एवं परियोजना के ऑपरेटर के मध्य गठित अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार ऑपरेटर द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार कार्यो को सम्मिलित करने के उपरान्त ही परियोजना को पूर्ण कर संचालित किया जाना सम्भव होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षित डी0पी0आर0 न्यूनतम आवश्यक कार्यो के साथ धनांक रू0 950.33 करोड़ (जीएसटी सहित) कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

E.E.
आनन्द कुमार मिश्रा
अधिशासी अभियन्ता

E.E (E/M)
(बी.पी. सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

S.E.
अधीक्षण अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

S.E (E/M)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

C.E.
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

GRAND SUMMARY

JAYA PRAKASH NARAYAN INTERNATIONAL CENTER

SL NO	ITEMS	AMOUNT IN LACS
1	**Total DPR amount**	95033.09
2	Total saving civil works	935.10
3	Total saving E & M works	258.73
	Total revised DPR amount	93839.26

Tender Summary of Civil Works at JPNIC, Lucknow

Sl No	Name of Work	Agreement No	Amount					Remarks
			As Per EFC	As Per Sanctioned Tender (Aggrement Amount)	Work Done	Remaining Work	Projected Amount	Saving amount
1	Construction Work at Jai Prakash Narain International Centre	3080/CE/Office on Date-08-05-2013	1,60,98,04,504.44	1,49,59,54,029.53	1,57,99,60,971.63	47,30,544.68	1,58,46,91,516.31	1,23,59,94
2	Construction Work at Jai Prakash Narain International Centre-Phase-II	4002/CE/ on Date-10-09-2015	54,46,15,896.49	51,28,08,369.49	50,92,62,075.00	1,82,32,295.63	52,74,94,370.63	47,17,67
3	Remaining Civil/Finishing & Plumbing Work in JPNIC-Part-A	3817/CE/ on Date-16-04-2015	52,74,94,824.72	48,95,24,917.36	39,39,22,735.42	12,08,56,648.72	51,47,79,384.14	1,35,52,90
4	Finishing Work at Guest House Block, CSC Block, Aquatic Block & Museum Block in JPNIC-Part-B	4085/CE/ on Date-02-04-2016	1,12,83,60,803.66	1,15,28,51,991.81	98,89,15,722.77	18,25,14,494.00	1,17,14,26,897.08	3,55,71,28
5	Supply, fabrication & Installation of Scaffolding Sturcture for proposed cantilever swimming Pool on roof of Guest House block at JPNIC	05/AA/JPNIC/15-16, Dated : 22.12.2015	-	73,52,000.00	69,76,000.00	75,648.00	70,51,648.00	
6	Supply, Fabrication and Installation of MS Tubular Arch Trusses for roof of convention hall & swimming pool at JPNIC.	3507/CE/2014-15, Dated : 01-07-2014	55,30,92,000.00	55,19,20,000.00	59,45,74,621.57	7,743.29	59,45,82,364.86	
7	Supply, Fabrication and Installation of different MS structures and solar panel structure on Parking block roof at JPNIC	4077/CE Off, Dated : 05-01-2016	14,43,57,012.00	16,29,74,446.00	17,89,90,018.33	14,451.98	17,90,04,470.31	
8	Construction of Parking Block & Boundry Wall in JPNIC	3589/CE/2014-15 on Date-19-08-2014	50,17,93,968.11	41,10,20,365.56	44,79,03,711.78	31,68,426.81	45,10,72,138.58	
9	Landscaping & Horticulture Work in JPNIC	3905/CE/ on Date-26-06-2015	31,07,52,179.03	32,14,03,734.83	33,55,72,232.94	91,67,218.67	34,47,39,451.61	94,64,85
10	Signage work at Jai Prakash Narayan Inernational Center Project.	4096/CE Camp, Dated : 03.09.2016	3,03,00,781.00	2,02,73,929.98	77,86,763.44	60,89,082.95	1,38,75,846.39	58,23,60
11	Establishment of Museum and Library at Museum Block at JPNIC.	4080/CE Off, Dated : 06-02-2016	19,24,78,337.69	19,87,67,338.70	18,63,00,126.25	32,36,960.90	18,95,37,087.14	
12	Supply and Application of Fire Retardent Paint on different MS Structures at JPNIC	4230/CE Off., Dated : 03.01.2017		3,59,73,000.00	3,41,72,432.15	18,00,567.85	3,59,73,000.00	
	GRAND TOTAL =		5,54,30,50,307.13	5,36,08,24,123.25	5,26,43,37,411.28	34,98,94,083.48	5,61,42,28,175.07	8,14,90,27
								16,29,8
	Add 2 % contingencies							8,31,20,0
								1,03,90,0
	Add centage charges @ 12.5 %						Total saving	9,35,10,0

109

Tender Summary of E&M Works at JPNIC,LUCKNOW (ELECTRICAL)

S/N	Name of Work	Agreement No	As Per EFC	As per Tender Sanctioned including Deviation (RS.)	Work Done	Remaining Work	Projected Amount	Saving
1	CSC & GUEST BLOCK - FA/PA/CCTV/ACCESS WORKS	02/EE-6(E/M)/JPNIC/15 DT 14-10-2015	A					
2	CSC & GUEST BLOCK BEAM DETECTOR WORKS	636 /EE(E/M)Zone -6 dated 30-3-2016		12,80,78,521	12,80,78,521	-	12,80,78,521	
3	CSC & GUEST BLOCK - TELEPHONE AND LAN NET-WORKING WORKS	227/AA(E/M)Zone -6 dated 30-3-2016		50,50,079	50,50,079	-	50,50,079	
4	CSC & GUEST BLOCK - ELECTRICAL WORKS	47/EE-6(E/M)/jpnic	14,89,19,000	5,51,28,190	5,51,28,190	-	5,51,28,190	
5	EXTERNAL LANDSCAPE LIGHTING WORKS	46 /AA-6(E/M)JPNIC Dt-12.1.2016		34,35,09,156	30,54,18,837	1,46,01,553	32,00,20,390	
6	MUSEUM BLOCK - HVAC WORKS	28./EE-6(E/M)/jpnic 09-11-2015	36,62,77,000	5,26,09,734	5,09,86,703	7,28,973	5,26,08,934	
7	MUSEUM BLOCK - AIR CURTAIN	638/EE(E/M)/Zone-6/JPNIC /16	3,16,30,000	3,10,68,909	3,10,68,909	-	3,10,68,909	
8	CSC BLOCK - FF & HYDRANT WORKS	31/EE-6(E/M)/JPNIC/15 DT 05-12-2015		22,58,686	22,58,686	-	22,58,686	
9	MUSEUM BLOCK - ELECTRICAL SYSTEM & FA/PA/CCTV/ACCESS SYSTEM/FIRE FIGHTING AND HYDRENT SYSTEM	09/CE(E/M)/15-16 / 08-2-16	5,74,47,000	3,68,00,617	3,64,52,117	-	3,64,52,117	
10	350 KWp SOLAR ROOFTOP PV POWER PLANT	210/AA-6(E/M)JPNIC	4,01,69,000	7,86,65,696	7,83,85,920	-	7,86,65,696	
11	CSC BLOCK - HVAC WORKS	29../EE-6(E/M)/jpnic dated 09-11-2015	6,05,43,000	6,78,12,250	6,78,12,250	-	6,78,12,250	
12	CSC & GUEST BLOCK - EXTRA ITEMS HVAC WORKS	626/EE-6(E/M)/JPNIC/15 DT 28-12-2016		43,92,35,535	40,61,63,343	3,25,13,307	43,86,76,650	
13	CSC BLOCK - VENTILATION WORKS	222./EE-6(E/M)/jpnic	34,21,78,000	3,38,76,451	3,38,76,451	-	3,38,76,451	
14	GUEST BLOCK - HVAC WORKS	97/EE-6(E/M)/jpnic	7,23,03,000	6,82,28,030	6,14,26,490	68,01,540	6,82,28,030	
15	GUEST BLOCK - BMS WORKS	166/EE-6(E/M)/jpnic	7,78,53,000	10,15,97,588	9,38,02,079	77,94,666	10,15,96,745	
16	CSC & MUSEUM BLOCK - BMS WORKS	164/EE-6(E/M)/jpnic	1,40,02,000	2,01,09,649	1,82,06,197	19,03,452	2,01,09,649	
17	GUEST BLOCK - FF & HYDRANT WORKS	167/ee-6(e/m) dt. 04-02-2016	1,40,02,000	2,43,12,103	2,20,77,003	22,35,100	2,43,12,103	
18	CONFERENCE, VEDIO PROJECTION WORKS	Agreement no. - 04/CE(E/M) 16/16-05-16	2,40,48,000	3,23,61,056	2,91,94,284	24,79,604	3,16,73,888	
19	MOTHER KITCHEN THIRD FLOOR	377/AA-6(E/M)JPNIC	29,56,07,000	29,49,74,939	25,37,84,639	3,36,89,872	28,74,74,511	
20	LIFT & ESCALATOR	......./EE-6(E/M)/jpnic	5,90,38,000	5,47,14,289	4,96,58,098		4,96,58,098	
21	SWIMMING POOL WORKS	13/EE(E/P) Jone-6/JPNIC/16-17	12,08,73,000	14,82,49,789	13,33,75,999		13,02,01,781	
22	DG SETS)	445/AA-6(E/M)/JPNIC/16 DT. 28.09.2015	14,78,69,000	18,83,96,892	19,56,03,004		19,56,03,004	
23	NALKUP BOARING & PUMP MACHINERY	101/EE(E/M)/Zone-6/JPNIC /16	20,32,57,000	22,61,65,567	22,41,61,625	32,46,517	22,74,08,142	
24	NALKUP BOARING, RISING MAIN, CLORINATION & WATER FILTER WORKS	226/EE(E/M)/Zone-6/JPNIC /16		70,22,222	70,14,662		70,14,662	
25	HYDEL COST (LS)	-		82,73,663	77,39,180		82,67,000	
26	CIVIL WORKS, HVAC TRENCH & CORE CUTTING WORKS		2,00,00,000	4,95,71,444	4,95,71,444		4,95,71,444	
27	GAS MANIFOLD SYSTEM & GAS PIPE LINE			2,14,84,386	2,14,84,386		2,14,84,386	
	TOTAL			42,51,990	42,51,990		42,51,990	
	Add 2% contigencies		2,09,60,15,000	2,52,38,07,430	2,37,20,31,087	10,59,94,583	2,47,65,52,304	2,2
	Add centage charge @12.5%							4,5
								2,29,9
								28,7
						Total saving		2,58,7

10283/CEJ/भ्रा
22/11/22

संख्या 1418 /आठ–1–22–289एलडीए/04 टीसा–IV

110

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
संख्या 2284
दिनांक 22/11/22

118/आशीन
23/11/2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक: 21 नवम्बर, 2022

विषय: जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–268/जेपीएनआईसी/2022 दिनांक 09.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का पुनः परीक्षण कर पुनरीक्षित डी0पी0आर0 धनराशि रू0 850.33 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– विषयगत परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं के सम्बंध में विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 10.10.2022 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में अन्य के साथ–साथ आप द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में यह प्रस्तावित किया गया था कि जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को पूर्ण करने हेतु सी0जी0 सिटी की सरप्लस धनराशि से बिना ब्याज के ऋण के रूप में रू0 73.01 करोड़ रिफण्डेबुल धनराशि उपलब्ध करायी जाए। साथ ही इस परियोजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाए।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना को पूर्ण कराने हेतु ठोस प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Sec/ CE
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

SE. EE

भवदीय,

21.11.22
(लाल धीरेन्द्र राव)
संयुक्त सचिव

22.11.22 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

A.P.G.O-21-22

E-mail से प्राप्त 15/11/22

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
(ल०वि०प्रा०) गोमती नगर-लखनऊ
पत्र संख्या...1005/CE/22/2710
दिनांक.....15/11/22.....

P.M. 12.10

कार्यशाला/प्रस्तुतीकरण दिनांक 16.11.2022
महत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल
संख्या-2893/आठ-3-2022

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
पत्र सं० 403/धुप्रासम
दि० 16/11/22

सचिव कैम्प
पत्र सं० 267/शाम साधिक/22
दिनांक.........15/11/22...
गोमती नगर प्राधिकरण भवन

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

5. उपाध्यक्ष,
लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बरेली एवं अयोध्या विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

6. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन,
लखनऊ।

7. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
गतिशक्ति भवन, नई दिल्ली।

8. नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

9. निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
लखनऊ।

10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11. निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12. श्री जी०एस० गोयल,
सलाहकार, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13. श्री एन०आर० वर्मा,
सलाहकार, आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

CE SE
कृपया प्रतिभाग करें
15/11/22
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
16/11/22

- अपर सचिव
- मुख्य अभियन्ता।

(पवन कुमार गंगवार)
16/11/22

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 14-नवम्बर, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश में नगरीकरण के विकास हेतु आवास एवं शहरी नियोजन से संबंधित बिन्दुओं पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु कार्यशाला/प्रस्तुतीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के सभाकक्ष में दिनांक 16.11.2022 को अपरान्ह 05:00 बजे से 07:00 बजे तक डेलाइट टीम द्वारा प्रस्तुतीकरण/कार्यशाला निर्धारित है। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन एवं

- जुग्गौर में 6.066 हे0 भूमि।
- निजामपुर मल्लोर में 6.515 हे0 भूमि।
- गाउघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना 3.76 हे0 भूमि।

(2) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

- मेट्रो कास्टिंग यार्ड, कालिवन कॉलेज एवं कालिवन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग में 11.50 हे0 भूमि।
- मोहल्ला हसनपार (बीरबल साहनी मार्ग) में 0.2923 हे0 भूमि।

(3) नगर विकास विभाग

- पुरनिया में 0.5485 हे0 भूमि।
- कुल चिन्हित भूमि 59.31 हे0 भूमि।
- शहीद पथ से किसान पथ के मध्य नदी के दोनों किनारों की 500 मी0 की गहराई में प्राधिकरण की आवासीय योजना विकसित किया जना प्रस्तावित है अतः इस भाग में निर्मित किये जाने वाले ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण पर आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण की इस योजना एवं इसके आस–पास विकसित की जा रही निजी विकासकर्ता की अन्य परियोजनाओं में अधिभारित किया जाना प्रस्तावित है।
- मोहान रोड योजना की ग्राम सभा की 47 हे0 (116 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क दी जाये।
- नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत नये सम्मिलित 124 ग्रामों की ग्राम सभा के बडे भूखण्ड लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क दी जाये।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गउघाट पम्पिंग स्टेशन से बरफखाना में स्थित 4.50 हे0 भूमि को छोड़कर सिंचाई विभाग की शेष भूमि विभाग के लिएं उपयोगी है तथा विभाग की आवश्यकता को देखते हुए इसे मुद्रीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना उचित नहीं है। [redacted]।

पुरनिया स्थित नगर विकास की भूमि 0.5485 हे0 को भी विभागीय आवश्यकता को देखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को मुद्रीकरण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए असमर्थता व्यक्त की गयी।

बैठक में उपस्थित उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मोहान रोड योजना की ग्राम सभा की 47 हे0 (116 एकड़) भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण को निःशुल्क

उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हुयी बचत का उपयोग ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के लिए किया जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नये सम्मिलित 124 ग्रामों की ग्राम सभा के बड़े भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत मेट्रो कास्टिंग यार्ड, काल्विन कॉलेज एवं काल्विन तालुकेदार विश्वविद्यालय मार्ग में 11.50 हे0 भूमि एवं मोहल्ला हसनपार (वीरबल साहनी मार्ग) में 0.2923 हे0 भूमि मुद्रीकरण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में विचार–विमर्श के उपरांत [redacted]

(1) [redacted]

(2) [redacted]

(3) [redacted]

4— चक गंजरिया फार्म लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फ़ार्म के पुर्नस्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 09.04.2013 द्वारा कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 के विन्दु (14)(VII) में यह व्यवस्था दी गयी है कि लखनऊ नगर में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु "लखनऊ मेट्रो फण्ड" नाम से एक कोष सृजित किया जायेगा। इस कोष का एक पृथक खाता खोला जायेगा तथा अग्रिम व्यवस्था होने तक इस खाते का संचालन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। चक गंजरिया परियोजना के समस्त दायित्वों के निर्वहन के उपरान्त उपलब्ध समस्त सरप्लस धनराशि अन्ततोगत्वा लखनऊ मेट्रो फण्ड में स्थानान्तरित की जायेगी। लखनऊ मेट्रो फण्ड का उपयोग केवल लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्यो हेतु ही किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि चक गंजरिया परियोजना में से उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को 86 एकड़ भूमि उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को

उपलब्ध करायी जा चुकी है। उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन को 86 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने [redacted] के पश्चात उपर्युक्त व्यवस्था की और आवश्यकता नहीं रह गयी है।

अतः बैठक [redacted]

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्याः–1371/आठ–1–22–03 बजट/2021
लखनऊः दिनॉक 04 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
4.11.2022
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

विषयः—पुराना लखनऊ हुसैनाबाद के समेकित विकास की परियोजना के अन्तर्गत म्यूजियम एवं फूडकोर्ट ब्लाक के निर्माण कार्य में हो रहे वृद्धि को समेकित विकास कार्य की परियोजना के अन्य कार्यो में बचत धनराशि से कराये जाने के सम्बन्ध में।

पुराना लखनऊ हुसैनाबाद के समेकित विकास की परियोजना हेतु शासन द्वारा धनांक रू0 166.38 करोड़ मात्र स्वीकृत है। शासन द्वारा अब तक 95 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। समेकित विकास परियोजना के अन्तर्गत 07 सिविल एवं 06 विद्युत कार्यो पर पी0एफ0ए0डी0 द्वारा स्वीकृत मदों की धनराशि के सापेक्ष बचत हो रही है। म्यूजियम व फूड कोर्ट ब्लाक का कार्य प्रगति पर है। पी0एफ0ए0डी0 से स्वीकृत कार्य के सापेक्ष कार्यो में विचलन विवरण की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0	कार्य का नाम	पी.एफ.ए.डी. से स्वीकृत धनराशि	अनुबन्धित धनराशि (लेबर सेस सहित)	समापन / अनुमानित धनराशि	पी.एफ.ए.डी. से स्वीकृत बचत	पी.एफ.ए.डी. से स्वीकृत वृद्धि
(A)	पूर्ण सिविल कार्यः—					
1	हुसैनाबाद मुख्य मार्ग (कॉबल स्ट्रीट) एवं घण्टा घर पार्क में साइनेज लगाने का कार्य।	115.07	107.11	100.84	14.23	0.00
2	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद घण्टा घर पार्क में कोम्पान मेक प्लेइंग इक्विपमेन्ट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	280.35	270.40	294.36	0.00	14.01
3	हुसैनाबाद मुख्य मार्ग के किनारे पेवमेन्ट औद्योनीकरण प्लम्बिंग स्ट्रीट फर्निशिंग कार्य तथा घण्टा घर पार्क का विकास कार्य।	2472.04	2038.44	2225.57	246.47	0.00
4	हुसैनाबाद स्थित घण्टा घर तालाब के बेड के जियोवेब / जियो टेक्सटाइल द्वारा सुदृढीकरण कार्य।	72.98	69.33	69.33	3.65	0.00
5	हुसैनाबाद स्थित टीले वाली मस्जिद पार्क का विकास कार्य।	481.43	483.98	529.03	0.00	47.60
6	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद मार्ग दुर्गा दवी मार्ग, सतखण्डा मार्ग पर कर्व स्टोन लगाने एवं लाइट पोल पैडेस्टल ड्राई ग्रेनाइट क्लेडिंग का कार्य।	822.19	744.35	792.95	29.24	0.00
7	पुराना लखनऊ स्थित क्लाक टावर का जीर्णोद्धार कार्य।	140.00	132.40	82.77	57.23	0.00
	योग (A)	**4384.06**	**3846.01**	**4094.85**	**350.82**	**61.61**
(B)	पूर्ण विद्युत कार्यः—					
1	लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र समेकित विकास कार्यो के अन्तर्गत मार्ग प्रकाश व्यवस्था डेकोरेटिव, लाईटिंग, फसाड लाईटिंग एवं लैण्ड स्केप लाईट सम्बन्धी समस्त कार्य।	3774.5	3777.68	3777.16	0.00	2.66
2	जनपद लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से बडा इमामबाडा होते हुए छोटे इमामबाडे तक मुख्य मार्ग	692.36	692.55	690.3	2.06	0.00

A.E.

	व इनके दोनों तरफ स्थित नीबू, गुलाब पार्क, ज्योतिबा फूले पार्क, क्लाक टावर/पिक्चर गैलरी परिसर, विद्युत सब स्टेशन, छोटा इमामबाड़ा के सम्मुख स्थल, सतखण्डा मार्ग व दुर्गा देवी मार्ग पर सी0सी0टी0वी0, वाई–फाई सिस्टम एवं इंटेलीजेंट सोल्यूशन की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।					
3	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र समेकित विकास कार्यो के अन्तर्गत घण्टाघर पार्क के पाण्ड में म्यूजिकल फाउण्टेन विद मल्टीमीडिया शो आन वाटर स्क्रीन की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	630.00	619.66	619.66	10.34	0.00
4	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र समेकित विकास कार्यो के अन्तर्गत आडियों विजुअर साउण्ड शो आउट डोर प्रोजेक्टर एण्ड साउण्ड सिस्टम आडियों गाईड सिस्टम आदि का कार्य।	704.00	720.00	720.00	0.00	16.00
5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य में योजनाओं व उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार एवं जन सामान्य को उनकी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु एल0ई0डी0 डिस्प्ले बोर्ड की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	170.45	250.29	166.86	3.59	0.00
6	पुराना लखनऊ समेकित विकास कार्यो के अन्तर्गत घण्टाघर के पाण्ड में म्यूजिकल फाउन्टेन के स्थापना हेतु डिवाटरिंग एवं पम्प मोटर स्थापना तथा सिविल कार्यो के अन्तर्गत कन्ट्रोल रूम प्रोजेक्टर रूम एवं प्लेटफार्म आदि का निर्माण कार्य।		45.25	34.41	0.00	34.41
	योग विद्युत कार्य (B)	**5971.31**	**6105.43**	**6008.39**	**15.99**	**53.07**
(C)	प्रगति पर कार्यो के विवरण					
1	हुसैनाबाद में रूमी गेट के निकट स्थित गुलाब वाटिका एवं नीबू पार्क का विकास कार्य।	827.56	835.32	835.03	0.00	7.47
2	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद स्थित नीबूबाग उपकेन्द्र स्थल पर फूड कोर्ट का निर्माण कार्य।	2898.41	902.59	**978.03**		
	पुराना लखनऊ हुसैनाबाद स्थित नीबूबाग उपकेन्द्र स्थल पर म्यूजियम ब्लाक का निर्माण कार्य।		2046.67	**2150.53**		
		2898.41	2949.26	3128.56	0.00	230.15
	योग (C)	**3725.97**	**3784.58**	**3963.59**	**0.00**	**222.68**
	योग (A+B+C)	**14081.34**	**13736.02**	**14066.83**	**289.21**	**259.76**
3	बन्धा रोड का विकास कार्य। (D)	1121.34	0.00	0.00	1121.34	0.00
	योग (A+B+C+D)	**15202.68**	**13736.02**	**14066.83**	**1410.55**	**259.76**

उपरोक्त कार्यो में नीबू पार्क व गुलाब वाटिका का कार्य अपूर्ण है जिस पर टी0ए0सी0 की जांच लम्बित है। बन्धा रोड का विकास कार्य सिंचाई विभाग की एन.ओ.सी. न होने के कारण नही कराया जाना है।

A.E.

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा म्यूजियम ब्लाक का कार्य प्लिंथ एरिया दर पर स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत फूडकोर्ट भी सम्मिलित है। दोनो भवन सिग्नेचर बिल्डिंग है। म्यूजियम ब्लाक में 42.00 मीटर लम्बाई का कैन्टीलीवर है जिसका स्ट्रक्चर डिजाईन कन्सल्टेन्ट मेसर्स आर्कओम द्वारा स्वायल टेस्टिंग उपरान्त कराया गया है। उक्त स्ट्रक्चर डिजाइन की जॉच आई.आई.टी. रूड़की से कराते हुए तद्नुसार स्थल पर कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण नीव एवं स्ट्रक्चर की मद में काफी वृद्धि होने के कारण उक्त से सम्बन्धित मदों में यथा आर.सी.सी. एवं स्टील की मद में वृद्धि हो गयी है। उक्त का समावेश करते हुए कन्सल्टेन्ट द्वारा पुनरिक्षित परियोजना तैयार की गयी है। तद्क्रम में कार्य कराये जाने हेतु विचलन तैयार किया गया है। (जोकि संलग्न है) उक्त के अनुसार म्यूजियम ब्लाक की विचलन के उपरान्त धनराशि रू0 2150.53 लाख तथा फूडकोर्ट की विचलन के उपरान्त धनराशि रू0 978.03 लाख अर्थात कुल धनांक रू0 3128.56 लाख मात्र आती है, जो कि अनुबन्धित धनराशि रू0 2949.26 लाख से धनांक रू0 179.30 लाख मात्र तथा पी.एफ.ए.डी. से स्वीकृत धनराशि से धनांक रू0 230.15 लाख मात्र अधिक है।

शासन द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु कुल धनांक रू0 15202.68 लाख धनराशि की स्वीकृत की गयी है। स्थल पर कराये गये कार्यों में हुई वृद्धि एवं बचत के उपरान्त रू0 289.21 लाख की धनराशि प्रश्नगत कार्यो को कराने के पश्चात बचत हुई है। उक्त बची धनराशि से म्यूजियम ब्लाक एवं फूड कोर्ट ब्लाक में होने वाले विचलन की धनराशि का समावेश किया जाना प्रस्तावित है। म्यूजियम ब्लाक के निर्माण के उपरान्त उक्त भवन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर विकसित करने हेतु स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 6.50 करोड़ के अन्तर्गत म्यूजियम ब्लाक में एयर कन्डिशनिंग का कार्य कराया जाना है।

म्यूजियम ब्लाक एवं फूड कोर्ट ब्लाक में होने वाले विचलन के कारण व्यय होने वाली अधिक धनराशि रू0 230.15 लाख के कार्य को शासन द्वारा उक्त हेतु संयुक्त रूप से स्वीकृत धनराशि में बचत की धनराशि से पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

A.E.

विषयः– **मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–22037/2017 संख्या–8016/202022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–22037/2017) एस0के0 मेहरोत्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य में ग्राम–बरगवां, लखनऊ की खसरा संख्या–1416 रकबा 0–5–5–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 मात्र उक्त प्रकरण के लिए ही मान्य एवं प्रभावी है, उक्त आदेश किसी अन्य प्रकरण के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।**

ग्राम–बरगवां, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–1416 पी0 रकबा 0–19–10–0 बीघा का कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–5 के अन्तर्गत वर्ष 1987 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 08.071987 व 07.08.1987 को शासन द्वारा जारी किया गया है, ग्राम–बरगवां, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–1416 का कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–2 के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशनं क्रमशः दिनांक 21.04.1979 व 12.07.1980 को शासन द्वारा जारी किया जा चुका है।

प्रश्नगत ग्राम–बरगवां, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या–1416 पी0 रकबा 0–19–10–0 बीघा का कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग–5 के अन्तर्गत वर्ष 1987 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 08.071987 व 07.08.1987 को शासन द्वारा जारी किया गया है, किन्तु अभिनिर्णय नहीं हुआ है।

श्री एस0के0 मेहरोत्रा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–207/एम0 बी0/2003 योजित की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2010 के अनुपालन में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी–भू0अ0, नगर महापालिका–द्वितीय द्वारा पत्र सख्या–1542/8–अ0जि0अ0 (भू0अ0)न0म0पा0–2, लखनऊ दिनांक 07.06.2010 के माध्यम से खसरा संख्या–1416 क्षे0 0–5–5–0 बीघा स्थित ग्राम बरगवां के सम्बन्ध में प्रस्तुत गणना के आधार पर संयुक्त निर्देशक (भू0/वि) लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–546/एसी./जे.डी./10 दिनांक 07.09.2010 के माध्यम से याची श्री एस0के0 मेहरोत्रा पुत्र श्री रूप नारायन को 86,287.00 रूपये प्रतिकर भुगतान किया गया, जिसे याची द्वारा आपत्ति के साथ ग्रहण किया गया।

पुनः याची द्वारा खसरा संख्या–1416 रकबा 0–5–5–0 के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–11929/एम0बी0/2013 योजित करते हुए अन्तरिम प्रतिकर भुगतान की मांग की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने अन्तिम आदेश दिनांक 017.05.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप याची द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या–22037/2017 एस0के0 मेहरोत्रा बनाम ल0वि0प्रा0, कलेक्टर लखनऊ यू0पी0 व अन्य योजित की गयी, जिसमें दिनांक 08.09.2022 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जा चुका है।

उक्त एस0एल0पी0 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 12.09.2022 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है :—

Mr. K.M/ Nataraj, learned additional Solicitor General appering for Lucknow Development Authority submits that complete details with regrad to the avilability of poots presently under the control of Lucknow Development Authority shall be furnished within three days from today.
List the matter on 16.09.2022 as frist Item on Board.

उक्त एस0एल0पी0 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2022 को सुनवाई करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है :—

Pursuant to the derections issued on the last occasion, a Statment has been placed on record indicatiog availability of certain plsts.

Mr. Vishwajit singh, learned Senior Advocate appearing for the petitioner shall take appropriate instructions before the next date of hearing.

Lidy on 31.10.2022

पुनः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2022 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत है :—

Leave granted.

This appeal challenges the judgment and order dated 17.05.2017 passed by the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench in WPMB No. 11929/2013.

The entirety of the facts leading to the filing of this appeal need not be adverted to as the parties have arrived at an understanding in terms of which a plot admeasuring about 200 sq.mts. in Mansarovar Project undertaken by Lucknow Development Authority shall be handed over alongwith a sum of Rs.10 lakhs by way of complete settlement of all the claims of the present appellant.

The parties having arrived at this understanding, the instant appeal is disposed of with following directions:

(a) Lucknow Development Authority shall handover peaceful and vacant possession of Plot No.3/10, Sector 'O', Mansarovar Project admeasuring 200 sq. mtrs. Within four weeks from today.
(b) Lucknow Development Authority shall also hand over a sum of Rs.10 lakhs to the appellant at the time when the documents pertaining to the afore-stated plot are executed and handed over to the appellant.
(c) The amount towards stamp duty and other registration charges shall be borne by the Lucknow Development Authority.

This shall be in satisfaction of all claims raised by the appellant or anyone claiming under him.

With these observations, the appeal is disposed of.

No costs.

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित उक्त सिविल अपील संख्या–22037/2017 संख्या–8016/202022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–22037/2017) एस0के0 मेहरोत्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य में ग्राम–बरगवां, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की खसरा संख्या–1416 अवशेष अनार्जित रकबा 0–5–5–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित उक्त आदेश दिनांक 31.10.2022 मात्र उक्त प्रकरण के लिए ही मान्य एवं प्रभावी है, उक्त आदेश किसी अन्य प्रकरण के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। उक्त का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :–

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–22037/2017 संख्या–8016/202022 (एस0एल0पी0 (सी) संख्या–22037/2017) एस0के0 मेहरोत्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य में ग्राम–बरगवां, लखनऊ की खसरा संख्या–1416 रकबा 0–5–5–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 मात्र उक्त प्रकरण के लिए ही मान्य एवं प्रभावी है, उक्त आदेश किसी अन्य प्रकरण के लिए नजीर नहीं माना जायेगा। अतएव उक्त का अनुपालन कराने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 8016/2022
(Arising out of SLP(C) No.22037/2017)

S.K. MEHROTRA Appellant(s)

VERSUS

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. Respondent(s)

ORDER

Leave granted.

This appeal challenges the judgment and order dated 17.05.2017 passed by the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench in WPMB No. 11929/2013.

The entirety of the facts leading to the filing of this appeal need not be adverted to as the parties have arrived at an understanding in terms of which a plot admeasuring about 200 sq.mts. in Mansarovar Project undertaken by Lucknow Development Authority shall be handed over alongwith a sum of Rs.10 lakhs by way of complete settlement of all the claims of the present appellant.

Signature invalid
Digitally signed by
IST
Reason:

The parties having arrived at this understanding, the instant appeal is disposed of with following directions:

(a) Lucknow Development Authority shall handover

peaceful and vacant possession of Plot No.3/10, Sector 'O', Mansarovar Project admeasuring 200 sq. mtrs. Within four weeks from today.

(b) Lucknow Development Authority shall also hand over a sum of Rs.10 lakhs to the appellant at the time when the documents pertaining to the afore-stated plot are executed and handed over to the appellant.

(c) The amount towards stamp duty and other registration charges shall be borne by the Lucknow Development Authority.

This shall be in satisfaction of all claims raised by the appellant or anyone claiming under him.

With these observations, the appeal is disposed of. No costs.

....CJI.
[UDAY UMESH LALIT]

....J.
[S. RAVINDRA BHAT]

....J.
[BELA M. TRIVEDI]

New Delhi;
October 31, 2022.

ITEM NO.37 COURT NO.1 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 22037/2017

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-05-2017 in WPMB No. 11929/2013 passed by the High Court Of Judicature At Allahabad, Lucknow Bench)

S.K. MEHROTRA Petitioner(s)

VERSUS

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. Respondent(s)

(IA No. 81186/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 79645/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 127955/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 81185/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES)

Date : 31-10-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT
HON'BLE MS. JUSTICE BELA M. TRIVEDI

For Petitioner(s) Mr. Vishwajit Singh, Sr. Adv.
Ms. Veena Kaul Singh, Adv,
Mr. Pankaj Singh, Adv.
Ms. Ridhima Singh, Adv.
Mr. Aman Shukla, Adv.
M/S. Vidhi International, AOR

For Respondent(s) Mr. K.M. Nataraj, ASG
Mr. Shantanu Krishna, AOR
Mr. Ankit Mishra, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

The appeal is disposed of in terms of signed order.

Pending applications, if any, shall stand disposed of.

(INDU MARWAH)
COURT MASTER (SH)

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

(signed order is placed on the file)

124

ITEM NO.25 COURT NO.1 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 22037/2017

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-05-2017 in WPMB No. 11929/2013 passed by the High Court Of Judicature At Allahabad, Lucknow Bench)

S.K. MEHROTRA Petitioner(s)

VERSUS

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. Respondent(s)

(IA No. 79645/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 81186/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T.
IA No. 127955/2018 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES
IA No. 81185/2017 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES)

Date : 29-09-2022 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE J.B. PARDIWALA

For Petitioner(s) Mr. Vishwajit Singh, Sr. Adv.
Ms. Veera Kaul Singh, Adv.
Mr. Pankaj Singh, Adv.
Mr. Aman Shukla, Adv.
Ms. Ridhima Singh, Adv.
Ms. Akansha Singh, Adv.
Ms. Rashi Bajpai, Adv.
Mr. Vignesh Singh, Adv.
M/S. Vidhi International, AOR

For Respondent(s) Mr. K.M. Nataraj, ASG
Mr. Shantanu Krishna, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Validity unknown
Digitally signed by DEEPAK SINGH
Date: 2022.09.30
17:35:01 IST
Reason:

Pursuant to the directions issued on the last occasion, a Statement has been placed on record indicating availability of certain plots.

Mr. Vishwajit Singh, learned Senior Advocate appearing for the petitioner shall take appropriate instructions before the next date of hearing.

List on 31.10.2022.

(INDU MARWAH)
COURT MASTER (SH)

(MATHEW ABRAHAM)
COURT MASTER (NSH)

ITEM NO.43 COURT NO.1 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition for Special Leave to Appeal (C) No.22037/2017

(Arising out of impugned final judgment and order dated 17-05-2017 in WPMB No.11929/2013 passed by the High Court Of Judicature At Allahabad, Lucknow Bench)

S.K. MEHROTRA Petitioner(s)

VERSUS

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. Respondent(s)

(IA No.81186/2017 - FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.; IA No.79645/2017 - FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.; IA No.127955/2018 - FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES; and, IA No.81185/2017 - FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/ FACTS/ANNEXURES)

Date : 12-09-2022 This matter was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT

For Petitioner(s) Mr. Vishwajit Singh, Sr. Adv.
Mr. I.D. Shukla, Adv.
Mr. Aman Shukla, Adv.
Ms. Veera Kaul Singh, Adv.
Mr. Pankaj Singh, Adv.
Ms. Ridhima Singh, Adv.
Mr. Vignesh Singh, Adv.
M/s. Vidhi International, AOR

For Respondent(s) Mr. K.M. Nataraj, ASG
Mr. Shantanu Krishna, AOR
With
Mr. Pawan Kumar Gangwar, Secretary, LDA
Mr. Shashi Bhushan Pathak, Tehsildar LDA
Mr. Uday Narayan, Surveyor, LDA

Validity unknown
Digitally signed by NEETU KHAJURIA
Date: 2022.09.30
19:39:42 IST
Reason:

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Mr. K.M. Nataraj, learned Additional Solicitor General appearing for Lucknow Development Authority submits that complete details with regard to the availability of plots presently under the control of Lucknow Development Authority shall be furnished within three days from today.

List the matter on 16.09.2022 as First Item on Board.

The personal presence of the Secretary and the concerned officials of the Lucknow Development Authority is dispensed with for the time being.

(MUKESH NASA)
AR-cum-PS

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

विषय संख्या-18 पृ०सं०-128

गोमती रिवर फ्रन्ट के अनुरक्षण, आय-व्यय, सुरक्षा व्यवस्था एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विषयः सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक अनुरक्षण कार्यो की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में।

- उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई एवं जल संस्थान, अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 1270/18-27-सिं-9-60एसएबी/18 दिनांक 08 मई, 2018 के क्रम में रिवर फ्रन्ट चैनेजलाइजेंशन परियोजना के दोनो ओर 315.00 एकड़ क्षेत्र मात्र में औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को 01 वर्ष के लिए हस्तान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 4904/ल.ख.शा.न./गो0रि0फ्र0 दिनांक 27.09.2018 द्वारा लखनऊ खण्ड, शारदा नगर द्वारा रु0-2735.40 लाख प्राधिकरण को औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु अवमुक्त किये गये थे, जिसमें रु0-1998.75 लाख अनुरक्षण के मद में तथा रु0-736.65 लाख (जी0एस0टी0, कंटेंजेन्सी एवं सेन्टेज चार्जेज आदि) प्राप्त हुए। प्राधिकरण द्वारा रिवर फ्रंट पर वर्ष 2018-19 से दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक रु0-1965.44 लाख अनुरक्षण पर व्यय किया जा चुका है। धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जल संस्थान को प्राधिकरण स्तर से कई पत्र प्रेषित किये गये, परन्तु तद्दिनांक तक भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध नही करायी गयी है। **यदि सिंचाई विभाग द्वारा प्राधिकरण को रिवर फ्रंट पर औद्यानिक अनुरक्षण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नही करायी जाती है तो भविष्य में प्राधिकरण द्वारा रिवर फ्रंट के अनुरक्षण के कार्य की निरन्तरता को रखना सम्भव नही होगा।**
- रिवर फ्रंट की सम्पत्तियों एवं विद्युत उपकरण सुरक्षा हेतु समस्त गेटों पर सिक्योरिटी गार्ड, जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु वारवेड वायर फेन्सिग, वर्ष 2018 से पूर्व लम्बिंत विद्युत कनेक्शन बिलों के भुगतान, प्रकाश एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु मरम्मत एवं औद्यानिक अनुरक्षण कार्यो को सम्मिलित करते हुए रु0-2620.00 लाख अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।
- रिवर फ्रंट पर औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण हेतु रु0-400.00 लाख, विद्युत आपूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था एवं संचालन हेतु प्रतिवर्ष रु0-150.00 लाख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु रु0-120.00 लाख प्रतिवर्ष की आवश्यकता।
- गोमती रिवर फ्रंट पर औद्यानिक विकास व अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था संचालन हेतु पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने हेतु निम्नवत् कमेटी का गठन किया जाये, जिसकी प्रस्तावित संरचनाः-

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
3. सहायक पुलिस आयुक्त।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग
5. मुख्य अभियन्ता, लेसा।
6. क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी।

उक्त कमेटी द्वारा गोमती रिवर फ्रंट पर आय के स्त्रोतो को पी0पी0पी0 मोड पर किये जाने के सम्बन्ध में विचार करते हुए प्रस्तावित गतिविधियों से प्राप्त आय को लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक पृथक मद में जमा कराते हुए उक्त धनराशि से औद्यानिक विकास व अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था संचालन का कार्य सम्पादन किये जाने एवं यदि उक्त प्रस्तावित गतिविधियों से प्राप्त आय अनुरक्षण कार्यो में व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि को रिवर फ्रंट के अन्य सुदृढीकरण कार्यो में व्यय किया जायें, इस सम्बन्ध में गठित कमेटी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

प्रस्तावित गतिविधियां

- पी0पी0पी0 मोड पर फ्लोटिंग रेस्टोरेन्ट, एडवेन्चर सफारी, लखनऊ आई आदि का संचालन।
- फूड मोबाइल वैन पार्किग संचालन व्यवस्था।
- शूटिंग आदि हेतु दर का निर्धारण।
- क्रिकेट स्टेडियम।
- एडवेन्चर जोन का विकास।
- ओपेन थियेटर।
- पर्यावरण लाइब्रेरी, योगा सेन्टर।
- हार्स राइडिंग, कैमेल राइडिंग, साइकिलिंग, स्कैटिंग, किड्स जोन।
- विभिन्न प्रदर्शनियो/कार्यक्रमो हेतु स्थल आवंटन।

प्रस्तावः सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाईजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक अनुरक्षण कार्यो की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

26/11/2022
AHO
(मो० इमरान)

26/11/2022
A.E.
(प्रवीण कुमार)

E.E.
(जय जीत शर्मा)
अधि० अभि०

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
संख्या 1270/18-27-सिं-9-60एसएवी/18
लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

गोमती रिवर फ्रन्ट चैनालाइजेशन परियोजना का उद्देश्य गोमती नदी का चैनेलाईजेशन पर्यटन, जल क्रीडा आदि के साथ-साथ गोमती नदी के दोनों तटों पर सौन्दर्यीकरण हेतु औद्यानिक क्षेत्र विकसित किये जाने का भी था।

2- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, द्वारा उक्त परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार 5,74,762 वर्ग मीटर क्षेत्र को विकसित करने सहित कुल लगभग 12,82,850 वर्ग मीटर क्षेत्र का रख-रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किये जाने हेतु लखनऊ महानगर में गोमती नदी के दोनों तटों के औद्यानिकरण कार्य क्षेत्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को तात्कालिक प्रभाव से हस्तान्तरण किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

उक्त परियोजना के एक वर्ष के रखं-रखाव हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा रू0 2735.40 लाख की धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को दिया जायेगा।

2- प्रश्नगत हस्तान्तरण के उपरान्त अनुरक्षण की धनराशि के अनुरूप सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि एक माह के भीतर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि की प्रत्याशा में प्रश्नगत अनुरक्षण का कार्य तात्कालित प्रभाव से प्रारम्भ किया जायेगा।

(मुश्ताक अहमद)
संयुक्त सचिव।

27/9/2018
स०न०रि०/21 Released

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।

2— निजी सचिव, मा० सिंचाई मंत्री जी / मा० नगर विकास मंत्री जी, उ०प्र० शासन।

3— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

4— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7— जिलाधिकारी, लखनऊ।

8— उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

9— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

10— मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुस्ताक अहमद)

संयुक्त सचिव।

1741/VC/SA/18
26/07/2018

3076/SA/CE/18
28/07/18

संख्या-93/2018/1975/18-27-सिं-9-60एसएवी/18

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक: 20 जुलाई, 2018

विषय:- जनपद लखनऊ में हार्डिंग ब्रिज से वीयर तक गोमती नदी की चैनलाइजेशन की पुनरीक्षित परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1013/परियोजना/कैम्प/ बजट, दिनांक 15.06.2018 एवं शासनादेश संख्या-14/2017/228/17-27-सिं-9-101एसएवी/14, दिनांक 14.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में हार्डिंग ब्रिज से वीयर तक गोमती नदी की चैनलाइजेशन की पुनरीक्षित परियोजना हेतु लखनऊ महानगर में गोमती नदी के दोनों तटों के औद्यानिक क्षेत्र के विकास एवं मात्र उसके एक वर्ष के रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 6567.58 लाख में से धनराशि रू0 2735.40 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर व्यय वहन हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग को लखनऊ महानगर में गोमती नदी के दोनों तटों के औद्यानिक क्षेत्र के विकास एवं मात्र उसके एक वर्ष के रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवमुक्त कराने में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(2) विभागाध्यक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व स्वंय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि भौतिक प्रगति की रिपोर्ट, जो मुख्य अभियन्ता ने भेजी है, वह पूर्ण रूपेण मौके पर उपलब्ध है।

(3) उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की परियोजना के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-1743/16-27-सिं-9-101एसएवी/14, दिनांक 25-07-2016 एवं उक्त शासनादेश दिनांक 22.11.2016 में अंकित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य शासन को उपलब्ध करायें।

वित्त नियंत्रक/ मुख्य अभि0

PA

SE (उद्यान)
उपनिदेशक-उद्यान

(इन्दुशेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ
28-7-2018

उप निदेशक (उद्यान)
शासनादेश की शर्तों की विवेचना कर लें।
उनका अनुपालन महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम परक है।

AE

D.D(H)

31-7-18

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(7) परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ।

(9) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए तथा परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय नियमों/मा0 न्यायालय के आदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। जिसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विषिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राईंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(15) विभिन्न प्रायोजनाओं में नदियों के तटबन्ध के चैनेलाइजेशन/सौन्दर्यीकरण हेतु Different Technology तथा डायाफ्राम वाल सीट पाइलिंग एवं जियो ग्रेड, जियो टेक्सटाइल, स्वायल स्टेब्लाइजेशन एवं इरोजन कन्ट्रोल मैट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी लागत में काफी भिन्नता है। अतः विभाग द्वारा किसी उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान से वेट करा लिया जाय कि उक्त स्थल हेतु प्रयुक्त टेक्नोलॉजी/लागत उचित एवं औचित्यपूर्ण है, ताकि भविष्य में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो।

(16) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(18) उक्त धनराशि का व्यय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(19) वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) प्रत्येक माह व्यय किए जाने वाली धनराशि का बार चार्ट शासन को उपलब्ध कराएंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक-4700-09-051-15-00-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-2170/दस-2018, दिनांक 18 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय

(मुश्ताक अहमद)
विशेष सचिव।

-4-

SAY/401-14-GO/42

135

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक– /ल.ख.शा.न./गो0रि0फ0/ दिनांक–27/09/2018

विषय– गोमती रिवर फ्रन्ट चैनलाइजेशन परियोजना के अन्तर्गत औधानिक विकास एवं विकसित औधानिक क्षेत्र की एक वर्ष के रख–रखाव हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को धनराशि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ– शासन के ज्ञाप सं0–1270/18–27–सिं–9–60एसएवी/18, दिनांक 08.05.2018 एवं आपका पत्रांक–753/CE/DDH/2018, दिनांक–04.09.2018, पत्रांक–770/CE/DDH/2018, दि0–10.09.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके सन्दर्भ में धनराशि रु0 27,35,40,000.00 (रु0 सत्ताइस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) का हस्तान्तरण दिनांक 22.09.2018 को टोकन सं0–431808100 के अन्तर्गत कोषागार, लखनऊ कलेक्ट्रेट के माध्यम से यू0टी0आर0 संख्या RBI2691828481874 द्वारा आपको किया जा गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः इस सम्बन्ध में हस्तान्तरित की गयी धनराशि रु0–27,35,40,000.00 (रु0 सत्ताइस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) से सम्बन्धित नियमानुसार सेन्टेज चार्जेज का भुगतान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ

665/DDH/2018
01.10.2018

पत्रांक– 4904 /ल.ख.शा.न./तदिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (शा0सहा0) सिंचाई विभाग उ0प्र0, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
(4) अनुसचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन बापू भवन, लखनऊ।
(5) अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ।
(6) उप निदेशक (उद्यान), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(8) सहायक अभियन्ता तृतीय, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।
(9) वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
लखनऊ खण्ड शारदा नहर
लखनऊ

A.E. 1/10/18

PWC

प्राधिकृत संख्या–394/2018–19

136

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय–व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या– [illegible] /आई0बी0/10बी0–22ए/अनु0–94/पूँजीलेखा लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0–93/2018/1975/18–27–सि–9–60एसएवी/18, दिनांक–20–07–2018 द्वारा जनपद लखनऊ में हार्डिंग ब्रिज से वीयर तक गोमती नदी की चैनलाइजेशन की पुनरीक्षित परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 6527.58 लाख में से रु0 2735.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुयी है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के कम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) लखनऊ को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है:–

(आकडे लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 09–शारदा सहायक (वाणिज्यिक) 051–निर्माण 15–लखनऊ में गोमती नदी का चैनलाइजेशन 24–वृहत्त निर्माण कार्य	(शारदा सहायक) लखनऊ।	2735.40

रुपया सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख चालीस हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में कमांक–01 से 20 तक दिये नियमों/शर्तो के अधीन किया जाता है।

कुणाल कुलश्रेष्ठ
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या:–1373 (1)/आई0बी0/तद्दिनांक:–27/08/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4– प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
6– मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8– मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस कार्यालय के पत्र सं0 जी–408/आई0बी0/शा0सहा0/दिनांक 31.07.2018 के सन्दर्भ में आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय स्वीकृति के कमांक–2 से सम्बन्धित प्रमाणक मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
10– अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
11– प्रशासनिक अधिकारी (बजट), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12– कट फाईल।

25/8/1

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(I.S.O. 9001:2008 & I.S.O.14001:2004 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

प्रेषक,

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
गंगा सिंचाई भवन,
तेलीबाग, लखनऊ।

संख्या :– 201/सचिव/AA(H)/2022
दिनाँक :– 17/06/2022

–: विषय :–

गोमती रिवर फ्रन्ट चैनलाइजेशन परियोजना के अन्तर्गत औद्यानिक विकास एवं विकसित औद्यानिक क्षेत्र के रख–रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अग्रिम वर्षो के रख–रखाव हेतु धनराशि उपलब्ध कराने अथवा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, को अग्रिम वर्षो के रख–रखाव हेतु हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र संख्या–31/ए.ए.एच./2022 दिनांक 25.04.2022 एवं 46/सचिव/ए.ए.(एच)/2021 दिनांक 15.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि गोमती रिवर फ्रन्ट के औद्यानिक रख–रखाव हेतु अवशेष धनराशि व्यय हो जाने के उपरान्त औद्यानिक रख–रखाव किस प्रकार किया जाना होगा पर आपके स्तर से निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में था। उक्त के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया था कि गोमती रिवर फ्रन्ट के सौन्दर्यीकरण, लैण्ड स्केपिंग एवं अन्य मदों में कार्य हेतु शासनादेश (क) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1013/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 15.06.2018 एवं (ख) शासनादेश संख्या 14/2017/228/17–27–सिं–9–101एसएवीं/14, दिनांक 14.02.2017) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में, परियोजना में स्वीकृत धनराशि रू0 2735.40 करोड़ में से विभिन्न मदों (औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण, डिजाइन एवं ड्राइंग कन्सलटेन्ट कार्यो (जी0एस0टी0 धनांक सहित) एवं कन्टनजन्सी कार्यो (जी0एस0टी0 धनांक सहित) तथा 12.5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज में) व्यय करने के पश्चात कुल रू0 562.73 लाख (जी.एस.टी. सहित) शेष है जिसमें आगामी दिनांक 30.11.2022 तक निविदा आमंत्रित की गयी है। प्रश्नगत कार्य को इसके उपरान्त कराये जाने के लिए प्राधिकरण के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। उक्त के परिपेक्ष्य में दिनांक 15.11.2021 को सिचाई विभाग एवं प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य एक बैठक भी आहूत हुई थी परन्तु धनराशि उपलब्ध कराये जाने अथवा औद्यानिक अनुरक्षण का कार्य भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान तक कोई भी निर्णय/सूचना प्राधिकरण को प्राप्त नही हैं। उल्लेखनीय है कि औद्यानिक रख–रखाव का कार्य एक निरन्तर कराया जाने वाला कार्य है, जिसके अभाव में प्राधिकरण द्वारा नदी तट पर विकसित किया गया हरित क्षेत्र जैसे पेड़–पौधे व घास आदि नष्ट/सूख जायेगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए औद्यानिक विकास एवं विकसित औद्यानिक क्षेत्र के रख–रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अग्रिम वर्षो के रख–रखाव हेतु

निर्णय लेते हुए धनराशि उपलब्ध कराने अथवा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 को अग्रिम वर्षो के रख–रखाव हेतु हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का कष्ट करे। 138

संलग्नक :– पूर्व प्रेषित पत्रो की सूची :–

1. पत्र संख्या–31 / ए.ए.एच. / 2022 दिनांक 25.04.2022
2. 46 / सचिव / ए.ए.(एच) / 2021 दिनांक 15.11.2021
3. 303 / सचिव / ए.ए.(एच) / 2021 दिनांक 09.08.2021
4. पत्र संख्या–147 / सी.ई. / ए.ए.के. / 2021 दिनांक 28.01.2021,
5. 471 / सी.ई. / डी.डी.एच. / 2020 दिनांक 12.11.2020,
6. 72 / सचिव / डी.डी.एच / 2020 दिनांक 08.06.2020,
7. पत्र संख्या–546 / वी.सी. / डी.डी.एच / 2019 दिनांक 07.09.2019,
8. पत्र संख्या–746 / सी.ई. / डी.डी.एच / 2020 दिनांक 14.11.2019,
9. पत्र संख्या–1063 / डी.डी.एच / 2020 दिनांक 16.01.2020,
10. पत्र संख्या–1311 / सी.ई. / डी.डी.एच / 2020 दिनांक 12.03.2020,
11. पत्र संख्या–334 / सी.ई. / डी.डी.एच / 2020 दिनांक 19.09.2020

भवदीय

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
3. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष / परियोजना सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) 2008 के अध्याय 3 में 3.11 के अन्तर्गत नया बिन्दु "3.11.11– भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा" को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक निर्माणों में आन्तरिक विद्युत कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली वायरिंग, एम0सी0सी0बी, आर0सी0सी0बी0, डी0बी0 एवं केबिल, वायरिंग, कन्ड्यूटिंग आदि का मानकों के अनुसार निर्माणकर्ताओं द्वारा उपयोग/अनुरक्षण न करने के कारण निर्मित इमारतों में शार्ट–सर्किट के कारण आग लगने की घटनायें घटित होती रहती हैं, जिससे वित्तीय हानियों के साथ–साथ जन हानियों की घटनायें भी होती हैं। आग लगने की घटनाओं के जांच/अध्ययन में पाया जाता है कि आग लगने का मुख्य कारक विद्युत कार्यों जैसे–एम0सी0बी0, डी0बी0, केबिल आदि मानकों के अनुसार न होने के कारण शार्ट सर्किट होता हैं। शार्ट सर्किट से आग लगने की घटनाओं में अधिकांशता प्राधिकरण के कार्यों में शिथिलता का उल्लेख किया जाता है, जबकि मुख्य कारक निर्माणकर्ताओं द्वारा आन्तरिक विद्युत कार्यों में मानकों के अनुसार कार्य न कराया जाना होता है।

आंतरिक विद्युत सुरक्षा के संबंध में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में केवल इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण के संबंध में इलेक्ट्रिक लाइन से दूरी के संबंध में प्राविधान किया गया है। आंतरिक विद्युत सुरक्षा के संबंध में भवन उपविधि में कोई प्राविधान नहीं है, जिसके कारण शार्ट–सर्किट होने से भवनों में आग लगने के कारण प्राधिकरण के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न होती है। नेशनल बिल्डिंग कोड में भवनों में आंतरिक विद्युत सुरक्षा के लिये निम्नानुसार प्राविधान किये गये हैं–

1- Use of MCB&RCCB for All branch DB's shall be provided with RCCB's in the incomer. 30mA for Residential / school / hospital and 100 mA in other buildings.

2- Use of SPD's - For the main incomer panel as well as for Dub DB, automation panels, Lifts, escalators, fire panels, Roof top solar, CCTV cameras, LED street lights.

3- Lightning Arrestor shall be as per per NBC 2016 & IS - 62305-1/2/3:2010

4- Fire Survival Cable for Essential Services - The power supply to fire and life safety systems shall be through fire proof enclosure or circuit integrity cable. Such as – Fire pumps, smoke venting / pressurization, all lift, exit signage, emergency lighting, FA, PA etc

5- Gas Suppression / Flooding System - For Main Panel. Fire Panel, Elevator Panel as per NBC 2016

6- For conductor sizes less than or equal to 16 mm2 , only copper conductor cables should be used.

7- Conduit used under False ceiling & inside shaft shall be MS type only

8- Use only FR grade wire only.

9- Electrical shaft shall be seprate& shall sealed at each floor with non-combustible material & All provided with 2 Hr Fire door.

प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते समय वर्तमान में आंतरिक विद्युत सुरक्षा के संबंध में न तो कोई ड्राइंग ली जा रही है एवं न ही एन0बी0सी0 के मानकों के संबंध में सक्षम अधिकारी से निर्गत कोई प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा रहा है। जबकि वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत मानचित्र स्वीकृत करते समय विद्युत सुरक्षा के संबंध में ड्राइंग एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

अतः नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आंतरित विद्युत सुरक्षा के संबंध में ड्राइंग एवं प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) के अध्याय 3 में 3.11 के अन्तर्गत नया बिन्दु "3.11.11– भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा" के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषयः लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमन्य एफ.ए.आर. के मानक संशोधित करने के संबंध में।

लखनऊ शहर जिला एवं मण्डल मुख्यालय होने के साथ–साथ प्रदेश की राजधानी भी है। भारत के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा नान–मेट्रोपोलिटन शहरों में सर्वाधिक तेज़ी के साथ विकसित होने वाले शहरों में से एक है। प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, टूरिज़्म आदि के संबंध में इस शहर का पुराना इतिहास रहा है।

एसोचैम प्लेसमेंट पैटर्न के द्वारा कराये गये एक सर्वे के अनुसार तीव्र गति के साथ रोज़गार सृजन के मामले में भारत के 10 शहरों में से लखनऊ का छठा स्थान है। भारत में अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ शहर का 14वां स्थान है तथा लखनऊ विश्व में सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले शहरों में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 1971 में लखनऊ की जनसंख्या 7,74,644 थी वहीं वर्ष 2011 में लखनऊ की जनसंख्या 28,17,105 हो गयी है एवं वर्ष 2031 में लगभग 65 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

वर्तमान में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नए/अविकसित क्षेत्रों में 2.5 एफ.ए.आर. तथा निर्मित क्षेत्र एवं पूर्व विकसित योजनाओं में 1.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य है। लखनऊ शहर का तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण एवं उनके हॉरिजेन्टल विकास होने के दृष्टिगत भूमि के अधिकतम उपयोग हेतु शहरों के वर्टिकल विकास की अवधारणा से ही कृषि योग्य भूमि को शहरीकरण की सम्भावना से सुरक्षित किया जा सकता है। कृषि भूमि की शहरीकरण की संभावना से सुरक्षित किये जाने हेतु वर्तमान में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नए/अविकसित/निर्मित/पूर्व विकसित योजनाओं में अनुमन्य एफ.ए.आर. से अतिरिक्त एफ.ए.आर. दिये जाने पर विचार किया जाना आवश्कय है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011/2016) में अध्याय 3.5 के अंतर्गत भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के संबंध में विवरण दिया गया है। एफ.ए.आर. को मार्केट डिमाण्ड के अनुसार लचीला बनाने हेतु निर्मित, विकसित तथा नये/अविकसित क्षेत्रों में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर क्रय योग्य एफ.ए.आर. का प्राविधान किया गया है, जो निम्न है–

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय योग्य एफ.ए.आर.
निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत
विकसित क्षेत्र	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत तथा 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.

अपर सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

	आर. का 50 प्रतिशत
नए/अविकसित क्षेत्र	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए.आर. का 33 प्रतिशत तथा 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 50 प्रतिशत

लखनऊ शहर की बढ़ती जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत उचित होगा कि क्रय योग्य एफ.ए.आर. की सीमा पूर्व निर्धारित सीमा का दोगुना कर दिया जाये। तदानुसार निम्न प्रस्ताव है–

क्षेत्र की प्रकृति	क्रय योग्य एफ.ए.आर. (पूर्व प्राविधान)	क्रय योग्य एफ.ए.आर. (प्रस्तावित प्राविधान)
निर्मित क्षेत्र	बेसिक एफ.ए.आर. का 20 प्रतिशत	बेसिक एफ.ए.आर. का 40 प्रतिशत
विकसित क्षेत्र	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 33 प्रतिशत	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 66 प्रतिशत
	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 50 प्रतिशत	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 100 प्रतिशत
नए/अविकसित क्षेत्र	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 33 प्रतिशत	18 मीटर एवं अधिक परन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 66 प्रतिशत
	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 50 प्रतिशत	24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर बेसिक एफ.ए. आर. का 100 प्रतिशत

उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या - 21 पृ०सं०-143

विषय : राजधानी लखनऊ की महत्ता के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना (सी0बी0डी0) में सर्वसुविधायुक्त विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण।

<u>प्रस्ताव :</u>

दिनांक 01.11.2022 को न्यू टाउनशिप नीति 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत प्रदेश के बदलते परिवेश में रियल स्टेट की आवश्यकताओं के दृष्टिगत तैयार की गयी 2022 प्रारूप के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित अभिकरणों की कार्य प्रणाली आवासीय परियोजनाओं एवं सुनियोजित विकास आदि के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के कम में प्रत्येक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पर्याप्त क्षमता के सर्वसुविधायुक्त कन्वेंशन सेन्टर की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किये जाने के भी निर्देश हैं।

उक्त के अनुपालन में गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर–7 के अन्तर्गत (सी0बी0डी0) क्षेत्र में भविष्य में उपयोग हेतु (फ्यूचर यूज) 12.8 एकड़ भूमि उपलब्ध है, को चिन्हित किया गया है। उक्त स्थल पर कन्वेंशन सेन्टर हेतु निम्न प्राविधान किया जाना है :–

- परियोजना का निर्माण निजी सहभागिता के आधार पर किया जाना।
- 5000 व्यक्तियों की क्षमता का उच्चकोटि का आडिटोरियम।
- डबल बेंसमेंट में 1200 गाडियों की पार्किंग की व्यवस्था।
- अति–विशिष्ट अतिथिगणों हेतु भूतल पर पार्किंग।
- 20000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर उच्चस्तरीय आडिटोरियम।
- 30000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर उच्चस्तरीय बैंक्वेट हाल।

अतः निजी सहभागिता के आधार पर गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर–7 के अन्तर्गत (सी0बी0डी0) क्षेत्र में फ्यूचर यूज हेतु 12.8 एकड़ भूमि पर कन्वेंशन सेन्टर बनाये जाने एवं इस हेतु कन्सलटेंट फर्म का चयन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(आशीष श्रीवास्तव)
J.E

(अवनीन्द्र कुमार सिंह)
E.E

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

अर्द्धशा0प0सं0: 325 /M/प्र0स0आ0/2022

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन
दूरभाष : 0522–2237161
ई–मेल : psawasup@gmail.com

दिनांक 02-11-22

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2022 को न्यू टाउनशिप नीति, 2022 (प्रारूप) का मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रदेश में बदलते परिवेश में रियल स्टेट क्षेत्र की आवश्यकताओं के दृष्टिगत तैयार की गयी न्यू टाउनशिप नीति, 2022 प्रारूप के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से संबंधित अभिकरणों की कार्य प्रणाली, आवासीय परियोजनाओं एवं सुनियोजित विकास आदि के संबंध में संज्ञान में लाये गये बिन्दुओं पर निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

(1) प्रत्येक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पर्याप्त क्षमता के सर्व सुविधायुक्त कन्वेशन सेन्टर की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किये जाय।

(2) अयोध्या में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से कराये जा रहे विकास कार्यों में तेजी लायी जाय और समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष 10.11.2022 से 15.11.2022 के मध्य अवश्य कराया जाय।

(3) प्राधिकरणों द्वारा विधिवत डिमान्ड सर्वे के उपरान्त ही मॉग की आवश्यकतानुरूप ग्रुप हाउसिंग/आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कराया जाय।

(4) अवैध निर्माण एवं अनियोजित विकास पर प्रभावी एवं कठोरता से रोकथाम लगायी जाय। शहरों के सीमान्त क्षेत्रों में अनियोजित विकास पर अंकुश लगाते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा दिया जाय।

(5) भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं तैयार किये जाने के संबंध में अभिकरणों द्वारा कार्यवाही की जाय।

(6) अभिकरणों में पर्याप्त संख्या में योग्य नगर नियोजकों की तैनाती शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

(7) आवश्यकता के अनुरूप पी0पी0पी0 मोड पर परियोजनाएं तैयार किये जाने की नीति लागू की जाय। इसके लिए हरियाणा राज्य के पंचकुला जैसे विधिवत नियोजित शहरों का अध्ययन कर नीति तैयार की जाय।

(8) विभिन्न कार्यात्मक समूहों जैसे चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, विधि, राजकीय कर्मी, उद्योग आदि के हितों को ध्यान में रखते हुए आवासीय परियोजनाएं तैयार की जाय। कार्यात्मक समूहों के ख्यातिलब्ध व्यक्तियों के नाम पर परियोजनाओं एवं उनके विभिन्न भागों के नामकरण को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

(9) प्राधिकरणों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो की उच्च्य गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय।

(10) अभिकरण स्तर पर तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा निम्न आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित होने वाले भवनों की उच्च्य गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय।

(11) अभिकरणों द्वारा भविष्य के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन शहरों के विकास कार्य की योजना तैयार की जाय।

(12) अभिकरणों द्वारा भूमि के इष्टतम् उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्टिकल डेवलपमेन्ट को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए कृत कार्यवाही/कार्य योजना से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यो की साप्ताहिक विभागीय समीक्षा बैठक में अनुश्रवण कराने का कष्ट करें।
5. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अनुभाग से संबंधित विषयों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक दिनांक 01.12.2022 में विचारणीय अनुपूरक प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृ0सं0
01.	श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	(01) 146
02.	अति विशिष्ट व्यक्तियों (जेड श्रेणी के उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त) हेतु 16, माल एवेन्यू लखनऊ में चौड़ाई में छूट प्रदान करने तथा अति विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कार्मिकों की ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।	(07) 152

146

अनुपूरक प्रस्ताव संख्या-01

पृ०सं०-01

विषयः **श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।**

श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मधु गुप्ता की चिकित्सा पर हुए व्यय रू0-6,34,947.00 के मूल बाऊचर्स विभाग को प्रस्तुत करते हुए भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि श्री संजय कुमार, लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवर अभियन्ता के नियमित पद पर कार्यरत है। श्री संजय कुमार की पत्नी श्रीमती मधु गुप्ता कैन्सर रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण इनके द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर रू0-6,34,947.00 व्यय किया गया, जो जनवरी से जून, 2022 के मध्य के है। इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा पर व्यय के मूल बाऊचर्स एवं चिकित्सक के पर्चे मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरित हेतु कार्यालय पत्र संख्या-1307/सा0प्र0/2022 दिनॉक 15.11.2022 को प्रेषित किया गया, जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्र सख्या-मु0चि0अ0/चि0प्र0पूर्ति0/ 2022/27522 दिनॉक 18.11.2022 द्वारा रू0-6,34,947.00 परीक्षण उपरान्त भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वी बोर्ड बैठक दिनॉक 06 नवम्बर, 2015 के विषय संख्या-17 पर यह निर्णय लिया गया था कि रू0-5.00 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणो को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मधु गुप्ता की गम्भीर बीमारी से पीडित थी, के द्वारा पत्नी की चिकित्सा पर व्यय **रू0-6,34,947.00 (रू0-छः लाख चौतिस हजार नौ सौ सैतालिस मात्र)** के भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

(बलराम)
अनु सचिव (अधिष्ठान)
ल0वि0प्रा0

29/11/22

(देवेन्द्र ... द्विवेदी)
... अधिकारी
ल... प्राधिकरण

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

प्रारूप-1 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का परीक्षण।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त खाद्य विभाग ...
...
...

पत्र सं.: मु.चि.अ./चि.पू.व्य./2021-22/27522

दिनांक 18/11/22

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1387 दिनांक 15/11/22 के संदर्भ में अवगत कराना है कि-

1. लाभार्थी का नाम/पदनाम श्री संजय कुमार ...
2. लाभार्थी के पिता/पति का नाम
3. उपचार प्राप्तकर्ता का लाभार्थी से सम्बन्ध स्वयं पत्नी ...
4. निवास का पता
5. चिकित्सा उपचार प्रतिष्ठान/संस्थान का नाम
   (जिससे उपचार प्राप्त किया गया हो/निजी अथवा सरकारी)
6. बीमारी का नाम
7. उपचार की अवधि
8. चिकित्सा पर कुल व्यय धनराशि 16331+155798+474818=646947-
9. परीक्षण के उपरान्त भुगतान हेतु संस्तुति धनराशि 634947-

प्रारूप-3

क्र.	व्यय का विवरण/नाम	निजी चिकित्सालय द्वारा अधिरोपित दर	एम्स नई दिल्ली/एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ/के.जी.एम.यू. की स्वीकृति दर	अन्तर की धनराशि	प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि
1		16331-	15331-	1000-	15331-
2		155798-	150798-	5000-	150798-
3		474818-	468818-	6000-	468818-
4					
5					
योग	[illegible]				634947-

प्रभाणित किया जाता है कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ.प्र. शासन की उ.प्र. सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 अधिसूचना संख्या:- 2275/ पांच-6-11-1082-87 दिनांक 20 सितम्बर, 2011, उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) प्रथम संशोधन नियमावली, 2014, अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082/87 टी.सी. दिनांक 04 मार्च 2014 एवं उ0प्र0 सरकार सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 अधिसूचना संख्या-365/2016/2134/पांच-6-2016-19 जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-56/2019/578-पांच-6-2019-4(जी.)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 एवं शा. सं. 49/2020/352/ पांच-6- 2020-04 जी./2019 दि. 24 फरवरी 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत करायी गयी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति के.जी.एम.यू./एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ की दर पर की जाती है। सुसंगत अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त (मूल रूप में)

डा0 ए0 पी0 सिंह
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कृते मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

140

03

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक :	सेवा में,
अनुभाग अधिकारी–अधिष्ठान, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
पत्रांक : 1307/अ0प्र0/22	
दिनांक : 15/11/2022	नत्थी : ....

विषय

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बाउचर प्रतिहस्ताक्षरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया श्री संजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा अपनी पत्नी की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु समस्त प्रेसिक्रिप्सन एवं बाउचर्स प्रंस्तुत किये गये है, जिनका कुल योग रू– 6,46,947.00 (छः लाख छियालीस हजार नौ सौ सैतालीस) मात्र है।

उक्त से सम्बन्धित समस्त प्रेसिक्रिप्सन एवं बाउचर्स प्रतिहस्ताक्षर/सत्यापित किये जाने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : बिल की मूल प्रति।

भवदीय,

अनुभाग अधिकारी–अधिष्ठान

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01.	श्री महेश कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राजशेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री शिवजनम चौधरी	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
06.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री गोपाल गर्ग	वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
08.	श्री नरेन्द्र कुमार चौबे	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल।
09.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
10.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0
11.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0
12.	श्री फैसल नवाब	मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0
13.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0
14.	श्री रमेश कपूर 'बाबा'	मा0 पार्षद/सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति :

15.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
16.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री जे0पी0 सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0
18.	श्री एन0एन0 सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0
19.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
21.	श्री हरि कृष्ण यादव	मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा0

समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15 रिट याचिका संख्या-2889(एम0बी0)/92 में दिनांक 15.12.2008 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-औरंगाबाद खालसा के बढ़े हुए रकबे 2-5-18-0 बीघा भूमि अथवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 16 उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/4 रकबा 0.076 हे0 भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 17 श्री परदेशी सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही रू0 5 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 18 स्व0 विनय कुमार सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय

किया गया कि विकासकर्ता को शासन की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं जो अनार्जित भूमि है, उसे अधिगृहीत करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से 02 वर्ष में पूर्ण करनी होगी।

<u>विषय संख्या : 41</u> भूखण्ड संख्या-2/86, विजय खण्ड, गोमती नगर एवं 2/19, विपुल खण्ड, गोमती नगर स्थित भवन/भूखण्ड के उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्ताव में सम्मिलित दोनों प्रकरणों में विषय संख्या-7 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

<u>विषय संख्या : 42</u> नबीबुल्लाह रोड, बासमण्डी व्यवसायियों को सीतापुर रोड तथा रेलवे लाइन के मध्य स्थित भूमि के तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(महेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अनुपूरक विषय सं0: 02 पृष्ठ सं0– 07

विषयः अति विशिष्ट व्यक्तियों (जेड श्रेणी के उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त) हेतु 16, माल एवेन्यू लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय भवन की ऊँचाई तथा सामने एवं साइड सेटबैक की चौडाई में छूट प्रदान करने तथा अति विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

आख्याः

श्री आनन्द कुमार, बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट, ट्रस्टी, के पत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 23.08.2022 के क्रम में माल एवेन्यू लखनऊ स्थित भवन सं0–16 में 7.00 मी0 के स्थान पर 12.00 मी0 ऊचाई के निर्माणं तथा सामने के सेट बैक की वांछित चौडाई 9.00 मीटर में से 3.5 मी0 एवं साइड सेट बैक की वांछित चौडाई 9.00 मी0 में से 2.00 मी0 की छूट/अनुमति प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति का अनुरोध किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–5940/आठ–1–08–2008, दिनांक 08 नवम्बर, 2008 के माध्यम से अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेटबैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, का उल्लेख है।

उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अति विशिष्ट व्यक्तियों (जेड श्रेणी के उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त) हेतु 16, माल एवेन्यू लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय भवन की ऊँचाई तथा सामने एवं साइड सेटबैक की चौडाई में छूट प्रदान करने तथा अति विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(अतुल शर्मा)
अपर अभि०

153

08

Bahujan Prerna Trust

12, GURUDWARA RAKAB GANJ ROAD, NEW DELHI-1

Ref

Date 20-01 022

सेवा मे,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः अति विशिष्ट(जेड श्रेणी से उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त) हेतु 16, माल एवेन्यू लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय भवन की ऊँचाई तथा सामने एवं साइड सेटबैक की चौड़ाई में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोध है कि माल एवेन्यू स्थित भूखण्ड संख्या 16 पर प्राधिकरण से परमिट संख्या-- MAP201180605190539197 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा 7.00 मीटर ऊँचाई का आवासीय निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त भू–तल पर निर्माण करा लिया गया है तथा प्रथम तल का निर्माण कराया जाना शेष है। जानकारी प्राप्त हुई है कि माल एवेन्यू क्षेत्र सुरक्षा जोन के अन्तर्गत चिन्हित है जिसमें अधिकतम 7.00 मीटर ऊँचाई तक निर्माण कराया जा सकता है परन्तु निर्माणाधीन भवन के दक्षिण तरफ सड़क के पश्चात् कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है। शेष तीन दिशाओं में लगभग 18.00 मीटर ऊँचाई के बहुमंजिले समूह आवास निर्मित हैं जिसमें वर्तमान में अध्यासी निवास कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 5940/आठ–1–08–2008 दिनांक 08 नवम्बर, 2008 के द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार, रूम--कम'--वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है। पूर्व में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के भवनो को इस प्रकार के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है। शासनादेश की छायाप्रति साथ में संलग्न है।

Anand Kumar

ANAND KUMAR
BAHUJAN PRERNA TRUST
TRUSTEE

154
09

Bahujan Prerna Trust

12, GURUDWARA RAKAB GANJ ROAD, NEW DELHI-1

Ref

Date 20-01-2022

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पहले सचिवालय एनेक्सी भवन में स्थित था जो अब लोकभवन में स्थानान्तरित हो गया है। लोक भवन माल

एवेन्यू स्थित भूखण्ड संख्या–16 से काफी दूर है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाधा नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस भवन में 7.00 मी0 के स्थान पर 12.00 मीटर ऊँचाई के निर्माण तथा सामने के सेट बैक की वॉछित चौड़ाई 9.00 मीटर में से 3.5 मी0 एवं साइड सेट बैक की वॉछित चौड़ाई 9.00 मी0 में से 2.00 मी0 की छूट/अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक:

प्रार्थी

Anand Kumar

(आनंद कुमार)
ट्रस्टी
बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट

ANAND KUMAR
BAHUJAN PRERNA TRUST
TRUSTEE

153

208987 09
23/8/22

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

3548/C.T.P/22
23/08/2022

विषय– अति विशिष्ट **(जेड श्रेणी से उच्च श्रेणी सुरक्षा प्राप्त)** की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों हेतु कक्ष एवं वाच टावर निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में–

महोदय,

विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना है कि माल एवेन्यू स्थित भूखण्ड संख्या–16 पर प्राधिकरण से परमिट संख्या–MAP20180605190539197 दिनांक–21.03.2020 के द्वारा आवासीय निर्माण करा लिया गया है। उपरोक्त भवन में अति विशिष्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुमन्य सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी प्वाइंट हेतु स्थल की व्यवस्था नहीं है।

यहां अवगत कराना समीचीन होगा की शासनादेश संख्या–5940/आठ–1–08–2008 दिनांक 08 नवंबर 2008 के द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है।

CTP
इ० परीक्षण कर आख्या
23/8/22
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

यहां यह अवगत कराना भी अति महत्वपूर्ण है कि जिनके लिए इस भवन का निर्माण हो रहा है वह उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तथा उन्हें विभिन्न आतंकवादी संगठनों एवं प्रबल **राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता** तथा **सामन्तवादी एवं असामाजिक तत्वों आदि** द्वारा व्याप्त जीवन भय के खतरों को दृष्टिगत रखते हुए **भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से जेड प्लस श्रेणी** एवं **एन.एस.जी. कवर** की सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ **ए.एस.एल.(एडवाँस सेक्यूरिटी लाइजन)** की व्यवस्था भी प्रदान की गयी है।

EE(M)
23/8/22

अतः अनुरोध है कि अति विशिष्ट महानुभाव की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी स्थल के निर्माण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी महती कृपा होगी।

संलग्नक–

1– अनुमन्य सुरक्षा हेतु जारी शासनादेश की छायाप्रति

2– आवश्यक मानचित्र

E.E. (Mall)
25-8-2022

(आनन्द कुमार)

Anand Kumar

बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट

संख्या: 5940/आठ–1–08–20

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक: 8 नवम्बर, 2008

विषय: अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 901/वी.सी./टीपी/2008, दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 के सन्दर्भ ग्रहण करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेट बैक में चौकीदार रूम–कम–वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं, जो कि अति विशिष्ट व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, को अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित उपविधि पर अपेक्षानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिए गए अभिमत के कम में अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न है।

3. कृपया उक्त उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड से नियमानुसार अंगीकृत कर लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव,

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे संलग्न उपविधि के प्रारूप को नियमानुसार अंगीकृत कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1 आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मागान्धी मार्ग, लखनऊ
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5 मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एच.पी. सिंह)
अनु सचिव

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके आवास एवं कार्यालय भवनों के सेटबैक में चौकीदार रूम कम वाच टावर व अन्य ऐसी मूलभूत अवस्थापना सुविधायें जो कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों को पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में उपविधि:–

1. यह उपविधि सम्पूर्ण लखनऊ विकास क्षेत्र में लागू होगी।

2. इस उपविधि हेतु "अतिविशिष्ट व्यक्तियों" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से होगा जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जेड–श्रेणी अथवा उससे उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होगी।

3. इस उपविधि के प्राविधान 'अतिविशिष्ट व्यक्तियों' के आवास एवं कार्यालय के ऐसे भवन मानचित्रों पर लागू होंगी, जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 वर्गमीटर होगा।

4. भवन मानचित्रों में महायोजना भू–उपयोग की अनुमन्यता को दृष्टिगत रखते हुये अधिकतम भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., सेटबैक एवं अन्य समस्त प्राविधान लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू भवन विकास उपविधि के अनुसार ही होगें।

5. 'अतिविशिष्ट व्यक्तियों' की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मापदण्डों के आधार पर सेटबैक क्षेत्र में चौकीदार रूम कम वाच टावर अनुमन्य होगा। वाच टावर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की गणना भू–तल आच्छादन क्षेत्र में नहीं की जायेगी, जबकि चौकीदार रूम की गणना अनुमन्य भू–तल आच्छादन क्षेत्र के अन्तर्गत की जायेगी।

6. अतिविशिष्ट व्यक्तियों हेतु पृथक से उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा ट्यूबवेल/बोरवेल, ट्रान्सफारमर (सब स्टेशन) इत्यादि की प्रस्तावना सम्बन्धित विभागों के मापदण्डों के अनुरूप सेटबैक क्षेत्र में की जा सकती है तथा यदि इन सुविधाओं हेतु कोई पक्का कमरा इत्यादि बनाने की आवश्यकता होती है तो उसकी गणना भूखण्ड हेतु अनुमन्य भू–तल आच्छादन में की जायेगी।

7. इस उपविधि के अन्तर्गत भवन मानचित्रों के ऐसे प्रस्ताव, जिस हेतु अग्नि शमन सुरक्षा के दृष्टिगत नियमानुसार अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, में उपर्युक्त बिन्दु संख्या–5 एवं 6 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले भवनों की प्रस्तावना इस प्रकार से की जायेगी कि मूल भवन के चतुर्दिक अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक खुला क्षेत्र उपलब्ध हो।

ई–मेल

प्रेषक,

संख्या–सी0एम0–95/आठ–3–2022

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनाँक :30 नवम्बर, 2022**

विषयः– 16 माल एवेन्यू, लखनऊ में निर्माणाधीन आवासीय भवन की ऊँचाई तथा सेट बैक की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने के अनुरोध विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–994/उपा./ई.ई. मानचित्र/2022 दिनांक 01.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करते हुए एवं तद्विषयक अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र संख्या–पी.एस.–275/34/लो.शि.–2/2022 दिनांक 18.11. 2022 **(छायाप्रतियाँ संलग्न)** का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र के माध्यम से श्री आनन्द कुमार ट्रस्टी बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा अपनी संस्था माल एवेन्यू लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या–16 पर निर्माण हेतु ऊचाई एवं सेट बैक में छूट दिये जाने के अनुरोध के संबंध में शासन से मार्गदर्शन/निर्णय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय के उक्त पत्र द्वारा प्राधिकरण के उक्त पत्र दिनांक 01.10.2022 का उल्लेख करते हुए प्रकरण में कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के मत से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

30/11/22

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–सी0एम0–95(1)/आठ–3–2022 –तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

K.P.-G.O.-2022 R

159

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या–CM-95/आठ–3–2022 13

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या पी० एस० 275 / 34 लो० शि० - 2 / 2022

दिनांक 18.11.2022

SL-07

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या पी०एस० 249/34-लो०शि०-2/2022 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह पत्र उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-994/उपा०/ईईमैप/22 दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से सम्बन्धित है, जो श्री आनन्द कुमार, ट्रस्टी, बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट ने अपनी संस्था माल ऐवेन्यू, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या-16 पर निर्माण हेतु ऊँचाई एवं सेटबैक में छूट दिए जाने के अनुरोध के क्रम में मार्गदर्शन/निर्णय हेतु प्रेषित किया है।

मा. मुख्यमंत्री जी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर विलम्बतम एक पक्ष में अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति मुख्यमंत्री कार्यालय में अद्यतन अप्राप्त है।

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से तत्काल अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

63555/PSH/22

Urgent

VS(R)/आ-3

कृ० आख्या सहित पत्रावली तत्काल प्रस्तुत करें।

21/11

21-11-2022

17-11-2022

17/11

(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रमुख सचिव, आवास विकास

Today
श्री पुर्वेंदु
21/11/22

प्राप्त लो०शि०-2
दिनांक 18 NOV 2022
आख्या